

एनआईटी / ई-निविदा दस्तावेज
NIET/ e-TENDER DOCUMENT



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

श्री गुरु राम दास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमृतसर
Sri Guru Ram Dass Jee International Airport, Amritsar

श्री गुरु राम दास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर
अंतर्देशीय एसएचए (भूतल) पर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसरीज खुदरा दुकान
हेतु अल्पावधि लाइसेंस के लिए
ई-निविदा (एन आई ई टी) आमंत्रण सूचना

Notice Inviting e-Tender (NIET) for
Short Term Licence for Mobile and Electronic Accessories Retail
Outlet inside Domestic SHA (Ground floor)
at Sri Guru Ram Dass Jee International Airport, Amritsar

निविदा आईडी / Tender ID: 2022_AAI_117103_1

निविदा सन्दर्भ संख्या/Tender Reference Number: AAI/ASR/COMML/RETAIL/2022/18

मई 2022 / May 2022

- नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।
- Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

विषय-सूची TABLE OF CONTENTS

क्रम सं. S. No.	विषय Contents	पृष्ठ सं. Page No.
1.	अस्वीकरण और परिचय / Disclaimer and Introduction	3 – 6
2.	ई-निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) / Notice Inviting E-Tender (NIET)	7 – 16
3.	बोलीदाता हेतु ई-निविदा दिशानिर्देश / E-Tendering guidelines to the bidders	17 – 18
4.	सामान्य सूचना एवं दिशानिर्देश / General Information and Guidelines	19 – 32
5.	अनुलग्नक: ए- ड्राफ्ट लाइसेंस अनुबंध / Annexure: A- Draft License Agreement परिशिष्ट: 1- सामान्य नियम और शर्तें / Appendix: 1 - General Terms & Conditions परिशिष्ट: 2- विशेष नियम और शर्तें / Appendix: 2 - Special Terms & Conditions परिशिष्ट: 3-रियायत क्षेत्र का खाका / Appendix: 3 – Concession Area Layout परिशिष्ट: 4 - परिसर की अनुसूची / Appendix: 4 - Schedule of Premises	33 –58
6.	अनुलग्नक: बी-मुक्तारनामे हेतु प्रारूप / Annexure: B - Format for Power of Attorney	59 –60
7.	अनुलग्नक: सी - शर्तहित स्वीकृति पत्र का प्रारूप Annexure: C - Format for Unconditional Acceptance Letter	61 –63
8.	अनुलग्नक: डी - बोलीदाता के विवरण हेतु प्रारूप / Annexure: D - Format for Details of Bidder	64 – 65
9.	अनुलग्नक ई : तकनीकी / वित्तीय क्षमता और अनुभव के संबंध में सीए / सांविधिक लेखा परीक्षक से प्रमाण पत्र के लिए ई -फॉर्म Annexure: E - Format for Certificate from CA / Statutory Auditor in respect of Technical / Financial Capacity and Experience	66 – 67
10.	अनुलग्नक: एफ - बोलीदाता से वचनबद्धता पत्र का प्रारूप Annexure: F - Format for Letter of Undertaking from Bidder	68
11.	अनुलग्नक: जी - बोलीदाता द्वारा घोषणापत्र / Annexure: G - Declaration by the Bidder	69 – 70
12.	अनुलग्नक: एच - भाविप्रा में काम कर रहे निकट संबंधियों के विवरण के लिए प्रारूप। Annexure: H - Format for Details of Near Relatives working at AAI.	71
13.	अनुलग्नक: आई - बकाया देय प्रमाणपत्र के लिए प्रारूप Annexure: I - Format for Outstanding Dues Certificate	72
14.	अनुलग्नक: जे - ईएमडी वापसी के लिए लाभार्थी विवरण के लिए प्रारूप Annexure: J - Format for Beneficiary Details for EMD Refund	73
15.	अनुलग्नक: के - बैंक गारंटी के लिए प्रारूप /Annexure: K - Format for Bank Guarantee	74 – 76
16.	अनुलग्नक: एल1 - जमाकर्ता द्वारा भाविप्रा को बैंक गारंटी सहित समझ पत्र (लैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग) प्रस्तुत करना। Annexure: L1 - Letter of understanding from the Depositor to be submitted along with Bank Guarantee to AAI.	77
17.	अनुलग्नक: एल2 - अनुरोध पत्र: बैंक गारंटी कवर संदेश का प्रसारण (आवेदक द्वारा बीजी जारीकर्ता बैंक को प्रस्तुत किया जाना है) Annexure: L2 - Request Letter: Transmission of Bank Guarantee Cover Message (to be submitted by applicant to BG issuing Bank)	78
18.	अनुबंध: एम - महत्वपूर्ण विवरणों हेतु तैयार रेकनर Annexure: M – Ready Reckoner for critical details	79 – 80
19.	अनुलग्नक: एन - एयरलाइंस / यात्रियों के डेटा का विवरण Annexure: N – Detail of Airlines / Passengers' Data	81 – 82

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।
•Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

अस्वीकरण / DISCLAIMER

ई-निविदा दस्तावेज ("ई-टेंडर") में निहित जानकारी या आवेदक (कों) को दस्तावेजी रूप में, प्राधिकरण द्वारा या प्राधिकरण की ओर से बाद में इस ई-निविदा में निर्धारित नियम एवं शर्तों सम्बंधित जानकारी और ऐसे अन्य नियम और शर्तें जिनके अधीन ऐसी जानकारी प्रदान की जाती है।

The information contained in this NOTICE INVITING E-TENDER document (the "e-Tender") or subsequently provided to Applicant(s), whether in documentary form, by or on behalf of the Authority, is provided to Applicant(s) on the terms and conditions set out in this e-Tender and such other terms and conditions subject to which such information is provided.

यह ई-टेंडर न तो प्राधिकरण द्वारा किया गया एक समझौता है और न ही एक प्रस्ताव है, लेकिन संभावित आवेदकों या किसी अन्य व्यक्ति को निमंत्रण है। इस ई-टेंडर का उद्देश्य इच्छुक पक्षों को ऐसी जानकारी प्रदान करना है जो इस ई-टेंडर के अनुसार उनके वित्तीय अनुप्रयोग के निर्माण में उनके लिए उपयोगी हो सकता है। इस ई-टेंडर में जो विषय रियायत के संबंध में प्राधिकरण द्वारा पहुंची विभिन्न मान्यताओं और आकलन को दर्शाते हुए कथन सम्मिलित हैं। ऐसी मान्यताओं, आकलन और बयानों में उन सभी सूचनाओं को शामिल नहीं किया जाता है जिनकी प्रत्येक आवेदक को आवश्यकता होती है। यह ई-टेंडर सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, और प्राधिकरण, इसके कर्मचारियों या सलाहकारों के लिए यह संभव नहीं है कि वे इस ई-टेंडर को पढ़े या उपयोग करने वाले प्रत्येक पक्ष के निवेश उद्देश्यों, वित्तीय स्थिति और विशेष जरूरतों पर विचार करें। इस ई-टेंडर में निहित मान्यताएँ, आकलन, कथन और जानकारी पूर्ण, सटीक, पर्याप्त या सही नहीं हो सकती है। इसलिए प्रत्येक आवेदक को अपना मूल्यांकन, उचित परिश्रम और विश्लेषण करना चाहिए और इस ई-टेंडर में निहित मान्यताओं, आकलन, बयानों और सूचनाओं की सटीकता, पर्याप्तता, शुद्धता, विश्वसनीयता और पूर्णता की जांच करनी चाहिए और उपयुक्त स्रोतों से स्वतंत्र सलाह लेनी चाहिए।

This e-Tender is neither an agreement nor an offer by the Authority but an invitation to the prospective Applicants or any other person. The purpose of this e-Tender is to provide interested parties with information that may be useful to them in the formulation of their financial application pursuant to this e-Tender. This e-Tender includes statements, which reflect various assumptions and assessments arrived at by the Authority in relation to the subject Concession. Such assumptions, assessments and statements do not purport to contain all the information that each applicant may require. This e-Tender may not be appropriate for all persons, and it is not possible for the Authority, its employees or advisors to consider the investment objectives, financial situation and particular needs of each party who reads or uses this e-Tender. The assumptions, assessments, statements and information contained in this e-Tender may not be complete, accurate, adequate or correct. Each Applicant should therefore, conduct its own assessment, due diligence and analysis and should check the accuracy, adequacy, correctness, reliability and completeness of the assumptions, assessments, statements and information contained in this e-Tender and obtain independent advice from appropriate sources.

आवेदक को इस ई-टेंडर में दी गई जानकारी, मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला पर है, जिनमें से कुछ कानून की व्याख्या पर निर्भर हो सकती हैं। प्रदान की गई जानकारी वैधानिक आवश्यकताओं का एक विस्तृत जानकारी नहीं है और इसे कानून का पूर्ण या आधिकारिक बयान नहीं माना जान चाहिए। प्राधिकरण यहां दी गई विधि पर किसी भी व्याख्या या राय के लिए सटीकता या अन्यथा के लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है।

Information provided in this e-Tender to the Applicant(s) is on a wide range of matters, some of which may depend upon interpretation of law. The information given is not intended to be an exhaustive account of statutory requirements and should not be regarded as a complete or authoritative statement of law. The Authority accepts no responsibility for the accuracy or otherwise for any interpretation or opinion on law expressed herein.

प्राधिकरण, उसके कर्मचारी और सलाहकार कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं बनाते हैं और किसी भी आवेदक सहित किसी भी कानून, नियम या विनियम या अत्याचार, बहाली या अनुचित संवर्धन के सिद्धांतों या अन्यथा किसी भी नुकसान के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए कोई दायित्व नहीं होगा, नुकसान, लागत या व्यय जो इस ई-टेंडर में निहित किसी भी चीज के कारण उत्पन्न हो सकता है अन्यथा, ई-टेंडर की सटीकता, पर्याप्तता, शुद्धता, पूर्णता या विश्वसनीयता और किसी भी आकलन, धारणा, कथन या जानकारी सहित इसमें निहित या बोली प्रक्रिया में भागीदारी के लिए किसी भी तरह से उत्पन्न होने वाले इस ई-टेंडर का हिस्सा बनने के लिए समझा जाता है।

The Authority, its employees and advisors make no representation or warranty and shall have no liability to any person, including any Applicant, under any law, statute, rules or regulations or tort, principles of restitution or unjust enrichment or otherwise for any loss, damages, cost or expense which may arise from or be incurred or suffered on account of anything contained in this e-Tender or otherwise, including the accuracy, adequacy, correctness, completeness or reliability of the e-Tender and any assessment, assumption, statement or information contained therein or deemed to form part of this e-Tender or arising in any way for participation in the bidding process.

प्राधिकरण इस ई-टेंडर में दिए गए कथनों पर किसी भी आवेदक की निर्भरता से उत्पन्न होने वाली लापरवाही या अन्यथा किसी भी परिणाम के कारण किसी भी प्रकार का कोई दायित्व स्वीकार नहीं करता है।

The Authority also accepts no liability of any nature whether resulting from negligence or otherwise howsoever caused arising from reliance of any Applicant upon the statements contained in this e-Tender.

- नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।
- Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

प्राधिकरण अपने पूर्ण विवेकाधिकार में इस ई-टेंडर में निहित जानकारी, मूल्यांकन या मान्यताओं को अद्यतन, संशोधन या पूरक करने के लिए किसी भी दायित्व के अधीन नहीं है।

The Authority may, in its absolute discretion but without being under any obligation to do so, update, amend or supplement the information, assessment or assumptions contained in this e-Tender.

इस ई-टेंडर का अर्थ यह नहीं है कि प्राधिकरण रियायत के लिए बोली प्रक्रिया के प्रस्तावों का चयन करने के लिए बाध्य है और प्राधिकरण किसी भी कारण बताए बिना सभी या किसी भी आवेदन या बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

The issue of this e-Tender does not imply that the Authority is bound to select all the Proposals for bidding process for the Concession and the Authority reserves the right to reject all or any of the Applications or Bids without assigning any reasons whatsoever.

आवेदक अपने आवेदन की तैयारी और प्रस्तुत करने से संबंधित अपनी सभी लागतों को वहन करेगा, लेकिन तैयारी, नकल, डाक, वितरण शुल्क, किसी भी प्रदर्शन या प्रस्तुतियों से जुड़े खर्चों जो प्राधिकरण या किसी अन्य द्वारा आवश्यक हो सकता है या अपने आवेदन से सम्बंधित या उसके सिसिले में अन्य लागत तक सीमित नहीं होगा। इस तरह की सभी लागतें और खर्च आवेदक द्वारा वहन किये जायेंगे और प्राधिकरण बिडिंग प्रक्रिया के संचालन या परिणाम की परवाह किए बिना किसी भी तरीके से या किसी भी अन्य लागत या अन्य खर्चों या आवेदन के प्रस्तुत करने की तैयारी में आवेदक द्वारा किए गए अन्य खर्चों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

The Applicant shall bear all its costs associated with or relating to the preparation and submission of its Application including but not limited to preparation, copying, postage, delivery fees, expenses associated with any demonstrations or presentations which may be required by the Authority or any other costs incurred in connection with or relating to its Application. All such costs and expenses will remain with the Applicant and the Authority shall not be liable in any manner whatsoever for the same or for any other costs or other expenses incurred by an Applicant in preparation for submission of the Application, regardless of the conduct or outcome of the Bidding process.

आवेदक किसी भी बयान / दस्तावेजों / रिकॉर्ड आदि के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, जो इस ई-टेंडर के अनुसार प्रस्तुत किया गया है और इसकी सटीकता सुनिश्चित करता है। प्राधिकरण या उसके कर्मचारी आवेदक द्वारा की जाने वाली किसी भी कमी के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करेंगे। आवेदक द्वारा की गई कोई भी झूठी घोषणा कार्रवाई को आमंत्रित करेगी, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा तय किया जा सकता है, जिसमें रियायत की समाप्ति, ईएमडी/ सुरक्षा जमा को रोकना या जब्त करना शामिल है। आवेदक प्राधिकरण और उसके कर्मचारियों को इस ई-टेंडर से उत्पन्न होने वाली कार्रवाइयों से भी अवगत कराएगा।

The Applicant shall be wholly responsible for any statements/documents/ records, etc. submitted pursuant to this e-Tender and ensure accuracy thereof. The Authority or its employees shall accept no responsibility or liability for any deficiency that may be made by the Applicant. Any false declaration made by the Applicant shall invite action as may be decided by the Authority including termination of Concession, debarring, forfeiture of EMD and/or Security Deposit. The Applicant shall also indemnify the Authority and its employees from actions arising out of this e-Tender.

- नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।
- Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण**वाणिज्य अनुभाग****AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA****Department Of Commercial**

श्री गुरु राम दास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर अंतर्देशीय एसएचए (भूतल) पर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज खुदरा दुकान हेतु अल्पावधि लाइसेंस के लिए ई-निविदा (एनआईडीटी) आमंत्रण

E-tenders are invited for award of Short-Term Licence for Mobile and Electronic Accessories Retail Outlet inside Domestic SHA (Ground floor) at Sri Guru Ram Dass Jee International Airport, Amritsar.

प्रस्तावना**INTRODUCTION**

1. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ("भाविप्रा") भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा संचालक है, जो पूरे भारत में 125 से अधिक हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण, एयर नेविगेशन, संचालन और प्रबंधन प्रदान करता है।

Airports Authority of India is ("AAI") is the largest Airport Operator in India providing Modernization, Air Navigation, Operation and Management of 125 plus Airports across India.

भाविप्रा, श्री गुरुदाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमृतसर पर अंतर्देशीय एसएचए (भूतल) पर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज खुदरा दुकान हेतु अल्पावधि लाइसेंस के लिए विषय ई-निविदा हेतु पात्र संस्थाओं की भागीदारी का इच्छुक है।

AAI is desirous of participation of eligible entities in the subject e-tender for Short Term Licence for Mobile and Electronic Accessories Retail Outlet inside Domestic SHA (Ground floor) at Sri Guru Ram Dass Jee International Airport, Amritsar.

भाविप्रा 1 अप्रैल 1995 को अस्तित्व में आया। भाविप्रा का गठन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994 के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में किया गया है। भाविप्रा के मुख्य कार्यों में शामिल हैं:

AAI came into existence on 1st April 1995. AAI has been constituted as a Statutory Authority under the Airports Authority of India Act, 1994. The main functions of AAI include:

- यात्री टर्मिनलों का डिजाइन, विकास, संचालन और रखरखाव।
Design, development, operation and maintenance of passenger terminals.
- अंतरराष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डों पर कार्गो टर्मिनल का विकास और प्रबंधन।
Development and management of cargo terminal at international and domestic airports.
- ड्यूटी फ्री आउटलेट, यात्रा रिटेल आउटलेट, एफएंडबी सुविधाएं, कर्पासक लाउंज, ग्राउंड परिवहन सुविधाएं (मैक्सी कैब, रेडियो टैक्सी आदि) और अन्य गैर-हवाई गतिविधियों जैसे टर्मिनलों पर यात्री सुविधाओं का प्रावधान; मनी एक्सचेंज काउंटर, ट्रॉली सर्विसेज और सूचना प्रणाली।
Provision of passenger facilities at terminals like Duty Free Outlets, Travel Retail Outlets, F&B facilities, Executive Lounges, Ground transportation facilities (Maxi Cab, Radio Taxi etc.) and other non-aero activities like; Money Exchange Counters, Trolley Services and information systems.

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।
•Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

2. 1995 में अपनी स्थापना के बाद से, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे के विकास और भारत में हवाई अड्डे के संचालन और हवाई नेविगेशन सेवाओं के प्रबंधन और नियंत्रण के मामलों में सबसे आगे रहा है। पिछले दो दशकों में भाविप्रा हवाई अड्डों को बेहतर बनाने और यात्रियों को बेहतर यात्रा का अनुभव देने के लिए हवाई अड्डों पर टर्मिनल साइड संरचना को आधुनिक बनाने और उसकी सेवाओं में सुधार करने में सबसे आगे रहा है। इन उपायों के परिणामस्वरूप हवाई सुरक्षा और यात्री संतुष्टि में सुधार हुआ है जैसा कि यात्री अनुभव सर्वेक्षण परिणामों में परिलक्षित होता है।

Since its inception in 1995, Airports Authority of India (AAI) has been at the helm of affairs in the development of airport infrastructure and management and control of airport operations and air navigation services in India. Over the past two decades AAI has been on the forefront of modernizing and developing airside and terminal side infrastructure and improving its services at airports to deliver a better travel experience to passengers. These measures have resulted in improved air safety and passenger satisfaction as is reflected in passenger experience survey results.

3. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, भाविप्रा ने रु.12976.96 करोड़ का कुल राजस्व और Rs.2801.64 करोड़ का कर (पीएटी) के बाद लाभ दर्ज किया है।

During the Financial Year 2017-18, AAI has recorded a Total Revenue of Rs.12976.96 Crores and a Profit after Tax (PAT) of Rs.2801.64 Crores.

4. हवाई यातायात में तेजी ने नए अवसरों के साथ-साथ हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं के विस्तार के मामले में भाविप्रा के लिए चुनौतियां पैदा की हैं।

The spurt in air traffic has brought new opportunities as well as challenges for AAI in terms of expanding airport infrastructure and passenger amenities.

5. श्री गुरु राम दास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमृतसर के प्रमुख एयरलाइंस और पैसेंजर ट्रैफिक डेटा को इस ई-टेंडर के अनुलग्नक:एनमें रखा गया है।

Major Airlines and Passenger Traffic data of SGRDJI Airport, Amritsar is placed at ANNEXURE: N of this e-tender.

ई-निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)

NOTICE INVITING E-TENDER (NIET)

1. निम्नलिखित हेतु रियायत प्रदान करने के लिए ई-निविदा को यहां आमंत्रित किया गया है:
E-Tender is hereby invited for granting concession for the following:

सुविधाकानाम Name of Facility	निविदा प्रक्रिया शुल्क (नॉन- रिफंडेबल) (रु में) Tender Processing Fees (Non- refundable) (in INR)	अग्रिम जमा राशि (ईएमडी) (भा.रु.में) Earnest Money Deposit (EMD) (in INR)	न्यूनतम आरक्षित लाइसेंस शुल्क (एमआरएलएफ) / न्यूनतम मासिक गारंटी(एमएमजी)(भा.रु.में) Minimum Reserved License Fee (MRLF) /Minimum Monthly Guarantee (MMG) (in INR)
“अंतर्देशीय एसएचए (भूतल) पर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसरीज खुदरा दुकान” क्षेत्रफल- 05 वर्गमीटर (अनुमानित) “Retail Outlet for Mobile and Electronic Accessories inside Domestic SHA (Ground floor)” Area-05 Sqm. (approx.) in Domestic SHA (GF)	रु.2,000/- (रुपये दो हजार केवल) लागू कर सम्मिलित करते हुए Rs. 2,000/- (Rupees Two Thousand only) inclusive of applicable Tax	रु.50,000/- (रुपये पचास हजार केवल) Rs.50,000/- (Rupees Fifty Thousand only)	रु. 51,200/- (इक्यावन हजार दो सौरुपए मात्र)प्रति माह लागू कर अतिरिक्त Rs. 51,200/- (Rupees Fifty One thousand and two hundred only) Per Month Applicable Taxes Extra

टिप्पणी/ NOTE:

- एमआरएलएफ से नीचे के प्रस्तावों को अवार्ड के लिए नहीं माना जाएगा।
Offers below MRLF will not be considered for award.
- एमआरएलएफ के ऊपर और ऊपर उच्चतम बोली / प्रस्ताव, उच्चतम बोली लगाने वाले के चयन के लिए एकमात्र मापदंड होगा।
Highest Quote/offer over and above MRLF, shall be the sole parameter for selection of highest bidder.
- लाइसेंस शुल्क निर्धारित लाइसेंस शुल्क / उद्धृत एमएमजी होगा। एनआईटी में विस्तृत रूप में उद्धृत लाइसेंस शुल्क / एमएमजी वार्षिक वृद्धि के अधीन है।
License fees shall be the **quoted fixed license fee / quoted MMG**. The quoted license fee / MMG is subject to annual escalation as detailed in NIET.
- लाइसेंस शुल्क के अलावा, चयनित बोलीदाता भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
In addition to the license fee, the selected bidder shall be liable to pay:-
 - आवृत्ति स्थान के लिए उपयोगिता / सुविधा शुल्क (सीएम) जो कि सामान्य स्पेस किराए का @10% होगा (वर्तमान में सामान्य अधिसूचित स्पेस किराया वतान्कूलित स्पेस के लिए प्रति माह **2,370/-** रुपये प्रति

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।
•Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

वर्गमीटर और गैर-वतानुकूलित स्पेस के लिए **1,580/-** रुपये प्रति वर्गमीटर प्रति माह है, जोकि हर साल की 1 अप्रैल से 10% की दर से वार्षिक वृद्धि के अधीन हैं जोकि फिर रु.10/- के निकटतम पूर्णांकित किया जाएगा या जैसा कि भा.वि.प्रा. द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकता है)। स्पेस किराया समय-समय पर भा.वि.प्रा. के विवेक पर संशोधन के अधीन है और और स्पेस किराए की ऐसी वृद्धि लाइसेंसधारी द्वारा बिना किसी विरोध या विवाद के देय होगी।

Utility / Facilitation Charges @10% of normal space rent (or as may be notified by AAI from time to time, presently normal notified Space rent is Rs.2,370/- Per Sqm Per Month for AC Space and Rs.1,580/- Per Sqm Per Month for Non-AC space, which are subject to annual escalation @7.5% then rounded off nearest to Rs.10/- from 1st April of every year or as may be notified by AAI from time to time) for allotted space. The space rent is subject to revision at the discretion of AAI from time to time and such increase of space rent shall be payable by the licensee without any protest or dispute.

- (ii) जीएसटी सहित सभी लागू सरकारी कर (वर्मान में 18% की दर से) या भारत या राज्य सरकार द्वारा समय समय पर घोषित दर लागू होगा।

All applicable Government Taxes including GST (presently at the rate of 18%) or at the rates declared by Government of India or State Government from time to time.

- (iii) उक्त लाइसेंस के उपयोग के लिए बिजली और पानी की खपत सम्बन्धी प्रभार, प्राधिकरण द्वारा दिशानिर्देशों या भाविप्रा द्वारा समय समय पर निश्चित की गई दरों के अनुसार बकाया और देय हो जाता है।

Charges for the consumption of the electricity and water consumed for the purpose of use of the said license as becomes due and payable and in accordance with the directions of the Authority and at the rates as fixed by AAI from time to time.

- e) इस अनुबंध के प्रावधान के अनुसार भाविप्रा, किसी भी प्रकृति के लाइसेंसधारक के द्वारा लाइसेंस शुल्क या ब्याज राशि या किसी अन्य राशि के भुगतान में चूक या उल्लंघन की स्थिति में, लाइसेंसधारक को 07 (सात) दिनों की पूर्व सूचना के साथ, समस्त राशि या किसी भी अन्य राशि को जिसे भाविप्रा के पास सुरक्षा जमा या बैंक गारंटी और किसी अन्य राशि को भाविप्रा के साथ किये गए इस अनुबंध या भाविप्रा के साथ लाइसेंसधारक के किसी अन्य समाप्त/ बंद/ खत्म किए गए के हिस्से के रूप में रखा गया है,में से सेट-ऑफ करने और लागू करने या समय समय पर इस प्रकार की राशि को पूर्ण रूप से समायोजित करने हेतु प्राधिकृत है। यह कानून द्वारा निर्धारित भाविप्रा के पास उपलब्ध किसी भी अधिकार और उपचार के पक्षपात के बिना लाइसेंसधारी से बकाया की वसूली हेतु है।

स्पष्टीकरण 1: इस अनुबंध के उद्देश्य से, सेट-ऑफ का अर्थ, भाविप्रा के किसी अन्य हवाईअड्डे/ हवाईअड्डा परिसर पर, भाविप्रा के साथ किसी अन्य अनुबंध में आयोजित, किसी अन्य राशि के साथ जो बैंक गारंटी/ सुरक्षा जमा के रूप में या अन्यथा लाइसेंसधारक के किसी भी बकाया (ओं) के समायोजन से है।

स्पष्टीकरण 2: बकाया राशि का अर्थ, भाविप्रा के किसी हवाई अड्डे या हवाई अड्डा परिसर में इसके अंतर्गत लाइसेंसधारक के विरुद्ध प्रोद्भूत राशि/ देय राशि से होगा।

In the event of a default or breach in payment of license fee or interest amount or any other amount due with the licensee of whatever nature as per the provision of this contract, AAI is hereby authorized to adjust such amount from time to time to the fullest extent, with prior notice of 07 (seven) days to the Licensee, by set off and apply any or all amount at any time held with AAI as security deposit or Bank Guarantee or any other amount as part of this contract or from any other expired / closed / terminated contracts of licensee with AAI. This is without prejudice to any rights and remedies available with AAI to recover the dues from licensee as prescribed by Law.

Explanation 1: For the purpose of this agreement, set off means adjustment of any outstanding due(s) of Licensee, with any amount in form of BG / SD or otherwise, held by AAI in relation to any other agreement, at any AAI airport / airport premises.

Explanation 2: Outstanding dues shall mean and include any amount accrued / due against the licensee under this or any other agreement at any of AAI airport or airport premises.

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

•Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

2. **स्थान का विवरण:-** आउटलेट आवंटित स्थान के भीतर होना चाहिए। कोई भी अतिरिक्त क्षेत्र (10% तक) जो लाइसेंसधारी द्वारा अपनी रियायती गतिविधियों के लिए कब्जा किया गया है तथा बाद में भाविप्रा द्वारा यह पाया जाता है तो लाइसेंसधारी द्वारा प्रो-राटा के आधार पर उससे भुगतान लिया जाएगा। यदि अतिरिक्त क्षेत्र 10% से अधिक है तो दुगुनी प्रो-राटा राशि का भुगतान किया जाएगा।

परिशिष्ट 3 और 4 पर परिसर निर्दिष्ट क्षेत्र की विस्तृत अनुसूची के साथ रियायत क्षेत्र का संकेतक लेआउट का खाका दिया गया है।

Location Details: -The outlet should be within the allotted bare space. Any extra area (up to 10%) occupied by the licensee for furthering its concession activities and found subsequently by AAI shall be charged on pro rata basis. In case extra area is beyond 10%, licensee will be charged at double the pro-rata amount.

Indicative Drawing of concession area layout along with detailed schedule of premises specifying area is at **Appendix 3 & 4.**

3. **रियायत की अवधि :** रियायत की अवधि छः (6) महीने जो आगे तीन (3) तक और बढ़ाई जाने योग्य है या मास्टर रियायत रिटेल के शुरू होने पर, जो भी पहले हो।

Period of Concession: Six (6) months further extendable by three (3) months or commencement of Master Concession Retail, whichever is earlier.

4. संभावित बोलीदाताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे निविदा शर्तों का अनुसरण करें और व्यवसाय की संभाव्यता का आकलन करने के लिए साइट / हवाई अड्डे का दौरा करें और उचित परिश्रम से अध्ययन करें और उसके बाद निविदा में बोली लगा सकते हैं। भाविप्रा द्वारा लाइसेंस शुल्क में किसी भी प्रकार की छूट पर किसी कारण से किसी भी स्तर पर विचार नहीं किया जाएगा।

The prospective bidders are requested to go through the tender conditions and visit the site / airport to assess the feasibility of business / undergo proper diligence study and thereafter may bid in the Tender. No reduction in license fee will be entertained by AAI at any stage for whatever reasons.

5. **प्रतिभागियों** को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी सशर्त निविदा न दें और भाविप्रा द्वारा प्रदान किए गए निविदा दस्तावेजों में इंगित नियमों और शर्तों का पालन करें। सशर्त निविदाओं को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

Participants are advised not to give any conditional tender and adhere to the terms and conditions indicated in the tender documents provided by AAI. Conditional tenders would be summarily rejected.

6. **बिजनेस इनक्यूबेशन पीरियड** का मतलब चयनित बोलीदाता को लेटर ऑफ इंटेंट ऑफ अवार्ड (एलओआई) के पेश होने की तारीख से पंद्रह (15) दिनों की अवधि से होगा। चयनित बोलीदाता इस अवधि के दौरान अवार्ड की सभी औपचारिकताओं को पूरा करने हेतु दायित्व के तहत होगा (स्वीकृति, सुरक्षा जमा, अग्रिम लाइसेंस शुल्क, समझौते का निष्पादन और सौंपने/साइट पर ले जाने आदि) और अन्य दायित्वों को पूरा करने के रूप में एल.ओ.आई.ए. में निर्दिष्ट किया जाएगा।

Business Incubation Period shall mean a period of **fifteen (15) days** from the date of issuance of Letter of Intent to Award (LOIA) to the selected bidder. The selected bidder will be under obligation during this period to complete all formalities of award (Submission of Acceptance, Security Deposit, Advance License Fee, Execution of Agreement and handing /taking over the site etc.) and meet other obligations as will be specified in the LOIA.

7. **साइट को सौंपना**

Handing over of site: -

- a) साइट को व्यापार ऊष्मायन अवधि के निर्धारित समय के भीतर अवार्ड की शर्तों की पूर्ति पर चयनित बोलीदाता को सौंप दिया जाएगा।

Sitewill be handed over to the selected bidder upon fulfillment of conditions of award within the stipulated time of business incubation period.

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

•Note- In case any sort of contradiction arises , only English textwill be valid.

- b) यदि लाइसेंसधारी अवार्ड की शर्तों जो साइट को सौंपने के लिए पूर्व-आवश्यकता है, को पूरा करने में विफल रहता है, तो परियोजना पूर्ण होने की अवधि को एलओआई जारी करने के **16 वें दिन** से शुरू किया जाना माना जाएगा अर्थात् व्यवसाय के उद्घाटन अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद। हालांकि, साइट को केवल अवार्ड की सभी शर्तों को पूरा करने के बाद ही वास्तविक तौर पर सौंपा जाएगा।

If the licensee fails to complete the conditions of award which are pre-requisite for handing over of site, then the gestation period will be deemed to have commenced on **16th day** of issuance of LOIA i.e. immediately after expiry of business incubation period. However, actual handing over of site shall only be done after completion of all conditions of award.

- c) यदि निविदा प्रक्रिया पूरी हो गई है और सफल निविदाकर्ता को एलओआई दे दिया गया है, लेकिन, अवलंबी लाइसेंसधारी की रियायत / लाइसेंस की अवधि समाप्त नहीं हुई है, तो साइट के सौंपने की तारीख बाद में नहीं होनी चाहिए, जो कि अवलंबी लाइसेंस की समाप्ति या व्यवसाय की उद्घाटन अवधि की समाप्ति के बाद (जो भी बाद में है) हालांकि, विषम परिस्थितियों में, यदि किसी कारण से, रिक्त स्थान उपलब्ध नहीं कराया जा सका, तो विमानपत्तन निदेशक, कंसेसियनर के साथ परामर्श कर, रियायत की शुरुवात/लाइसेंस शुरू करने के लिए एक वैकल्पिक स्थान की पहचान कर सकता है। ऐसे मामले में छूट पर विचार नहीं किया जाएगा।

In case tender process has been completed and successful tenderer has been awarded LOIA, but, concession/license period of incumbent licensee is not over, then, date of hand over of site should not be later than **7th day** of expiry of incumbent license or expiry of business incubation period (whichever is later). However, in extreme circumstances, if due to some reason, the vacant site could not be made available, the Airport Director in consultation with concessionaire can identify an alternate location for commencement of concession/ license. Rebate shall not be considered in such a case.

8. परियोजना पूरी होने की अवधि (जेस्टेशन अवधि)

Gestation Period

- (a) पंद्रह (15) दिनों की जेस्टेशन अवधि, जो साइट सौंपने की तारीख से गणना की जाती है, की अनुमति होगी।

Gestation period of **fifteen (15) days**, reckoned from the date of Handing over of site shall be permissible.

- (b) उसी स्थान पर मौजूदा लाइसेंसधारी / लाइसेंस के नवीकरण / के पक्ष में रियायत (यानी उसी क्षेत्र साथ ही स्थान पर) रियायत के अवार्ड के मामले में कोई भी जेस्टेशन अवधि की अनुमति नहीं है। तथापि,

No gestation period is to be permitted in case of renewal/award of the concession/ license in favor of the existing licensee in the same place (i.e. same area as well as location). However,

- i. जहां रियायत / लाइसेंस परिसर में मौजूदा क्षेत्र आदि में संशोधन करने के लिए स्थान में परिवर्तन या व्यवसाय के निलंबन के कारण, सामान्य जेस्टेशन अवधि, जैसा कि ऊपर परिभाषित है, की अनुमति दी जा सकती है।

Where there is change in location or due to suspension of the business to carry-out modification at the existing area etc. in the concession/ license premises, normal gestation period, as defined above, may be permitted.

- ii. यदि मौजूदा लाइसेंसधारी को दिए गए उसी स्थान पर नए लाइसेंस क्षेत्र में वृद्धि हुई है, तो वृद्धि अवधि केवल वृद्धिशील क्षेत्र के लिए लागू होगी (यदि वह मौजूदा क्षेत्र के व्यवसाय के साथ जारी है और वृद्धिशील क्षेत्र के लिए विकास की अवधि की आवश्यकता है) इस परिदृश्य में, लाइसेंसधारी को मौजूदा क्षेत्र के लिए समर्थक अनुपात के आधार पर उद्धृत लाइसेंस शुल्क के आधार पर बिल भेजा जाता रहेगा। नव विकसित / वृद्धिशील क्षेत्र के लिए बिलिंग की अवधि जेस्टेशन अवधि समाप्ति के बाद शुरू की जाएगी।

If there is increase in the area in the new license at the same location awarded to existing licensee, the Gestation period would be applicable for the incremental area only (if he continues with the business from the existing area and needs development period for the

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

•Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

incremental area). In this scenario, licensee shall continue to be billed on the basis of quoted license fee on pro-rata basis for existing area. Billing for the newly developed/incremental area shall be started after expiry of gestation period.

9. पात्रता मानदंड/ Eligibility Criteria

(A) तकनीकी मानदंड/ Technical Criteria:

भाग लेने वाली एजेंसी के पास, पिछले सात (07) वर्षों के दौरान हवाई अड्डों, बस अड्डों, फेरी टर्मिनलों, मॉल, मेट्रो रेल और रेलवे स्टेशनों इत्यादि पर दुकानों के संचालन में न्यूनतम दो (02) वर्षों का ऐसे किसी भी इससे मिलते / जुलते सामान की खुदरा दुकानों का होना अनुभव होना चाहिए, उदाहरण के लिए, **मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज** खुदरा सुविधा के लिए, **मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज दुकान** के संचालन में अनुभव।

The participating agency should have minimum two (02) years of experience during the last seven (07) years in operating any of such / similar retail outlets / shops at airports, bus terminals, ferry terminals, mall, metro rail and railway stations etc. for example, for **Mobile and Electronic Accessories Retail Outlet** facility, experience in operating Electronics and Mobile Accessories outlet.

- (i) अनुभव, जैसा कि बोलीदाताओं द्वारा दावा किया गया है को, अवार्ड पत्र की प्रतियां/ समझौता/ अनुभव प्रमाण पत्र / कार्य संपन्न प्रमाण पत्र / पत्र पंजीकरण का समर्थन तथा लाभ एवं हानिलेखा की प्रतियां जिसमें स्पष्ट रूप से दावा किये गए व्यवसाय सम्बन्धी आमदनी को दर्शाया गया हो, उक्त वर्णित समर्थित दस्तावेजों के आभाव में केवल सीए प्रमाण पत्र को प्रस्तुत किये गए अनुभव के दावे के रूप में विचार नहीं किया जाएगा. एक घोषणा जिसमें वर्णित हो कि दी गई जानकारी सत्य है को भी प्रस्तुत करना होगा।

The experience, as claimed by the bidders, to be supported by copies of award letters / agreement / experience certificate / work completion certificate / corroboration of registration and Profit & Loss Account clearly depicting the incomes from the claimed business. In the absence of above-mentioned supporting documents, merely submitting CA Certificate will not be considered to testify the claimed experience. An undertaking that the furnished information is true also needs to be submitted.

- (ii) यदि विदेशी मूल की मूल ब्रांड रिटेल कंपनी के पास भारतीय प्रबंधन/फ्रैंचइजी टाई-अप है या किसी भारतीय कंपनी के तहत उनके नाम से उन्हें चलाना भी योग्य है।

If the original branded* retail company of foreign origin has Indian management / franchise tie-up or running them under their own name under an Indian company are also eligible.

* "**ब्रांड**" का मतलब किसी विशेष कंपनी द्वारा किसी विशेष नाम या विशिष्ट प्रतीक, मार्क, लोगो, नाम, शब्द, वाक्य या इन वस्तुओं के संयोजन के तहत निर्मित उत्पादों से होगा जो कंपनियां बाजार में दूसरों से अपने उत्पाद को अलग करने के लिए उपयोग करती हैं तथा यह कानूनी सुरक्षा के लिए, ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत है।

* "**Brand**" shall mean a type of product manufactured by a particular company under a particular name or a distinguishing symbol, Mark, logo, name, word, sentence or a combination of these items that companies use to distinguish their product from others in the market and for legal protection, is registered as a trademark.

(B) वित्तीय क्षमता

Financial Capacity:

- i. **₹. 6,14,400/-** के न्यूनतम सकल टर्नओवर का प्रमाणित विवरण जिसमें से 50% अर्थात **₹ 3,07,200/-** (अर्हक टर्नओवर) उस व्यवसाय से होना चाहिए जिसके लिए अनुभव का दावा किया गया है और **सकारात्मक नेट वर्थ** द्वारा किया जाना है. निविदा विधिवत रूप से चार्टर्ड /संविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए (अनुबंध : ई के अनुसार)

Certified details of **Minimum Gross Turnover** of **Rs. 6,14,400/-** out of which 50% i.e. **Rs. 3,07,200/- Qualifying Turnover** should be from the business for which experience

* नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

*Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

has been claimed and **Positive Net Worth** to be submitted by the tenderer duly certified by Chartered Accountant/Statutory Auditor (as per **Annexure: E**).

- ii. कंपनी/एजेंसी का टर्नओवर किसी भी वित्तीय वर्ष में होना चाहिए जिसके लिए तकनीकी अनुभव का दावा किया गया है।

The turnover of the company/agency should be in **any one of the financial years** for which technical experience has been claimed.

- iii. बोली लगाने वाले के कई व्यवसायों के मामले में, टर्नओवर की सुविधा से प्रस्तुत किए जाने वाले विशिष्ट हेड के साथ **टर्नओवर**(वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित / चार्टर्ड अकाउंटेंट) का ब्रेक अप प्रस्तुत करें।

In case of multiple businesses of bidder, the **breakup of the turnover** (certified by chartered accountant / statutory auditor) with the specific head as from the tendered facility to be submitted.

- iv. बोली लगाने वाले के लैटर हेड पर विधिवत हस्ताक्षर के साथ सम्बंधित टर्नओवर का कुल तथा ब्रेकअप की घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

Duly signed undertaking on the letter head of the bidder regarding overall as well as break-up of turnover should also be submitted.

- v. पॉजिटिव नेट वर्थ को विधिवत रूप से चार्टर्ड अकाउंटेंट/सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा / प्रमाणित करनिविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा(अनुलग्नक :ई के अनुसार)।

Positive Net Worth to be submitted by the tenderer duly certified by Chartered Accountant / Statutory Auditor (as per **Annexure: E**).

- vi. बोलीदाता द्वारा जमा किये गए दस्तावेजों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए, विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या (यूडीआईएन) का चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों में अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

To verify the authenticity of documents submitted by the bidder, the Unique Document Identification Number (UDIN) should be mandatorily mentioned in the documents certified by Chartered Accountant.

10. केवल एक ई- निविदा दस्तावेज, किसी एक पार्टी को या तो एक फर्म या एक व्यक्ति को बेचा जाएगा. एक से अधिक कंपनी या फर्म के मालिक को एकल पार्टी और एक कानूनी इकाई माना जाएगा।

Only one e-tender document shall be sold to a single party either a firm or an individual. The proprietor of more than one company or firm will be considered as single party and one legal entity.

11. कोई पार्टी या फर्म या व्यक्ति जो निम्न श्रेणी के तहत पात्र नहीं हैं को योग्य नहीं माना जाएगा: -

Any party either a firm or an individual falling under the following categories is not eligible: -

- a. कंसोर्टियम की अनुमति नहीं है।

Consortium is not allowed.

- b. सीबीआई या भाविप्रा या उपक्रमों / विभागों जैसे रेलवे, रक्षा, या राज्य सरकार का कोई अन्य विभाग आदि द्वारा डी बार / ब्लैक लिस्टेड आदि इस आशय की घोषणा भी पार्टी द्वारा निविदा दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

De-barred / blacklisted by CBI or AAI or Undertakings/Departments like; Railway, Defense, or any other Department of Govt. of India, State Govt. Deptt. etc. A declaration to this effect is also to be submitted by the party with tender documents.

- c. भाविप्रा के साथ , पीपीई अधिनियम के तहत कार्रवाई का सामना करने वाली पार्टियाँ।

Parties facing action under PPE Act, with AAI.

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

•Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

- d. पार्टी या तो एक व्यक्ति या एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जिसे कानून के एक न्यायालय द्वारा भाविप्रा के किसी भी हवाई अड्डे द्वारा बकाया राशि हेतु भुगतान का आदेश दिया तथा उनके द्वारा भाविप्रा को ऐसा भुगतान नहीं किया गया है, ई-निविदा के लिए पात्र नहीं होगा।

Parties either an individual or a business establishment, who has been ordered by a Court of Law to pay the outstanding dues of AAI at any of the airports as a whole and has not paid such dues to AAI, shall also not be eligible for the e-tender.

- e. यदि किसी भी निविदा में भाग लेने वाली इकाई एक निजी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म या एकमात्र प्रोप्राइटर है और ऐसी कंपनी के किसी निदेशक / साझेदार / एकमात्र प्रोप्राइटर भी किसी अन्य कंपनी के निदेशक या किसी सम्बंधित कंपनी के भागीदार हैं या एक एकमात्र मालिक के पास भाविप्रा के साथ व्यवसाय स्थापित किया है और भाविप्रा को देय बकाया है, तो उक्त इकाई को भाविप्रा निविदाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा विवाद समाधान / मध्यस्थता के लिए संदर्भित विवादित राशियों को बकाया राशि नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि एजेंसी ने विवादित राशि (मौजूदा लाइसेंस के नियमों और शर्तों के अनुसार सुरक्षा जमा के अलावा) के मूल्य के 50% के बराबर अतिरिक्त सुरक्षा जमा या करार में निर्धारित राशि जमा किया हो। मध्यस्थता के तहत विवादित बकाया के इस सुरक्षा जमा की अवधि डीआरसी / मध्यस्थता की तिथि से न्यूनतम 02 (दो) वर्ष और आगे नवीकरणीय होगी।

विशिष्ट आदेश/न्यायिक न्यायालय का निर्णय / आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के विशिष्ट आदेश / कुछ बकाया की वसूली रोककर, उपरोक्त आदेश का पालन विशिष्ट आदेशों के अनुसार छूट और विनियमित किया जाएगा।

If the entity participating in any of the tenders is a private or Public Limited Company, Partnership Firm or sole proprietor and any of the Director / partners / sole proprietor of such company is also a Director of any other company or partner of a concern or a sole proprietor having established business with AAI and has outstanding dues payable to AAI, then the said entity shall not be allowed to participate in AAI tenders.

The disputed amounts which are referred for Dispute Resolution / Arbitration by the Competent Authority shall not be considered as outstanding dues provided the agency has furnished an additional validated Security Deposit (in addition to the Security Deposit as per the terms & conditions of the existing license) equivalent to 50% of the value of the disputed amount or as stipulated in the agreement. The period of this Security Deposit of disputed dues under arbitration shall be **minimum 02 (two) years** from the date of DRC / Arbitration and further renewable.

In the event of specific Order / judgment from a Judicial Court / Arbitral tribunal staying / withholding the realization of certain dues, the adherence to the above condition will be exempted and regulated in accordance with the specific orders.

- f. इस आशय की एक घोषणा कि टेंडरर ए, बी), सी), डी) और ई) उक्त श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आता है और उसे तकनीकी बोली में प्रस्तुत किया जाना है (संदर्भ अनुलग्नक : जी)।

A declaration to the effect that the Tenderer does not fall under the categories a), b), c), d) and e) above has to be submitted in the Technical Bid. (**Refer Annexure: G**).

- g. निम्न घोषणा भी अनुलग्नक: जी का हिस्सा होगा

मैं /हम घोषणा करते हैं कि "किसी भी हवाई अड्डे के परिसर में भाविप्रा द्वारा दिए गए लाइसेंस के संबंध में किसी भी विनियामक प्राधिकरण द्वारा मेरे और/या कंसोर्टियम के किसी सदस्य या हमारे/उसके सहयोगियों के विरुद्ध या किसी निदेशक/प्रबंधक/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई छापा /जब्ती/तलाशी नहीं ली गई है अथवा न ही लंबित है"

(यदि छापा/जब्ती/तलाशी ली जाती है, तो कृपया ऐसे सभी प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत करें)।

Following declaration will also be part of **Annexure: G**

I/ We declare that "No raid/seizure/search has been carried out and/or pending by a Regulatory Authority in respect of the license granted by AAI in any of the Airport premises either against me and/or any member of the consortium or against our/its affiliates or against any of the Directors / Managers / Employees"

(In case if raids/seizure/search conducted, please furnish all such relevant details).

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

•Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

12. ई-टेंडर दस्तावेजों में लाइसेंस के पूर्ण विवरण को दर्शाता ई-टेंडर दस्तावेजों को एन.आई.सी. सी.पी.पी.ई-निविदाकरण पोर्टल पर etenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

E-Tender documents indicating full details of the licence can be seen in the e-tender documents uploaded on the NIC CPPP E-Tendering Portal at **etenders.gov.in**

- a) बिड केवल एन.आई.सी. सी.पी.पी. ई-निविदाकरण पोर्टल पर etenders.gov.in पर प्रस्तुत की जाएगी।
The bids shall be submitted only on the NIC CPP e-tendering portal at etenders.gov.in.
- b) बिड को किसी अन्य रूप में नहीं स्वीकार किया जाएगा।
The bids shall not be accepted in any other form
- c) ई-निविदाकरण प्रक्रिया एन.आई.सी. सी.पी.पी.ई-निविदाकरण पोर्टल etenders.gov.in पर ऑनलाइन है।
The e-tendering process is online at NIC CPPP E-Tendering Portal at etenders.gov.in
- d) निविदाकर्ताओं से अनुरोध/ सलाह दी जाती है कि ई-निविदा भागीदारी की आवश्यकता के लिए ऊपर उल्लिखित एन.आई.सी. सी.पी.पी.ई-निविदाकरण पोर्टल etenders.gov.in पर स्वयं को परिचित करवाएं।
Tenderers are requested/advised to get themselves acquainted for e-tendering participation requirement themselves at NIC CPPP E-Tendering Portal at etenders.gov.in mentioned above.
- e) यदि कोई स्पष्टीकरण की जरूरत हो तो उसे केवल एन.आई.सी. सी.पी.पी.ई-निविदाकरण पोर्टल के माध्यम से ही भेजा जा सकता है।

Clarification needed, if any, may be sent through NIC CPPP E-Tendering Portal only.

13. निविदा शुल्क और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (ईएमडी) की लागत का भुगतान बोली लगाने वालों को ONLINE PAYMENT GATEWAY provided at e-tender portal itself के माध्यम से निविदा प्रस्तुत करने के निर्धारित समय से पहले निम्न अनुसार "भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण" के पक्ष में करना होगा:-

The cost of tender fee and Earnest Money Deposit (EMD) shall be paid by the bidders through ONLINE PAYMENT GATEWAY provided at e-tender portal itself in favour of "Airports Authority of India," before the schedule time of tender submission as per under:-

- a) **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण** के पक्ष में ऑनलाइन भुगतान/पेमेंट गेटवे जो कि ई-निविदा पोर्टल पर ही उपलब्ध कराया गया है, के माध्यम से ई-निविदा जमा करने के निर्धारित समय से पहले बोलीदाताओं द्वारा रुपये **2,000/-** (रुपये दो हजार केवल) की निविदा शुल्क (रिफंडेबल रुपये) का भुगतान किया जाएगा।

किसी और माध्यम से भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

The Cost of tender fees (non-refundable) amounting to **Rs.2,000/- (Rupees Two Thousand only)** shall be paid by the bidders before the scheduled time of e-tender submission through ONLINE PAYMENT GATEWAY provided at e-tender portal itself.

No other mode of payment shall be acceptable.

- b) **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण** के पक्ष में ऑनलाइन भुगतान/पेमेंट गेटवे जो कि ई-निविदा पोर्टल पर ही उपलब्ध - कराया गया है, के माध्यम से ई-निविदा प्रस्तुत करने के निर्धारित समय से पहले बोलीदाताओं द्वारा रुपये-**₹.50,000/-** (रुपये पचास हजार केवल) की बयाना जमा धनराशि का भुगतान किया जाएगा। (ईएमडी)

किसी और माध्यम से भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

The amount of Earnest Money Deposit (EMD) of **Rs.50,000/- (Rupees Fifty Thousand Only)** shall be paid by the bidders before the scheduled time of e-tender submission through ONLINE PAYMENT GATEWAY provided at e-tender portal itself".

No other mode of payment shall be acceptable.

- c) उपरोक्त भुगतानों के प्रमाण/दस्तावेजों की एक प्रति अर्थात् ऑनलाइन भुगतान गेटवे जो कि ई-निविदा पोर्टल पर ही उपलब्ध कराया गया के माध्यम से (किए गए निविदा दस्तावेज और ईएमडी की लागत) अपलोड किया जाएगा (यानी स्कैन की गई प्रतियाँ) बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले तकनीकी बोली दस्तावेजों के साथ ही जमा

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

•Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

(ऑनलाइन) जमा करवाया जाएगा।

A copy of the proof / documents of the above payments (i.e. cost of tender document and EMD) made through online through Payment Gateway is to be uploaded (i.e. scanned copy) along with the technical bid documents to be submitted by the bidders (online).

- d) निविदा दस्तावेज तथा ईएमडी की लागत को प्रस्तुत न करने की स्थिति में निविदाकर्ता को अयोग्य माना जाएगा।

Non-submission of cost of tender document and EMD shall lead to disqualification of tenderers.

- e) यदि किसी पक्ष द्वारा ईएमडी तथा निविदा शुल्क जमा करवा दिया गया है, किन्तु निविदा प्रक्रिया में उसके द्वारा भाग नहीं लिया जाता है, अर्थात् पार्टी द्वारा एनआई सीसीपीपीपोर्टल पर अपनी बोली प्रस्तुत (जमा) नहीं की जाती है और उसका नाम बोली निविदा (प्रस्तुत) सूची में प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो ऐसी पार्टी के अनुरोध पर, पार्टी द्वारा ईएमडी के लिए भुगतान की गई राशि को ईएमडी की राशि से **10%** की कटौती के बाद वापस किया जा सकता है। हालाँकि, इस मामले में निविदा शुल्क को वापस नहीं किया जाएगा।

In case a party has deposited EMD and Tender Fee but does not participate in the tender process i.e. the party has not submitted his bid on NIC CPP portal and his name is not appearing in the bids submitted list, then, on request of such party, amount paid towards EMD by the party may be refunded after deduction of **10%** of EMD amount. However, the Tender Fee shall not be refunded in this case.

- f) यदि बोलीदाता तकनीकी बोली की तारीख और समय खोलने से पहले निविदा प्रक्रिया से नाम वापस लेता है, तो ईएमडी राशि का **10%** जब्त कर लिया जाएगा।

In case bidder withdraws from tender process before opening of technical bid date and time, **10%** of EMD amount shall be forfeited.

- g) तकनीकी बोली खोलने के बाद और वित्तीय बोली खोलने से पहले, यदि कोई एजेंसी निविदा प्रक्रिया से नाम वापस लेती है, तो पार्टी की ईएमडी को जब्त कर लिया जाएगा और पार्टी **श्री गु.रा.दा.जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमृतसर** पर किसी भी निविदा में भाग लेने हेतु प्रतिबंधित कर दी जाएगी तथा प्रतिबन्ध की समाप्ति की तारीख से **एक (01) वर्ष तक के लिए** किसी भी निविदा में भाग नहीं ले पाएगी।

After opening of the technical bid and before opening of financial bid, if any agency withdraws from tender process, the EMD of the party shall be forfeited and the party liable to be debarred for participation in any tender at **SGRDJI Airport, Amritsar** for **one (01) year** from the date of debarment.

- h) हालाँकि, वित्तीय बोली खोलने के बाद, निविदा में एच-1 होने के नाते अगर पार्टी अपनी बोली वापस लेती है या अवार्ड पत्र जारी करने के बाद, पार्टी अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा नहीं करती है तो अग्रिम जमा राशि को जब्त कर लिया जाएगा तथा उक्त बिडर को भाविप्रा के किसी भी निविदा में भाग लेने के लिए, डीबारमेंट की तिथि से **एक (01) वर्ष** की अवधि के लिए वंचित कर दिया जाएगा।

However, after opening of financial bid, being H-1 in the tender if the party withdraws its bid or after issuance of award letter, the party does not complete the requisite formalities, EMD shall be forfeited and the said bidder will be liable to be debarred from participating in any tender of AAI for **one (01) year** from the date of debarment.

14. ई-बोली, दोबोली प्रणाली में निम्न अनुसार प्रस्तुत की जाएगी:-

E-bids shall be submitted in two bid system as follows:-

- i. **तकनीकी बोली:** खंड 3 के तहत ई-निविदा आमंत्रण सूचना की सामान्य सूचना / दिशानिर्देशों के अनुसार अग्रिम जमा राशि (ईएमडी), निविदा शुल्क तथा अन्य अपेक्षित दस्तावेज।

Technical bid – Earnest Money Deposit (EMD), Tender fee and other documents as required under **Clause 3** of the General Information / Guidelines of Notice Inviting e-Tender

- ii. **वित्तीय बोली:** खंड 4 के तहत ई-निविदा आमंत्रण सूचना की सामान्य सूचना/दिशानिर्देश के अनुसार अपेक्षित।

Financial Bid – As required under **Clause 4** of General Information / Guidelines of Notice Inviting e-Tender.

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

• Note- In case any sort of contradiction arises, only English text will be valid.

15. महत्वपूर्ण तिथियां**Critical Dates:**

क्रम सं S.No.	गतिविधियाँ Activity	तिथि एवं समय की सूची Scheduled Dates and Time
1	एनआईसी सीपीपी पोर्टल से ई- निविदा दस्तावेज का डाउनलोड / बिक्री Download / Sale of e-Tender Document from NIC CPP portal	From 26.05.2022 to 01.06.2022 up to 1800 Hrs.
2	ई-निविदा से संबंधित प्रश्नों का जमा करना, यदि कोई हो; केवल एनआईसी सीपीपी पोर्टल पर Submission of queries related to e-Tender, if any; on NIC CPP portal only.	Up to 30.05.2022 By 1300 Hrs.
3	एनआईसी सीपीपी पोर्टल पर भाविप्रा द्वारा प्रश्नों का उत्तर Reply to the queries by AAI on NIC CPP portal	By 31.05.2022 By 1800 Hrs.
4	ई-निविदा पोर्टल पर बोलियां/प्रस्ताव (तकनीकी बोली के साथ-साथ वित्तीय बोली) का ऑनलाइन जमा करना Online submission of Bids/ Proposal(s) (Technical Bid as well as Financial Bid) on e-tender portal	Up to 01.06.2022 by 1300 Hrs.
5	तकनीकी बोलियां/प्रस्ताव (वों)को खोलना (केवल ऑनलाइन) Opening of Technical Bids / Proposal(s) (online only)	On 02.06.2022 at 1330 Hrs.
6	वित्तीय बोलियां/प्रस्ताव (प्रस्तावों) का खोला जाना (केवल ऑनलाइन) Opening of Financial Bids / Proposal(s) (online only)	On 08.06.2022 at 1330 Hrs.

16. भाविप्रा बिना किसी कारण बताए सशर्त निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

AAI reserves to itself the right to reject the conditional tenders without assigning any reason thereto.

17. भाविप्रा बिना कोई भी कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने और किसी भी निविदाकर्ता (निविदाकर्ताओं) से किसी अन्य विवरण या कोई भी जानकारी मांगने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।

AAI reserves to itself the right to reject any or all the tenders without assigning any reason thereof and to call for any other detail or information from any of the tenderer(s).

18. निविदा स्वीकार करने पर, निविदाकर्ता के प्राधिकृत प्रतिनिधि(प्रतिनिधिओं) का नाम जो भाविप्रा के प्राधिकृत अधिकारी को सूचित करने तथा निर्देश लेने हेतु जिम्मेदार होगा।

On acceptance of the tender, the name of the authorize representative(s) of the tenderer who would be responsible for taking instructions from authorized official of the AAI is to be intimated.

विमानपत्तन निदेशक

Airport Director

श्री गु.रा.दा.जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमृतसर

SGRDJI Airport, Amritsar

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

•Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

"बोलीदाताओं हेतु ई-निविदाकरण दिशानिर्देश"
"E-Tendering guidelines to the bidders"

ई-निविदाकरण भागीदारी की आवश्यकताएं: ई-निविदाकरण प्रक्रिया से भाग लेने के इच्छुक बोलीदाता / निविदाकर्ता को भारत सरकार के सार्वजनिक खरीद पोर्टल www.etenders.gov.in में अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है।

E-Tendering Participation Requirements: Interested bidders/tenderers willing to participate through e-tendering process are required to register themselves in the GOI Central Public Procurement Portal www.etenders.gov.in

ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बोली लगाने के लिए ठेकेदारों / बोलीदाताओं को विशेष निर्देश के लिए यहां क्लिक करें या नीचे दिए गए हाइपरलिंक का पालन करें:

<https://etenders.gov.in/eprocure/app?page=HelpForContractors&service=page>

For special Instructions to the Contractors/Bidders for the e-submission of the bids online through e-Procurement Portal [click here](#) or follow hyperlink given below:

<https://etenders.gov.in/eprocure/app?page=HelpForContractors&service=page>

नीचे दिए गए हाइपरलिंक पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध बिडर्स मैनुअल किट:

<https://etenders.gov.in/eprocure/app?page=BiddersManualKit&service=page>

Bidders Manual Kit available for download at the hyperlink given below:

<https://etenders.gov.in/eprocure/app?page=BiddersManualKit&service=page>

पोर्टल के कामकाज के संबंध में किसी भी तकनीकी सहायता के लिए, बोलीदाता नीचे दिए गए एस्कलेशन मैट्रिक्स के अनुसार हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं:

For any technical assistance with regard to the functioning of the portal, the bidders may contact the Help desk according to escalation matrix given below:

CPPP के तहत GePNIC, सहायता केंद्र सेवाएं

CPPP under GePNIC, Help Desk Services

1. किसी भी तकनीकी से संबंधित प्रश्नों के लिए, कृपया हेल्पडेस्क को 24 x 7 हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल करें: 0120-4200462, 0120-4001002, 0120-4001005, 0120-6277787 अंतर्राष्ट्रीय बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे देश कोड के रूप में 91 उपसर्ग करें।

For any technical related queries, please call the Helpdesk at 24 x 7 Help Desk Numbers: 0120-4200462, 0120-4001002, 0120-4001005, 0120-6277787. International bidders are requested to prefix 91 as country code.

नोट -बोलीदाताओं से अनुरोध किया जाता है कि संपर्क विवरण के साथ किसी भी मुद्दे को ईमेल करते समय विषय में पोर्टल और निविदा आईडी के URL का उल्लेख करें। प्रकाशित निविदा से संबंधित किसी भी मुद्दे /स्पष्टीकरण के लिए, कृपया संबंधित निविदा आमंत्रण प्राधिकरण से संपर्क करें।

Note- Bidders are requested to kindly mention the URL of the Portal and Tender Id in the subject while emailing any issue along with the Contact details. For any issues/ clarifications relating to the tender(s) published, kindly contact the respective Tender Inviting Authority.

टेलीफोन / Telephone: 0120-4001002, 0120-4001005, 0120-6277787

ई-मेल/E-Mail :support-eproc@nic.in

2. किसी भी नीति संबंधी मामलों /स्पष्टीकरण के लिए, कृपया वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग से संपर्क करें।

For any Policy related matter / Clarifications, please contact Dept. of Expenditure, Ministry of Finance.

ई-मेल / E-Mail: cppp-doe@nic.in

3. भाविप्रा निविदा(ओं) के प्रकाशन और प्रस्तुत करने से संबंधित किसी भी मुद्दे /स्पष्टीकरण के लिए

For any Issues / Clarifications relating to the publishing and submission of AAI tender(s)

- a) विक्रेताओं / बोलीदाताओं के साथ-साथ भाविप्रा से आंतरिक उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए, CPPP निविदा GePNIC <https://etenders.gov.in> के लिए 0800-2000 घंटों के बीच हेल्प डेस्क सेवाएं शुरू की गई हैं। हेल्प डेस्क सेवाएं 0800-2000 घंटों के बीच सभी कार्य दिवसों (रविवार और राजपत्रित अवकाश को छोड़कर) पर उपलब्ध होंगी और केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) के उपयोग से संबंधित मुद्दों पर उपयोगकर्ताओं की सहायता करेंगी।

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

•Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

In order to facilitate the Vendors / Bidders as well as internal users from AAI, Help desk services have been launched between 0800-2000 hours for the CPPP under GePNIC <https://etenders.gov.in>. The help desk services shall be available on all working days (Except Sunday and Gazetted Holiday) between 0800-2000 hours and shall assist users on issues related to the use of Central Public Procurement Portal (CPPP).

- b) प्रश्नों को प्रस्तुत करने से पहले, बोलीदाताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे "दिशानिर्देश टू बिडर्स" में दिए गए निर्देशों का पालन करें और अपने कंप्यूटर सिस्टम को "सीपीपीपी के लिए सिस्टम सेटिंग्स" पोर्टल में निर्दिष्ट अनुशंसित सेटिंग्स के अनुसार कॉन्फिगर करें।

Before submitting queries, bidders are requested to follow the instructions given in "Guidelines to Bidders" and get their computer system configured according to the recommended settings as specified in the portal at "System Settings for CPPP".

4. किसी भी समस्या का सामना करने के मामले में, एस्कलेशन मैट्रिक्स नीचे वर्णित है:

In case of any issues faced, the escalation matrix is as mentioned below:

क्र.सं S.No.	सपोर्ट पर्सन्स Support Persons	एस्कलेशन मैट्रिक्स Escalation Matrix	ई-मेल एड्रेस E-mail address	हेल्प डेस्क नंबर Help Desk Number	समय Timings
1.	तकनीकी हेल्प डेस्क टीम Technical HelpDesk Team	इंस्टेंट सपोर्ट Instant Support	eprochelp@aai.aero	011-24632950, Ext-3512 (6Lines)	0800-2000 Hrs. (MON- SAT)
2.	श्री संजीव कुमार क.कार्य (आईटी) Sh. Sanjeev Kumar, Jr. Exe.(IT)	जारी करने के 4 घंटे बाद After 4 Hours of issue	etendersupport@aai.aero or sanjeevkumar@aai.aero	011-24632950, Ext-3523	0930-1800 Hrs. (MON- FRI)
3.	श्रीमती धर्मेन्द्र कुमार सय.महा.प्र (आईटी) Sh. Dharmendra Kumar, JtGM(IT)	12 घंटे बाद After 12 Hours	dkumar@aai.aero	011-24632950, Ext-3527	0930-1800 Hrs. (MON- FRI)
4	बिड प्रबंधक श्रीमती हरमनजोत कौर (वाणिज्य) Bid Manager – Sh. Harmanjote Kaur, Asth. Mger (Comml)	12 घंटे बाद After 12 Hours	asr_comml@aai.aero harmanjote@aai.aero	0183-2204119, 2204120	0930-1800 Hrs. (MON- FRI)
5.	महाप्रबंधक (आईटी) General Manager (IT)	3 दिन के बाद After 3 days	gmitchg@aai.aero	011-24657900	0930-1800 Hrs. (MON- FRI)
6.	वाणिज्य प्रभारी Commercial In- Charge	3 दिन के बाद After 3 days	asr_comml@aai.aero	0183-2204119, 2204120	0930-1800 Hrs. (MON- FRI)

* हेल्पडेस्क सेवाएं सभी सरकारी राजपत्रित अवकाशपर बंद रहेंगी।

- उपरोक्त उल्लिखित हेल्प डेस्क नंबर केवल ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर मुद्दों से संबंधित प्रश्नों के लिए हैं और पोर्टल के संचालन में आवश्यक मदद के लिए हैं।
- पोर्टल पर प्रकाशित निविदाओं से संबंधित प्रश्नों के लिए, बोली लगाने वालों को भाविप्रा के संबंधित बोली प्रबंधक से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।

* The Helpdesk services shall remain closed on all Govt. Gazetted Holidays.

- The above-mentioned help desk numbers are intended only for queries related to the issues on e-procurement portal and help needed on the operation of the portal.
- For queries related to the tenders published on the portal, bidders are advised to contact concerned Bid Manager of AAI.

* नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

*Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

सामान्य सूचना एवं दिशानिर्देश
GENERAL INFORMATION AND GUIDELINES

- 1 ई-निविदा दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है
E-Tender Documents are not transferable.
- 2 बिडर/टेंडरर द्वारा निम्न बिल को ई-पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही प्रस्तुत किया जाएगा
Following bids shall be submitted through online only at e-portal by the bidder / tenderer:-
 - a.) तकनीकी ई-बिड पोर्टल के माध्यम से /**The technical e-bid through e-portal.**
 - b.) वित्तीय ई बिड पोर्टल के माध्यम से /**The financial e-bid through e-portal.**

3 तकनीकी बिड

तकनीकी बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता या निविदाकर्ता द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। **नोटरी पब्लिक (एनेक्सचर: बी के अनुसार प्रारूप) द्वारा विधिवत सत्यापित रु100/-के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्राधिकरण (पावर ऑफ अटॉर्नी)।** तकनीकी ई-बिड जो पहले खोली जाएगी, में निम्नलिखित दस्तावेज होंगे:-

Each page of Technical Bid should be signed by the tenderer or person authorized by the tenderer. **The authorization (Power of Attorney) on Non-Judicial Stamp Paper of Rs.100/- duly attested by Notary Public** (Format as per **Annexure: B**). The technical e-bid which will be opened first, shall contain the following documents specified as under:-

बिडर्स तकनीकी दस्तावेज के एक भाग के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी को ETIC.gov.in पर NIC CPPP E-Tendering पोर्टल पर पठनीय रूप में अपलोड कर सकते हैं:- :

Bidders shall upload scanned copy of following documents along with authorization letter in readable form at NIC CPPP E-Tendering Portal at **etenders.gov.in** as a part of technical bid:-

- a) प्राधिकरण पत्र (पावर ऑफ अटॉर्नी) उन व्यक्ति (यों) के पक्ष में जो बोलीदाता की ओर से रु 100/- के गैरन्यायिक - स्टाम्प पेपर जो नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित है (प्रारूप बी के अनुसार) में हस्ताक्षर कर रहा है/रहें हैं। हालांकि, प्रोपराइटरशिप को ऐसे प्रस्तुति के लिए छूट दी जाती है जहाँ वे खुद बोली दास्तावेज पर हस्ताक्षर करता/करती है।
Letter of Authorization (Power of Attorney) in favour of person(s) who is/are signing the bid documents on behalf of the bidder on **Non-Judicial Stamp Paper of Rs.100/- duly attested by Notary Public** (Format as per **Annexure: B**). However, the Proprietorship entity is exempted for such submission where proprietor himself / herself has signed the bid document.
- b) बिना शर्त स्वीकृति जो विधिवत हस्ताक्षरित हो (निविदा दस्तावेजों के साथ **अनुलग्नक के रूप में संलग्न :सी**)।
Form of unconditional acceptance duly signed (enclosed as **Annexure: C** along with tender documents).
- c) सम्बन्धित का विवरण और कानूनी स्थिति कि क्या वह कंपनी अधिनियम के तहत एकमात्र मालिक, साझेदारी फर्म या एक कंपनी है। विवरण **अनुलग्नक डी** : के अनुसार प्रदान किया जाएगा।
Details of the concern and legal status that is whether it is sole proprietor, partnership firm or a company under the Companies Act. Details to be provided s per **Annexure:D**
- d) PAN कार्ड, GST संख्या या कोई अन्य पहचान संख्या की स्वयं सत्यापित प्रति ,जैसा लागू यदि कोई या सभी उपरोक्त प्रावधान लागू नहीं होते तो पार्टी इस सम्बन्ध में घोषणा पत्र देगी। **गैर प्रस्तुति को छूट नहीं माना जाएगा।** भाविप्रा पार्टी द्वारा प्रस्तुत गैर-प्रयोज्यता की घोषणा को स्वीकार करने से पहले प्रावधानों की कानूनी प्रयोज्यता की पुष्टि करने का अधिकार रखता है।
Self-attested copies of the PAN Card, GST Number or any such statutory Identification Number, as applicable. In case any or all the provisions mentioned above are not applicable, the party should give a declaration to that effect. **Non submission will not be considered as exemption.** AAI reserves the right to confirm the legal applicability of the provisions before

accepting the declaration of non-applicability as submitted by the party.

- e) (विधिवत लेखा परीक्षा और चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित) कंपनी के कानून के अनुसार कंपनी के मामले में एकल सम्बंधित प्रोपराइटर या पार्टनरशिप फर्म की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट , यदि कंपनी सम्बन्धी मामला है तो कंपनी एक्ट के तहत वार्षिक रिपोर्ट की विधिवत हस्ताक्षरित कॉपी ।

Copies of (duly audited and certified by a Chartered Accountant) Profit and Loss Account / Balance sheet of the Sole Proprietor Concern or a Partnership Firm, Annual Report in case of Company as per the Companies Act.

- f) फर्म के मामले में साझेदारी विलेख तथा कंपनी के मामले में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तथा मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन की स्व-सत्यापित प्रतियाँ और सहकारी समितियों के मामले में कानून द्वारा अनुमोदित।

Self-attested copies of Memorandum and Articles of Association in case of Companies, and Partnership deed in case of Firms, and approved by-laws in case of Co-Operative Societies

- g) (i) बोलीदाताओं को निविदा शुल्क गैर-वापसी योग्य की लागत **₹ 2,000/-** (रुपये दो हजार केवल) जमा करना होगा । निविदा लागत को भा.वि.प्रा. के पक्ष में ऑनलाइन भुगतान/पेमेंट गेटवे जो कि ई-निविदा पोर्टल पर ही उपलब्ध कराया गया है, के माध्यम से जमा किया जाएगा। कोई अन्य भुगतान विधि स्वीकार्य नहीं होगी। ऑनलाइन भुगतान/पेमेंट गेटवे के माध्यम से निविदा लागत के भुगतान सम्बन्धी दस्तावेज की एक प्रति तकनीकी बोली में अपलोड की जाएगी।

निर्धारित तिथि और समय अनुसार निविदा लागत का भुगतान न करने पर निविदाकर्ता (ओं) को अयोग्य ठहराया जाएगा। The Bidders are required to furnish Cost of tender fee (non-refundable) amounting to **Rs.2,000/-** (Rupees Two Thousand only). The tender cost shall be deposited via **ONLINE PAYMENT GATEWAY** provided at the e-tender portal itself to **"AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA"**. No other mode of payment shall be acceptable. A copy of document indicating payment of tender cost through **ONLINE PAYMENT GATEWAY** is to be uploaded in the technical bid. **Non-payment of tender cost by the stipulated date & time shall lead to disqualification of tenderer(s).**

(ii) बोलीदाताओं को **₹ 50,000/-** के अग्रिम राशि जमा करने की आवश्यकता होगी। ईएमडी को भा.वि.प्रा. के पक्ष में ऑनलाइन भुगतान/पेमेंट गेटवे जो कि ई-निविदा पोर्टल पर ही उपलब्ध कराया गया है, के माध्यम से जमा किया जाएगा। कोई अन्य भुगतान विधि स्वीकार्य नहीं होगी। ऑनलाइन भुगतान/पेमेंट गेटवे के माध्यम से ईएमडी के भुगतान सम्बन्धी दस्तावेज की एक प्रति तकनीकी बोली में अपलोड की जाएगी। **निर्धारित तिथि और समय अनुसार ई.एम.डी. का भुगतान न करने पर निविदाकर्ता (ओं) को अयोग्य ठहराया जाएगा।**

The Bidders are also required to furnish Earnest Money Deposit of **Rs.50,000/-** (Rupees Fifty Thousand only). The EMD shall be deposited **ONLINE PAYMENT GATEWAY** provided at the e-tender portal itself to **"AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA"**. No other mode of payment shall be acceptable. A copy of document indicating payment of EMD through **ONLINE PAYMENT GATEWAY** is to be uploaded in the technical bid. **Non-payment of EMD by the stipulated date & time shall lead to disqualification of tenderer(s).**

टिप्पणी

नकद /डिमांड ड्राफ्ट या किसी अन्य रूप में ईएमडी स्वीकार नहीं किया जाएगा। संभावित बोलीदाता यह भी ध्यान रखेंगे कि उन्हें निविदा प्रक्रिया के दौरान किसी भी भाविप्रा कर्मचारी को ऑनलाइन भुगतान/पेमेंट गेटवे के रूप में बैंक हस्तांतरण के माध्यम से ईएमडी जमा करने के किसी भी दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने या किसी भी भाविप्रा कर्मचारी से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी परिदृश्य में, बोली लगाने से पहले किसी भी दस्तावेज के भौतिक प्रस्तुतिकरण के लिए किसी भी भाविप्रा कर्मचारी को प्रस्तुत /संपर्क करने के लिए संभावित बोलीदाताओं की आवश्यकता नहीं होती है। ईएमडी के बिना निविदा /बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

Note:

EMD in the form of cash/Demand Draft or any other form shall not be accepted. Prospective Bidders shall also note that they are not required to contact any AAI employee or submit any documentary evidence of submission of EMD via Bank Transfer in the form of **ONLINE PAYMENT GATEWAY** to any AAI employee during the process of the tender. In no scenario, the prospective bidders are required to submit / contact any AAI employee for physical submission of any documents before opening of the bids. Tenders/bids without EMD shall not be considered.

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

•Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

ईएमडी का रिफंड :-

असफल बोलीदाताओं द्वारा बैंक ट्रांसफर मोड (ऑनलाइन भुगतान/पेमेंट गेटवे) के माध्यम से प्राप्त किया गया ईएमडी केवल उसी माध्यम से असफल बोलीकर्ताओं की ईएमडी को ऑनलाइन माध्यम से, उसी माध्यम से वापस किया जाएगा तथा इस बैंक खाता में इसका विवरण "अनुबंध: जे" के अनुसार अपेक्षित है, को तकनीकी बिड के भाग के रूप में प्रस्तुत करना होगा। पात्रता / तकनीकी चरण को पूरा करने में विफल रहने वाले बोलीदाताओं को ईएमडी की वापसी वित्तीय बोली खोलने के पंद्रह (15) दिनों के भीतर शुरू की जाएगी।

Refund of EMD:

EMD of unsuccessful bidders received through bank transfer mode (**ONLINE PAYMENT GATEWAY**) shall be refunded online through the same mode only and it shall be refunded in the Bank account whose detail is required as per "Annexure: J" to be submitted as part of technical bid. The refund of EMD to bidders who fail to qualify the eligibility /technical stage shall be initiated within fifteen (15) days of opening of financial bid.

h) अदेय प्रमाण पत्र/ No Dues Certificate:**i. बकाया राशि का स्वघोषणपत्र/ Self-Declaration of Dues:**

पार्टी को सभी भाविप्रा नियंत्रित हवाई अड्डों और कार्यालयों में आयोजित (वर्तमान और पिछले) अनुबंधों का विवरण और सुरक्षा जमा और सिक्क्योरिटी डिपॉजिट (अनुलग्नक :जी का संदर्भ लें)के मोड के विवरण के साथ विवादित और निर्विवाद बकाया का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

The party should submit the details of contracts held (**current and past**) at all AAI controlled airports and offices and the details of **disputed and undisputed dues** there on along with the details of **Security Deposit** and mode of Security Deposit (**Refer Annexure: G**).

ii. भाविप्रा से अदेय बकाया प्रमाण पत्र / No Dues Certification fromAAI:

पार्टी द्वारा भाविप्रा नियंत्रण में सभी हवाई अड्डों के संबंध में दिनांक 31.03.2022 तक जारी किए गए अपने अदेय प्रमाण पत्र को भी संलग्न करना होगा । केवल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र मान्य होगा। निविदा प्रस्तुत करने के समय पार्टी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र की छायाप्रतिअनुलग्नक I के प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी।

The party should also enclose the no dues certificate issued by AAI up to 31.03.2022 in respect of all airports under its control. **Only signed certificate will be valid.** Photocopy of the signed certificate to be attested by the party at the time of tender submission. Format as per **Annexure: I**

iii. यदि ई-टेंडर में भाग लेने वाली संस्था एक निजी या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, तो पार्टनरशिप फर्म या सोल प्रोप्राइटर और ऐसी कंपनी के किसी भी निदेशक या पार्टनर /सोल प्रोप्राइटर किसी अन्य कंपनी के निदेशक या सम्बंधित के भागीदार या एकमात्र प्रोपराइटर ने भाविप्रा के साथ व्यवसाय स्थापित किया है और भाविप्रा को देय बकाया राशि है, तब भाविप्रा ई-टेंडर में उक्त इकाई को अनुमति नहीं दी जाएगी। इस आशय की एक घोषणा पार्टी/ निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत करना होगा (संलग्न :Gदेखें)

If the entity participating in the e-tender is a private or public limited company, Partnership Firm or Sole Proprietor and any of the Directors / Partners / Sole Proprietor of such company is also a director of any other company or partner of a concern or a Sole Proprietor having established business with AAI and has outstanding dues payable to AAI, then the said entity shall not be allowed in AAI e-tenders. A declaration to this effect has to be submitted by the party / tenderer. (**ReferAnnexure:G**)

iv. पार्टी या तो एक व्यक्ति या एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जिन्हें कानून के न्यायालय द्वारा भाविप्रा के किसी भी हवाई अड्डे को बकाया भुगतान हेतु आदेश प्राप्त हुआ है तथा उनके द्वारा भाविप्रा को ऐसा बकाया नहीं दिया गया है भी ई-निविदा के लिए पात्र नहीं होंगे । इस आशय की एक घोषणा पार्टी /निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जायेगी

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

•Note- In case any sort of contradiction arises , only English textwill be valid.

(संलग्न :जी देखें)।

The Parties either an individual or a business establishment, who has been ordered by a **Court of Law** to pay the **outstanding dues** of AAI at any of the airports as a whole and has not paid such dues to AAI, shall also not be eligible for the e-tender. A declaration to this effect has to be submitted by the party / tenderer. **(Refer Annexure: G)**

- v. बीच की अवधि के दौरान यानी निविदा प्रस्तुत करने के बाद और अवार्ड को अंतिम रूप देने से पहले, यदि कोई राशि **एच-1 सम्बन्धी बोली लगाने वाले** के खिलाफ बकाया पाई जाती है, तो बोलीदाता लाइसेंस के अवार्ड से पहले इस तरह के बकाया निर्विवादका भुगतान करेगा। इस प्रयोजन के लिए, सभी बोलीदाता निविदाओं के साथ एक वचनपत्र प्रस्तुत करेंगे, यदि बोली लगाने वाला एच-1 के रूप में आता है, तो यह लाइसेंस के अवार्ड से पहले इस तरह के सभी बकाया राशि का भुगतान करेगा **(संलग्न : जी देखें)**।

During the intervening period i.e. after the submission of tender and before finalization of award, if any amount is found as outstanding against the **H-1 emerged bidder**, the bidder shall clear such dues (undisputed ones) before award of the license. For this purpose, all the bidders shall submit an undertaking along with tenders, that in case the bidder emerges as H-1, it shall clear all such dues before the award of license. **(Refer Annexure: G)**

- i) इस आशय की घोषणा कि किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा किसी भी हवाई अड्डे के परिसर में या तो मेरे विरुद्ध औरकर्मचारी के /प्रबंधक/उसके सहयोगी संगठनों के विरुद्ध या किसी निदेशक/या कंसोर्टियम के किसी सदस्य या हमारे/ विरुद्ध दिए गए लाइसेंसके संबंध में कोई छापे तलाशी नहीं ली गई है/जब्त/। (अनुलग्नक :जी देखें)
Declaration to the effect that no raid/seizure/search has been carried out and/or pending by a Regulatory Authority in respect of the license granted by AAI in any of the Airport premises either against me and/or any member of the consortium or against our/its Affiliates or against any of the Directors / Managers / Employees". **(Refer Annexure: G)**
- j) भाविप्रा, या भारत सरकार के किसी भी विभाग, किसी भी केंद्रीय या राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा ब्लैकलिस्टिंग या डीबारिंग का विवरण देने की घोषणा। (यदि बयान शून्य है तो वह बयान भी दर्ज करना होगा)।(संलग्नक : G देखें)
Declaration giving the details of blacklisting or debarring by AAI, or any Government of India department, any Central or State public sector undertakings. (NIL statement also to be filed). **(Refer Annexure: G)**
- k) भाविप्रा द्वारा शुरू किए गए पीपीई अधिनियम के तहत मामलों / कार्रवाई। (यदि विवरण शून्य है तब भी भरें)।
(संलग्नक : G देखें)
Declaration of cases / action under PPE Act initiated by AAI. (NIL statement also to be filed). **(Refer Annexure:G)**
- l) **अनुलग्नक:H के अनुसार भाविप्रा में काम करने वाले निकट संबंधियों के संबंध में घोषणा।**
Declaration in respect of Near Relatives*working in AAI, as per Annexure:H.
- m) **तकनीकी क्षमता और अनुभव को चार्टर्ड एकाउंटेंट/ विधिक लेखा परीक्षक से प्रमाणित करने के संबंध में (अनुलग - ई देखें)।**
Certificate from Chartered Accountant/Statutory Auditor in respect of Technical Capacity & Experience **(Refer Annexure:E)**
- n) **₹. 12,28,800/- के न्यूनतम सकल कारोबार का सीए द्वारा प्रमाणित विवरण, जिसमें से 50% अर्थात ₹. 6,14,400/-/व्यवसाय से जिसके लिए अनुभव का दावा उस (अर्हक टर्नओवर) किया गया है और सकारात्मक नेट वर्थ प्रस्तुत किया जाना है। निविदा को चार्टर्ड एकाउंटेंट प्रमाणित किया गया होना चाहिए/ सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा अनुलग्नक: ई के अनुसार।**
CA Certified details of Minimum Gross Turnover of Rs.12,28,200/- out of which 50% i.e. Rs.6,14,400/- (Qualifying turnover) from the business for which experience has been claimed and Positive Net Worth to be submitted by the tenderer duly certified by Chartered Accountant / Statutory Auditor (as per Annexure: E).

* नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

*Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

- o) पात्रता मानदंड का समर्थन करने वाले दस्तावेज यानी एनआईटी 9- के खंड (तकनीकी और वित्तीय मानदंड)की आवश्यकता के अनुसार।
- p) Documents supporting eligibility criteria i.e. as per requirement of Clause-9 of NIET (Technical Criteria and Financial Criteria).
- q) बोलीदाता द्वारा अनुभव के लिए किये गए दावे हेतु अनुबंध के अनुसार पत्र F।
Letter of Undertaking for Experience claimed by Bidder, as per Annexure:F
- r) ई निविदा दस्तावेजों के पूर्ण सेट 82 संख्या के पृष्ठों की स्कैन की गई कॉपी (अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित तथा मुहर लगाई गई हो)
Scanned copy of complete set of e-tender document containing 82 Nos.of pages (duly signed and stamped by the authorized person).

महत्वपूर्ण : भाविप्रा,मामले के आधार पर किसी भी दस्तावेज के सत्यापन हेतु सम्बंधित प्राधिकारी से पुष्टि का अधिकार रखती है वित्तीय बोली खोलने के लिए मान्य दस्तावेज के महज जमा करने से भाविप्रा द्वारा उन्हें स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं माना जाएगा।

Important : AAI reserves the right to verify, refer any document to the concerned authority for confirmation from case to case basis. Mere submission will not bind AAI to accept the documents as valid for opening of financial bid.

टिप्पणी : ऊपर दिए गए खंड -3 (a) से (q)में सूचीबद्ध दस्तावेजों के साथ पूर्ण तकनीकी दस्तावेज की स्कैन कॉपी का एक सेट तकनीकी दस्तावेज में संलग्न किए गए दस्तावेजों के संबंध में एक सूचकांक के साथ अपलोड किया जाएगा।

NOTE: One set of scanned copy of complete technical documentation comprising of documents as listed at **clause 3 (a) to (q)** above shall be uploaded in the technical bid alongwith an Index in respect of Documents attached therewith.

4. वित्तीय बोली

Financial Bid

- a) वित्तीय ई-बोली etenders.gov.in एनआईसी सीपीपीपी ई-टेंडरिंग पोर्टल पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में होनी चाहिए और निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली वित्तीय ई-बोली का अहम हिस्सा भी होगा:-

मैंने / हमने लाइसेंस के नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ा और समझा है जो कि निम्नलिखित सहित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) द्वारा जारी किए गए ई-टेंडर दस्तावेजों में शामिल हैं- :

The financial e-bid should be in the prescribed format available at NIC CPPP E-Tendering Portal at etenders.gov.in and the following shall also form part and parcel of financial e-bid to be submitted by the tenderer:-

We have carefully read and understood the terms and conditions of the licence as contained in E-Tender Documents issued by the Airports Authority of India (AAI) including the following:-

- i. **₹.50,000/-** का अग्रिम जमा, भाविप्रा द्वारा ज़ब्त किए जाने योग्य होगा, यदि लाइसेंस के अवार्ड पर, मैं / हम अवार्ड स्वीकार नहीं करते हैं या किसी भी शर्त को ई टेंडर-दस्तावेजों में वर्णित समय में पूरा नहीं करते हैं।

Earnest Money Deposit of **Rs.50,000/- (Rupees Fifty Thousand Only)** liable to be forfeited by AAI, if on award of license, I/We do not accept the award or do not fulfill any of the conditions stipulated in e-tender documents, within prescribed time.

- ii. निर्धारितसमयकेभीतर अवार्ड को स्वीकृत न करने की स्थिति में या ई- निविदा सम्बन्धी शर्तों को पूर्ण करने में विफल होने की स्थिति में, मैं / हम भाविप्रा के हवाई अड्डों या भाविप्रा के नियंत्रण में किसी अन्य स्थान पर निविदाओं में आगे की भागीदारी के लिए एक वर्ष (1) की अवधि हेतु भाविप्रा के विचाराधीन होने के लिए उत्तरदायी होंगे।

On account of non-acceptance of award or on account of non-completion of e-tender conditions within the prescribed time, I/We shall be liable to be debarred by AAI for further participation in the tenders at its airports or at any other place under the control of AAI, for a period of one (1) year.

* नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

*Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

- iii. यदि मेरे/हमारे फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गए दस्तावेज झूठे/गलत पाए जाते हैं, तो मेरे/हमारे फर्म के ई- निविदा को कारण बता कर अस्वीकृत किया जायेगा. इसके अलावा, भाविप्रा मेरे/हमारे फर्म की ईएमडी को जब्त करने तह तीन (3) वर्षों के लिए भाविप्रा निविदा के ई-निविदा से भागीदारी से मुझे/हमारे फर्म को वंचित करने का अधिकार रखती है।

In case the documents submitted by my/our firm along with e-tender are false / incorrect, the e-tender of my/our firm will be liable to be rejected by giving reasons. In addition, AAI reserves its right to forfeit the EMD of my/our firm and debar my/our firm from participation in the further e-tender/ tender of AAI, for a period of three (3) years.

- b) भाविप्रा बिना किसी कारण बताए सशर्त प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

AAI reserves itself the right to reject the conditional offer without assigning any reason thereto.

- c) भाविप्रा खुद को उच्चतम या किसी भी ई-टेंडर को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करता है और ई-टेंडर के पूरे या किसी भी हिस्से को स्वीकार करने का अधिकार खुद रखता है और निविदाकर्ता उद्धृत दर पर सेवा प्रदान करने के लिए बाध्य होगा।

The AAI does not bind itself to accept the highest or any e-tender and reserves to itself the right of accepting the whole or any part of the e-tender and the tenderer shall be bound to provide the service at the rate quoted.

- d) लाइसेंस शुल्क की राशि को स्पष्ट रूप से आंकड़ों के साथ-ओवर, साथ शब्दों में भी लिखा जाना चाहिए। किसी भी राइटिंगसुधार या प्रविष्टि को विधिवत हस्ताक्षरकर्ता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा किया जाना चाहिए।

The amount of license fee should be conspicuously written both in figures as well as in words. Any over-writing, correction or insertion should be duly signed by the authorized signatories of the tenderer(s).

- e) आंकड़ों और शब्दों में दी गई राशि के बीच विसंगति के मामले में, शब्दों में लिखे गए प्रस्ताव पर ही विचार किया जाएगा।

In case of discrepancy between the amount offered in figures and words, the offer written in words will only be considered.

- f) इस घटना में कि दो या दो से अधिक बोलीदाताओं की वित्तीय बोली समान पाई जाती है और उच्चतम ("टाई बिडर") है, प्राधिकरण ऐसे टाई बोलीदाताओं से प्राधिकरण की नीति के अनुसार नई वित्तीय बोलियां आमंत्रित करेगा और उनकी पहचान करेगा ऐसे टाई बोलीदाताओं में से चयनित बोलीदाता। बशर्ते कि ऐसे टाई बोलीदाताओं की संशोधित वित्तीय बोलियां, उनकी संबंधित मूल बोलियों की तुलना में प्राधिकरण के लिए कम अनुकूल नहीं होंगी

In the event that the Financial Bid of two or more Bidders are found to be the same and is the highest (the "Tie Bidders"), Authority shall invite fresh financial bids, as per Authority's policy, from such Tie Bidders and shall identify the Selected Bidder from amongst such Tie Bidders. Provided that the revised Financial Bids of such Tie Bidder(s), shall be no less favorable to Authority than their respective original Bids

5. यह ध्यान दिया जाए कि सफल बोलीदाता का अग्रिम जमा राशि को जब्त किया जा सकता है और बोलीदाता को भाविप्रा की निविदा (ओं) / ई-निविदा (ओं) से एक (1) वर्ष की अवधि के लिए आगे भागीदारी के लिए एलओआई की तारीख से शुरू होने के पंद्रह (15) दिनों के ऊष्मायन अवधि के भीतर निम्नलिखित विकृतियों के पूरा नहीं करने पर वंचित किया जा सकता है :-

It may be noted that the Earnest Money Deposit of the successful bidder may be forfeited and the bidder shall be liable to be debarred for further participation in AAI's tender(s) / e-tender(s) for a period of **one (1) year**, on account on non-completion of the following formalities within the incubation period of **fifteen (15) days** starting from the date of LOIA:-

- नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।
- Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

- a) पार्टी को संबोधित पत्र / एलओआई जारी करने की तारीख से **सात दिनों (7)** के भीतर प्रस्ताव की स्वीकृति देनी होगी।

Acceptance of the offer within **seven (7) days** from the date of issuance of the award letter / LOIA addressed to the party.

- b) पुरस्कार पत्र/एलओआई जारी होने की तारीख से दस (10) दिनों के भीतर सुरक्षा मंजूरी के लिए बीसीएस को आवश्यक दस्तावेज जमा करना।

Submission of required documents to BCAS for security clearance with ten (10) days from the date of issuance of the award letter / LOIA.

- c) अवार्ड पत्र / एलओआई जारी करने की तिथि से **पंद्रह (15) दिनों** के भीतर, एक **(1) महीने** के लाइसेंस शुल्क का अग्रिम भुगतान करना होगा।

Payment of **one (1) month's** advance license fee for within **fifteen (15) days** from the date of issuance of the award letter / LOIA.

- d) निम्नलिखित के अनुसार अवार्ड पत्र जारी करने की तारीख से **पंद्रह (15) दिनों** के भीतर सुरक्षा जमा का भुगतान:

Payment of Security Deposit within **fifteen (15) days** from the date of issuance of award letter as per following: -

- (i) **अनुबंध समाप्ति की तारीख से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों** की वैधता अवधि वाले **अनुलग्नक- के अनुसार** किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार) से बैंक गारंटी (बीजी) के रूप में **तीन (3) महीने का लाइसेंस शुल्क के बराबर ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा (एसडी) जमा किया जाना है।**

An interest free Security Deposit (SD) equivalent to **three (3) months** licence fees to be submitted in the form of Bank Guarantee (BG) from any Nationalized / Scheduled Commercial Banks (as per Reserve Bank of India guidelines) in the format as per **Annexure-K** having a validity period of **180 (one hundred eighty) days from the date of expiry of contract.**

- **अनुलग्नक-एल1** के अनुसार प्रारूप में एक वचनबद्धता पत्र भी बैंक गारंटी के साथ प्रस्तुत करना होगा।
A Letter of Understanding in the format as per **Annexure-L1** also to be submitted along with the Bank Guarantee.
- बैंक प्रभार सफल बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।
Bank Charges shall be borne by the successful bidder.
- सहकारी बैंक (यहां तक कि अनुसूचित) / सोसायटी / भुगतान बैंकों या एफ.डी.आर. के रूप में बैंक गारंटी (बीजी) स्वीकार्य नहीं होगी।
The Bank Guarantee (BG) from Co-operative Bank (even scheduled) / Societies / Payment Banks or in the form of FDR shall not be acceptable.
- सुरक्षा जमा की राशि की गणना लाइसेंसधारक/रियायतग्राही द्वारा देय उद्धृत लाइसेंस शुल्क, स्पेस किराया, सी.ए.एम. शुल्क या किसी अन्य घटक आदि पर विचार करके की जाएगी।
The amount of Security Deposit shall be calculated by considering quoted licence fee, space rent, CAM charges or any other component etc. payable by the licensee / concessionaire.
- एएआई ने आईसीआईसीआई बैंक के स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम (एसएफएमएस) के माध्यम से सफल बोलीदाता से एएआई द्वारा प्राप्त बैंक गारंटी के सत्यापन की व्यवस्था की है जिसका विवरण निम्नानुसार है:

AAI has made arrangements for verifications of Bank Guarantee received by AAI from Successful bidder through Structural Financial Messaging System (SFMS) of ICICI Bank whose detail is as under: -

Corporate Name	AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
Bank Name	ICICI Bank
IFSC Code	ICIC0000007

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

•Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

BG Advising message	IFN 760COV (BG ISSUE)
	IFN 767COV (BG AMENDMENT)
*Unique Identifier Code	AAIAMRITSAR (to be mentioned in field 7037 of the BG advising message code)

- बीजी जारीकर्ता बैंक को दस्तावेज जमा करते समय, सफल बोलीदाता अनुलग्नक-एल2 में उल्लिखित प्रारूप के अनुसार जारीकर्ता बैंक को पत्र भी प्रस्तुत करेगा।

While submitting the documents to BG issuing Bank, the successful bidder will also submit letter to the issuing bank as per the format mentioned in the **Annexure-L2**.

- मूल बीजी दस्तावेज जमा करते समय, सफल बोलीदाता बीजी जारीकर्ता बैंक द्वारा आईसीआईसीआई बैंक को भेजे गए एसएफएमएस बीजी पुष्टिकरण संदेश की प्रति भी प्रस्तुत करेगा।

While submitting the Original BG document, the successful bidder shall also submit the copy of the SFMS BG confirmation message sent by the BG issuing Bank to ICICI Bank.

- (ii) बिजली शुल्क के संबंध में सुरक्षा जमा, वार्षिक लाइसेंस /रियायत मूल्य के **5%** के बराबर जिसका न्यूनतम जमा राशि **₹.10,000/-** तथा अधिकतम जमा राशि **₹. 10 लाख** के अधीन होगा. उक्त सिक्योरिटी डिपॉजिट एसडी के सभी प्रकार की उपयोगिताओं जैसे बिजली, पानी, डेटा पोर्ट, टेलीफोन आदि को कवर करेगा।

Security deposit in respect of electricity charges equivalent to **5%** of annual licence / concession value subject to minimum deposit of **Rs.10,000/-** and a maximum deposit of **Rs.10 lakhs**. The said security deposit will cover SD towards all types of utilities such as Electricity, Water, Data Port, Telephone etc.

- e) अवार्ड पत्र / एल.ओ.आई.ए.जारी करने की तारीख से **पंद्रह दिनों (15)** के भीतर अनुबंध का निष्पादन उचित मूल्य) के स्टाम्प पेपर पर, लाइसेंसधारी द्वारा वहन की जाने वाली संबंधित लागत।

Execution of the Agreement within **fifteen (15) days** from the date of issuance of award letter / LOIA (on Stamp Paper of appropriate value, related costs to be borne by the licensee).

- f) जेस्टेशन अवधि के भीतर सुविधा का प्रारंभ।

Commencement of the facility within gestation period.

6. वित्तीय निविदा खोलने की तिथि से ई- निविदा **180 (एक सौ अस्सी)** दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगा। वैधता अवधि के दौरान यदि कोई भी निविदा वापस लेता है, तो उसका बयाना जमा राशि जब्त कर लिया जाएगा। हालांकि, वित्तीय बोली खोलने के बाद, निविदा में एच-1 बोलीदाता पार्टी अपनी बोली वापस लेती है तो ईएमडी को जब्त कर लिया जाएगा और उक्त बोली लगाने वाले को **एक (1) वर्ष** के लिए भाविप्रा की किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा।

E-Tender(s) will remain valid for a period of **180 (one hundred eighty) days** from the date of opening of the Financial Bid. If any tenderer withdraws during the validity period, his Earnest Money Deposit will be forfeited. However, after opening of financial bid, being H1 (highest bidder) in the tender if the party withdraws its bid, EMD shall be forfeited and the said bidder will be debarred from participating in any tender of AAI for **one (1) year**.

7. निविदाकर्ता भाविप्रा में कार्यरत अपने निकट संबंधियों की सूची देगा।

The tenderer(s) shall give the list of his near relatives employed in AAI.

8. सफल बोली लगाने वाला (अवार्ड पत्र जारी करने के बाद) उसके द्वारा नियोजित या नौकरी करने वाले व्यक्तियों के जो भाविप्रा के कर्मचारियों के **नजदीकी रिश्तेदार** हैं, या भाविप्रा के पूर्व कर्मचारी हैं, जो पिछले **दो वर्ष (2) वर्षों** में भाविप्रा से अलग हो गए हैं, के नाम सूचित करेगा।

The successful bidder (after issuance of award letter) shall intimate the names of the persons employed by him or going to employ, who are **Near Relatives*** of AAI employees, or are ex-

* नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

*Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

employees of AAI who have separated from AAI in the past **two (2) years**.

9. धोखाधड़ी और भ्रष्ट आचरण और जुर्माना:

Fraud & Corrupt Practices and Penalty:

- a) यदि बोलीदाता/लाइसेंसधारक, भले ही बोलीदाता ऊपर बताए गए दिशानिर्देशों पर खरा उतरता है लेकिन निविदा प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्तर पर, या सफल बोली लगाने वाले को एलोआइएजारी करने के बाद, या रियायत समझौते के निष्पादन के बाद या निर्वाह शुल्क के दौरान, भाविप्रा अपने विवेक से बोलीदाता को अयोग्य ठहरा सकता है या रियायत को समाप्त कर सकता है (जैसा भी मामला हो) :

Even if the bidder satisfies every criterion as per the guidelines set forth above, but at any stage during the tender process, or after the issuance of LOIA to the successful bidder, or after the execution of concession agreement or during the subsistence thereof, AAI at its discretion can disqualify the bidder or terminate the concession (as the case maybe), if the bidder/licensee:

- i. भारत में किसी भी राज्य या केंद्र सरकार या सरकारी एजेंसी द्वारा विवर्जित किया गया है और इसे एनआईटी के दौरान प्रस्तुत किया गया हो ; या
Has been debarred by any state or central government or government agency in India and the same is subsisted at the time of NIET; or
- ii. प्रस्तुत रूपों, बयानों और संलग्नक में भ्रामक या गलत प्रतिनिधित्व किया हो ; या
Has made misleading or false representation in the forms, statements and attachments submitted; or
- iii. आवेदक प्रस्ताव के मूल्यांकन के लिए भाविप्रा द्वारा मांगी गई पूरक जानकारी के अनुरोध के लिए तुरंत और अच्छी तरह से जवाब नहीं देता है; या
The applicant does not respond promptly and thoroughly to requests for supplementary information requested by AAI for the evaluation of the Proposal; or
- iv. एक या अधिक पात्रता मानदंड आवेदक द्वारा पूरा नहीं किया गया है; या
One or more of the eligibility criterion have not been met by the Applicant; or
- v. आवेदक द्वारा एक भौतिक गलत विवरण दिया है; या
The Applicant has made a material misrepresentation; or
- vi. आवेदक एक भ्रष्ट, धोखेबाज, प्रतिरोधी, अवांछनीय या प्रतिबंधात्मक कार्य में लगा हुआ है;
The Applicant has engaged in a corrupt, fraudulent, coercive, undesirable or restrictive practice;
- vii. आवेदक या उसके सहयोगी या एक व्यक्ति या संस्था, जिसके आवेदक के साथ कानूनी संबंध हैं, ने किसी भी प्रकार के दस्तावेज/बैंक गारंटी/सुरक्षा जमा आधी जमा करने में (निविदा प्रक्रिया के दौरान या बाद में) पिछले 5 वर्षों के दौरान इस या किसी अन्य निविदा/ ठेका जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण या पीएसयू या सकारी विभाग के साथ धोखाधड़ी या जालसाजी की हो।
The applicant or its Affiliates or a person or entity having legal relationship with applicant committed any fraud or forgery by way of submission of any kind of documents/ bank guarantee/ Security Deposit etc. (during the tender process and thereafter) with this or any other tender/ contract with Airports Authority of India or any PSU or Government Departments during the last five (5) years;

- b) फिर एल.ओ.आई.ए. या ड्राफ्ट एग्रीमेंट, जैसा भी मामला हो, इसके विपरीत या इस एन.आई.टी. दस्तावेज में कुछ भी होने के बावजूद, भाविप्रा द्वारा लिखित में एजेंसी को पत्राचार कर भाविप्रा द्वारा एजेंसी के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी हुए बिना समाप्त किया जा सकता है। ऐसे मामले में भाविप्रा ई.एम.डी. तथा निष्पादन सुरक्षा राशि को जब्त तथा एप्रोप्रियेट करेगा तथा एजेंसी को भाविप्रा की निविदा से किसी भी अवधि जो कम से कम **तीन (3) वर्ष**

* नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

*Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

के लिए हो के लिए वंचित कर देगा, जैसा कि सम्बंधित मामलाभाविप्राके पास उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपाय के पक्षपात के बिना हो सकता है।

Then the LOIA or the draft Agreement, as the case may be, shall, notwithstanding anything to the contrary contained therein or in this NIET Document, be liable to be terminated by a communication in writing by AAI to the agency without AAI being liable in any manner whatsoever to the agency. In such an event, AAI shall forfeit and appropriate the EMD and Performance Security and debar the agency from AAI tenders for any period not succeeding subject to minimum of **three (3) years**, as the case may be without prejudice to any other right or remedy that may be available to AAI in this regard.

- c) यदि इस तरह की घटना एलओआई के जारी होने के बाद और अनुबंध की अवधि के दौरान होती है, तो भाविप्रा को ऐसे किसी भी उपाय को अपनाने का अधिकार है, जो भाविप्रा के एकमात्र विवेकाधिकार में फिट माना जा सकता है, जिसमें अनुबंध की घोषणा और प्रदर्शन सुरक्षा राशि को जब्त करना शामिल है।

If such an event occurs after the issuance of LOIA and during the contract period, then AAI reserves the right to take any such measure as may be deemed fit in the sole discretion of AAI, including annulment of the contract and forfeiture of the Performance Security amount.

- d) प्रस्तावों को तब तक खोले जाने के तुरंत बाद विचाराधीन माना जाएगा जब तक कि एएआई आवेदकों को पुरस्कार/अस्वीकृति की आधिकारिक सूचना नहीं देता। जबकि प्रस्ताव विचाराधीन हैं, आवेदकों और/या उनके प्रतिनिधियों या अन्य इच्छुक पक्षों को सलाह दी जाती है कि वे विचाराधीन प्रस्तावों से संबंधित मामलों पर किसी भी माध्यम से, एएआई और/या उनके कर्मचारियों/प्रतिनिधियों से संपर्क करने से परहेज करें।

Proposals shall be deemed to be under consideration immediately after they are opened until such time that AAI makes an official intimation of award/rejection to the Applicants. While the Proposals are under consideration, Applicants and/or their representatives or other interested parties are advised to refrain from contacting, by any means, AAI and/or their employees/representatives on matters relating to the Proposals under consideration.

10. हितों का टकराव

Conflict of Interest: -

बोली लगाने वाले के पास हितों का टकराव नहीं होगा जो बोली प्रक्रिया को प्रभावित ("हितों का टकराव") करता है। किसी भी बिडर को हितों का टकराव सम्बन्धी मामला पाए जाने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। बोलीदाता को बोली प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले हितों का टकराव माना जाएगा, यदि:

A Bidder shall not have a conflict of interest (the "Conflict of Interest") that affect the Bidding process. Any Bidder found to have a conflict of Interest shall be disqualified. A Bidder shall be deemed to have a Conflict of Interest affecting the Bidding process, if:

- i. बोलीदाता, या उसके सहबद्ध (या उसके किसी भी निर्वाचक) और किसी भी अन्य बोलीदाता या उसके किसी भी संबद्ध (या उसके किसी भी घटक) आम शेयरधारकों या अन्य स्वामित्व ब्याज को नियंत्रित किया है:

बशर्ते कि यह अयोग्यता उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां बोलीदाता की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शेयरहोल्डिंग, उसके सदस्य या उसके एक सहयोगी (या उसके किसी शेयरधारक) के कुल जारी किए गए 20% से अधिक (बीस प्रतिशत) की शेयरहोल्डिंग, सदस्यता ली और ऐसे बोलीदाता, सदस्य या संबद्ध की शेयर पूंजी का भुगतान किया, (जैसा कि मामला हो सकता है) अन्य बोलीदाता में, इसके सदस्य या एक संबद्ध कुल जारी की 20% (बीस प्रतिशत) से कम है, सदस्यता और उसके इक्विटी शेयर पूंजी का भुगतान; इसके अलावा कि प्राधिकरण, बैंक, बीमा कंपनी, पेंशन फंड या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (72) में निर्दिष्ट एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान द्वारा किसी भी स्वामित्व पर यह अयोग्यता लागू नहीं होगी;

इस खंड के प्रयोजनों के लिए, 01 (एक) या अधिक मध्यवर्ती व्यक्तियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष शेयरधारिता की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

•Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

The bidder, or its Affiliate (or any constituent thereof) and any other Bidder or any Affiliate thereof (or any Constituent thereof) have common controlling shareholders or other ownership interest:

Provided that this disqualification shall not apply in cases where the direct or indirect shareholding of a Bidder, its Member or an Affiliate thereof (or any shareholder thereof) having a shareholding of more than 20% (twenty percent) of the aggregate issued, subscribed and paid up share capital of such Bidder, Member or Affiliate, (as the case may be) in the other Bidder, its Member or an Affiliate is less than 20% (twenty percent) of the aggregate issued, subscribed and paid up equity share capital thereof; provided further that this disqualification shall not apply to any ownership by the Authority, a bank, insurance company, pension fund or a public financial institution referred to in section 2(72) of the Companies Act, 2013;

For the purposes of this clause, indirect shareholding held through 01(One) or more intermediate persons shall be computed as follows:

(A) जहाँ कोई मध्यस्थ किसी व्यक्ति द्वारा प्रबंधन नियंत्रण के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है या अन्यथा, किसी अन्य व्यक्ति ("विषय व्यक्ति") में इस तरह के नियंत्रित मध्यस्थ द्वारा आयोजित संपूर्ण शेयरहोल्डिंग को इस विषय व्यक्ति में ऐसे नियंत्रित व्यक्ति की शेयरधारिता की गणना के लिए ध्यान में रखा जाएगा; तथा

(A) where any intermediary is controlled by a person through management control or otherwise, the entire shareholding held by such controlled intermediary in any other person (the "Subject person") shall be taken in to account for computing the shareholding of such controlling person in the subject person; and

(B) हमेशा उप-खंड (ए) के अधीन, जहाँ कोई व्यक्ति किसी मध्यस्थ पर नियंत्रण नहीं करता है, जिसमें विषय व्यक्ति में शेयरहोल्डिंग होती है, विषय व्यक्ति में ऐसे व्यक्ति की अप्रत्यक्ष शेयरहोल्डिंग की गणना आनुपातिक आधार पर की जाएगी; हालांकि, यह प्रावधान किया गया है कि इस उप-खंड के तहत ऐसी कोई शेयरहोल्डिंग नहीं गिना जाएगा यदि मध्यस्थ में ऐसे व्यक्ति की शेयरहोल्डिंग कुल जारी, सदस्यता और भुगतान किए गए ऐसे मध्यस्थ की इक्विटी शेयरहोल्डिंग के 26% (छब्बीस प्रतिशत) से कम है; या

(B) subject always to sub-clause (A) above, where a person does not exercise control over an intermediary, which has shareholding in the subject person, the computation of indirect shareholding of such person in the subject person shall be undertaken on a proportionate basis; provided, however, that no such shareholding shall be reckoned under this sub-clause if the shareholding of such person in the intermediary is less than 26% (twenty-six percent) of the aggregate issued, subscribed and paid up equity shareholding of such intermediary; or

ii. एक बोलीदाता/मनोनीत इकाई ने उसी नामित इकाई या मनोनीत कर्मियों को दूसरे बोलीदाता के रूप में नामित किया है; या

a Bidder/Nominated Entity has nominated the same Nominated Entity or Nominated personnel as another Bidder; or

iii. ऐसे बोलीदाता का एक घटक दूसरे बोलीदाता का निर्वाचक भी है; या

a constituent of such Bidder is also a constituent of another Bidder; or

iv. इस तरह के बिडर या किसी भी संबद्ध को, किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सब्सिडी, अनुदान, रियायती ऋण, या किसी अन्य बोलीदाता से अधीनस्थ ऋण, या किसी भी संबद्ध को प्राप्त करने या प्रदान करने या दर्ज करने या प्राप्त करने के लिए एक समझौते में प्रवेश किया है। किसी भी अन्य बोलीदाता, उसके सदस्य या किसी भी संबद्ध को ऐसी कोई सब्सिडी, अनुदान, रियायती ऋण या अधीनस्थ ऋण प्रदान करने के लिए एक समझौता; या

such Bidder or any Affiliate thereof receives, has received, or has entered into an agreement to receive, any direct or indirect subsidy, grant, concessional loan, or subordinated debt from any other Bidder, or any Affiliate thereof or has provided or has entered into an agreement to provide any such subsidy, grant, concessional loan or subordinated debt to any other Bidder, its Member or any Affiliate thereof; or

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

•Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

- v. ऐसे बोलीदाता के पास किसी अन्य बोलीदाता के रूप में बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही कानूनी प्रतिनिधि है; या such Bidder has the same legal representative for purposes of a Bid as any other Bidder; or
- vi. इस तरह के बिडर या किसी भी संबद्ध व्यक्ति के साथ, सीधे या परोक्ष रूप से या एक आम तीसरे पक्ष, पार्टियों के / भी संबद्ध के साथ संबंध है माध्यम से किसी अन्य बिडर या किसीजो या तो या दोनों को एक दूसरे की जानकारी तक पहुंचने की स्थिति में रखता है, या तो या एक दूसरे की बोली को प्रभावित करें; या इस तरह के बिडर या किसी भी संबद्ध, ने परियोजना के किसी भी दस्तावेज, डिजाइन या तकनीकी विशिष्टताओं की तैयारी में प्राधिकरण के सलाहकार के रूप में भाग लिया है।

such Bidder or any Affiliate thereof, has a relationship with another Bidder or any Affiliate thereof, directly or indirectly or through a common third party/ parties, that puts either or both of them in a position to have access to each other's information, or to influence the Bid of either or each other; or such Bidder or any Affiliate thereof, has participated as a consultant to the Authority in the preparation of any documents, design or technical specifications of the project.

स्पष्टीकरण :

यदि एक बिडर एक कंसोर्टियम है, तो इस क्लॉज में प्रयुक्त बिडर शब्द में इस तरह के कंसोर्टियम के प्रत्येक सदस्य और एक बिडर के संबंध में संबद्ध शब्द में उस कंसोर्टियम के प्रत्येक सदस्य का एक संबद्ध शामिल होगा।

Explanation:

In case a Bidder is a Consortium, then the term Bidder as used in this Clause shall include each Member of such Consortium and the term Affiliate with respect to a Bidder shall include an Affiliate of each Member of that Consortium.

टिप्पणी :

हितों के टकराव के संबंध में, भाविप्रा बोली लगाने वाले / आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणा पत्र पर भाविप्रा की निविदा शर्तों / अन्य दस्तावेजों की स्वीकृति के रूप में तकनीकी बोलियों के हिस्से के रूप में निर्भर करेगा।

यदि बोलीदाता/आवेदक द्वारा कोई हितों के टकराव नहीं है के तहत प्रस्तुत किये गए घोषणा पत्र को गलत/झूठा पाया जाता है, ऐसी झूठी घोषणा को गलत/झूठा दस्तावेज प्रस्तुत करने के रूप में माना जाएगा तथा यह बोलीदाता/आवेदक द्वारा गलत विवरण देने के रूप में माना जाएगा। ऐसे मामले में भाविप्रा के निविदा दस्तावेज/लाइसेंस अग्रेमेंट के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।

Note:

Regarding conflict of interest, AAI shall place reliance upon the declaration to be submitted by the bidder/applicant in the form of acceptance of AAI's tender conditions/other documents forming part of technical bids.

In the event, the declaration submitted by the bidder / applicant towards there being no conflict of interest, is found incorrect/false, such incorrect declaration would be treated as submission of false/incorrect document and it would amount to material misrepresentation made by the bidder/applicant. In such event, punitive actions shall be taken by AAI as per provision of tender documents/license agreement.

11. निकास खंड, विवाद समाधान, मध्यस्थता और मुकदमेबाजी

Exit Clause, Dispute Resolution, Arbitration & Litigation

a) सामान्य समाप्ति

अनुबंध, करार में दी गई अंतिम तिथि को समाप्त हो जाएगा बशर्ते अंतिम तिथि के दिन या उससे पहले, सक्षम प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण कर दिया गया हो तथा पार्टी को लिखित रूप में सूचित कर दिया गया हो और पार्टी द्वारा स्वीकृत कर लिया गया हो. पार्टी की देयता विलंबित ब्याज (अनुबंध में उल्लिखित दर पर) के साथ देय होगी, जब तक कि उसका निपटारा नहीं हो जाता इस क्लॉज के संचालन से अनुबंध समाप्त होने के बाद भी ठेकेदार समय

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

•Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

बद्ध या अल्ट्रा वायर्स होने का दावा नहीं कर सकता।

Normal Termination

The contract will deem to be terminated on the last date as given in the agreement provided the extension or renewal is approved by the competent authority on or before the last date and communicated to the party in writing and duly accepted. The liability of the party will continue to be payable along with the delayed interest (at the rate mentioned in the contract) till the same is settled. The contractor cannot claim the dues to be time barred or ultra vires even if after the contract is deemed to have terminated by operation of this clause.

b) खंड की समाप्ति

यदि पार्टी या भाविप्रा ने आंतरिक विवाद समाधान खंड (जिसके अनुसार डीआरसी को संदर्भित विवाद 45 दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाना है) का लागू किया है और वही निर्दिष्ट समय अवधि के बाद अनसुलझे बना हुआ है, तो यह माना जाएगा कि समाप्ति की सूचना अवधि अगली तारीख से शुरू हुई है जिसके भीतर विवाद को हल किया जाना चाहिए था। किसी भी अतिरिक्त नोटिस की आवश्यकता किसी भी पक्ष द्वारा नहीं की जायेगी और नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद अनुबंध समाप्त हो जाएगा। यदि अनुबंध अवधि के 50% के भीतर इस तरह की समाप्ति होती है, तो पार्टी भाविप्रा को लाइसेंस शुल्क के मूल्यों के बराबर वर्तमान शुल्क के तीन (3) महीने की राशि के बराबर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। आंतरिक विवाद समाप्त हो जाने के बाद ही समझौते को मध्यस्थता खंड के आह्वान के लिए भी प्रदान किया जाएगा। हालाँकि, समाप्ति की सूचना मध्यस्थता की कार्यवाही के बावजूद भी शुरू हो जाएगी।

Termination for Cause:

If the party or AAI has invoked the internal dispute resolution clause (as per which the dispute referred to the DRC is to be completed within a period of **45 days**) and the same remains unresolved after the specified time period, it will be deemed that the notice period for the termination has commenced from the next date within which the dispute should have been resolved. No extra notice need be served by either party and the contract will terminate after the expiry of the notice period. If such termination happens to fall within **50%** of the contract period, then the party is liable to pay AAI the values of license fee equal to the amount of current license fee for **three (3) months** as demurrage charges. The agreement should also provide for invocation of arbitration clause only after the internal dispute mechanism has been exhausted. However, the notice for termination will deem to have commenced irrespective of the arbitration proceedings.

c) सुविधा की समाप्ति

कोई भी पार्टी, एक भाग पर भाविप्रा और दूसरी पार्टी के ठेकेदार अपेक्षित नोटिस की अवधि देकर समाप्ति के लिए सूचना दे सकते हैं। भाविप्रा द्वारा नोटिस, स्वीकृति प्राधिकरण के अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही दिया जाएगा। इसी तरह, पार्टी द्वारा दिए गए नोटिस को स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। हालाँकि, जिस तारीख को भाविप्रा को नोटिस मिला था, उसी तिथि से नोटिस की अवधि शुरू हो जायेगी तथा अनुमोदन के लिए आवश्यक प्रशासनिक समय नहीं जोड़ा जाएगा। यदि लाइसेंस अवधि के 50% के भीतर रियायत / लाइसेंस समाप्त कर दिया गया है या पार्टी ने 50% लाइसेंस अवधि पूरी होने के बाद लाइसेंस / रियायत के आत्मसमर्पण के लिए तीस (30) दिनों की अपेक्षित सूचना नहीं दी है, तो सुरक्षा जमा समकक्ष वर्तमान लाइसेंस शुल्क / एमएमजी को विलंब शुल्क के रूप में नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार जब्त किया जाएगा:

क्रम सं	यदि रियायत / लाइसेंस की समाप्ति होती है	सुरक्षा लाइसेंस को वर्तमान लाइसेंस शुल्क के बराबर जमा किया जाना है (महीने में)
(i)	अनुबंध की अवधि के 50% से पहले	02 (दो) महीने
(ii)	50% to 75% के बीच	02 (दो) महीने
(iii)	75% to 100% के बीच	01 (एक) महीना

नोट : यदि लाइसेंसधारक अनुबंध अवधि के 50% तक लाइसेंस का संचालन नहीं करता है, तो पार्टी आदेश जारी करने की तारीख से एक (1) वर्ष के लिए वंचित होने के लिए उत्तरदायी है।

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

•Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

Termination for Convenience:

Either party, AAI on one part and the contractor on the other party can serve the notice for termination by giving the requisite notice period. The notice by AAI to be served only after obtaining the approval of the acceptance authority. Similarly, the notice given by the party should be approved by the acceptance authority. However, the date on which notice was received at AAI will be the commencement of the notice period and the administrative time required for the approval will not be added. If the concession / license has been terminated within **50%** of the license period or the party has not served the requisite notice of **thirty (30) days**, for surrender of license/concession after completion of **50%** licence period, then the Security Deposit equivalent to current license fee/MMG shall be forfeited as demurrage charges, as per the details below: -

S. No.	If termination of concession / license occurs	Security deposit equivalent to current license fee to be forfeited (in months)
(i)	Before 50% of contract period	02 (two) months
(ii)	between 50% to 75%	02 (two) months
(iii)	between 75% to 100%	01 (one) month

NOTE: If the licensee does not operate the license upto **50%** of the contract period then the party is liable to be debarred for **one (1) year** from the date of issuance of orders.

d) नियामक / विधायी या पर्यवेक्षी आवश्यकताओं के कारण समाप्ति

यदि भारत के किसी भी कानून या कानून का प्रावधान किसी भी स्थान या किसी अन्य स्थान पर किसी भी अनुबंध की निरंतरता को रोकना / रोकना अनिवार्य बनाता है, तो इसे ऐसे अधिनियमन की तारीख से बंद माना जाएगा। भाविप्रा द्वारा कोई मुआवजा देय नहीं है।

Termination for Regulatory / Legislative or Supervisory Requirements:

If any provision of law or legislation of India makes it mandatory to stop/prohibits the continuation of any contract at any particular location or otherwise, then it will be deemed to be closed from the date of such enactment. No compensation is payable by AAI.

12. उपरोक्त सभी दिशानिर्देश ईको आमंत्रित करने वाले नोटिस का हिस्सा और भाग बनेंगे। (एनआईटी) टेंडर-
All the above guidelines will form part & parcel of the Notice inviting E-Tender (NIET).
 13. भाविप्रा के पास बोलियों के प्रस्तुत करने निविदा की वैधता -साथ स्थिति वारंट होने पर ई-के साथ खोलने की तारीख बढ़ाने/निविदा की वैधता बढ़ाने क-बढ़ाने और पर्याप्त कारणों के साथ ई अधिकार सुरक्षित है।
AAI reserves the right to extend the date of submission / opening of the bids as well as to extend the validity of the E-tender if situation warrants and with sufficient reasons.
 14. भाविप्रा किसी भी या सभी ई टेंडर को किसी भी कारण बताए-बिना भाग में या पूर्ण रूप से अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
AAI reserves right to reject any or all e-tender(s) in part or in full without assigning any reason.
- * **टिप्पणी** : पास के रिश्तेदार शब्द का अर्थ पत्नी, पति और आश्रित मातापिता-, दादादादी-, बच्चों, पोते, भाइयों, बहनों, चाचा, चाची, चचेरे भाइयों इत्यादि और उनके ससुराल से है।"
 - * **Note:** "By the term near relative is meant wife, husband and dependent parents, grandparents, children, grandchildren, brothers, sisters, uncle, aunts, cousins and their corresponding in laws".

अनुलग्नक-ए**लाइसेंस अनुबंध का प्रारूप**


Photo of the
licensee

विषय :हवाई अड्डे परके लिए लाइसेंस का अनुदान।

रियायत/लाइसेंस अग्रीमेंट ("अग्रीमेंट") दिन, महीना, दो हजार कोस्थान पर के द्वारा और के बीच बनाया तथा निष्पादित किया गया;

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, हवाई अड्डे प्राधिकरण (1994 का अधिनियम 55) के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित एक निकाय कॉर्पोरेट और नई दिल्ली में अपना कॉर्पोरेट कार्यालय और हवाई अड्डे पर शाखा कार्यालय,.....हवाई अड्डे, विमानपत्तन निदेशकहवाई अड्डे द्वारा प्रस्तुत किया गया,इसके बाद कहा जाता है " प्राधिकरण "(जो शब्द तब तक रखा जाएगा, जब तक कि इस संदर्भ को छोड़कर या उसके विपरीत न हो, इसके अध्यक्ष, या सदस्य, कार्यकारी निदेशक, हवाई अड्डे के निदेशक, अधिकारी या उनमें से किसी के द्वारा इस संबंध में अध्यक्ष द्वारा शामिल किया जाना समझा जाएगा, और इसमें शामिल भी किया जाएगा। FIRST PART के इसके उत्तराधिकारी और असाइनमेंट);

तथा

.....एक प्रोपराइटरशिप फ़र्म / पार्टनरशिप फ़र्म / LLP / कंपनी कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निगमित, जिसका प्रतिनिधित्वऔर उसके पंजीकृत कार्यालय..... में किया गया है (जिसे बाद में "कंसेशनियर / लाइसेंसधारी" कहा जाता है (जो कि तब तक बाहर रखा जाएगा, जब तक कि इसे संदर्भ के अनुसार या उसके द्वारा निरस्त न किया जाए) सेकंड पार्ट के अपने उत्तराधिकारी, अधिकृत अधिकारी / अधिकारी, उत्तराधिकारी और असाइन किए गए) को शामिल करने के लिए समझा जाता है।

जहां प्राधिकरण 'कानून' में अपनेहवाई अड्डे परके उद्देश्य से ताकि यात्रियों और आगंतुकों को। हवाई अड्डा पर सुख सुविधाएं प्रदान की जा सकें और अधिक पूरी तरह से अनुसूची में रूप से स्थान का कब्जा पुन रूप से वर्णित है और इस समझौते के लिए योजनाबद्ध तरीके से, इसके बाद परिसर के रूप में संदर्भित किया जाता है।

* नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

*Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

Draft Licence Agreement**ANNEXURE: A**


Photo of the
licensee

SUBJECT: Grant of License for _____ at _____ AIRPORT.

THIS CONCESSION / LICENCE AGREEMENT ("Agreement") made and executed at _____ on this _____ day of _____ Two Thousand _____ by and between:

The Airports Authority of India, a body corporate constituted by the Central Government under the Airports Authority (Act 55 of 1994) and having its Corporate Office at New Delhi and branch office at _____ Airport, represented by Airport Director, _____, hereinafter called the "Authority" (which term shall, unless excluded by or is repugnant to the context, be deemed to include its Chairman, or Member, Executive Directors, Airport Director, officers or any of them specified by the Chairman in this behalf, and shall also include its successors and assigns) of FIRST PART;

and

_____, a Proprietorship Firm / Partnership Firm / LLP / Company incorporated under the Company Act 2013, represented by _____ and having its registered office at _____ (hereinafter called the "Concessionaire/Licensee" (which shall, unless excluded by or is repugnant to the context, be deemed to include its heirs, authorized official/officer, successor and assigns) of the SECOND PART.

WHEREAS the Authority is entitled in 'Law' to grant license at its _____ Airport for the purpose of _____ so as to provide amenities and facilities to the passengers and visitors at _____ airport and is in possession of space, more fully described in the schedule hereunder and in the plan annexed to this agreement, hereinafter referred to as the premises.

लाइसेंसधारी यहां उल्लिखित नियमों और शर्तों पर प्राधिकरण को सेवाएं प्रदान करने के लिए इच्छुक है:

WHEREAS the Licensee is desirous to render the services to the Authority on the terms & conditions mentioned hereunder:

और जहां प्राधिकरण लाइसेंस देने के लिए सहमत है।

AND WHEREAS the Authority is agreeable to grant the license.

अब, इसलिए, यह अनुबंध-विलेख गवाह है:

NOW, THEREFORE, this indenture witnesses:

1. कि उक्त सुविधा के लिए लाइसेंस.....से तक की अवधि छः (6) महीने जो आगे तीन (3) तक और बढ़ाई जाने योग्य है या मास्टर रियायत रिटेल के शुरू होने पर, जो भी पहले हो, अन्यथा, जब तक कि निम्नलिखित के कारण पहले समाप्त न हो जाए;

- a) बिना कोई कारण बताए लिखित में 30 (तीस दिन) दिन का नोटिस।
- b) असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण लघु सूचना पर भाविप्रा द्वारा समाप्त किया गया।
- c) अनसुलझे आंतरिक विवाद समाधान के लिए आवंटित निर्दिष्ट समय अवधि की समाप्ति पर।

- * इस अनुबंध में निहित कुछ भी होने के बावजूद, पार्टियां इस बात से सहमत हैं कि रियायत अवधि के दौरान, यदि प्राधिकरण, हवाई अड्डे से सम्बन्धित अपने अधिकार जैसे कि एयरपोर्ट के संचालन, रखरखाव, विकास आदि को किसी तीसरे पक्ष को पीपीपी मॉडल के तहत या भाविप्रा / भारत सरकार द्वारा तय किया जाना चाहिए, फिर प्राधिकरण को इस तीसरे पक्ष के पक्ष में इस समझौते को सौंपने / बदलने / बदलने का अधिकार होगा, जिसके लिए रियायतकर्ता अपनी सहमति बिना शर्त के देता है और प्राधिकरण आगे रियायतकर्ता की सहमति प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं होगा। इस तरह के असाइनमेंट / नोवेशन / परिवर्तन इस समझौते के तहत उत्पन्न होने वाली सभी देनदारियों और दायित्वों के प्राधिकरण को मुक्त करेगा और असाइनमेंट / एनोवेशन / परिवर्तन की तारीख और इस समझौते के तहत प्राधिकरण के अधिकारों और दायित्वों और अन्य व्यवस्थाओं के प्रावधानों के अनुसार दर्ज किए गए यह समझौता ऐसे तीसरे पक्ष में निहित होगा।

1. That the license for the said facility shall be valid for the period* of **six (6) months** from to..... further **extendable by three (3) months or commencement of Master Concession Retail, whichever is earlier**, unless terminated earlier on account of following;

- a) By giving **30 (thirty) days** of notice in writing without assigning any reason.
- b) Terminated by AAI on a short notice on account of unsatisfactory performance.
- c) Termination on expiry of the specified time period allotted for unresolved internal dispute resolution.

- * Notwithstanding anything contained in this agreement, parties agree that during the Concession Term, in the event the Authority opts to transfer its rights such as operation, maintenance, development etc. of the Airport to a third party under PPP model or in any manner as may be decided by AAI / Government of India, then the Authority shall have the right to assign / novate / alter this Agreement, in favour of such third party, to which concessionaire hereby gives their consent unconditionally and Authority will not be bound to obtain any further consent of concessionaire. Such assignment / novation / alteration would release Authority of all liabilities and obligations arising under this agreement from and after the date of assignment / novation / alteration and the rights and obligations of Authority under this Agreement and other arrangements entered into in accordance with the provisions of this Agreement shall be vested in such third party. The parties, along with relevant third party shall execute necessary

* नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

*Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

documentation or put in place necessary agreements for the aforesaid assignment / novation / alteration as and when need arise.

2. इस विचार में, लाइसेंसधारी अंग्रेजी कैलेंडर माह के वे दिन 25 या उससे पहले लाइसेंस शुल्क के माध्यम से प्राधिकरण को हर महीने अग्रिम भुगतान करेगा।

That in consideration, Licensee shall pay the Authority every month in advance by way of license fee on or before **25th day** of English calendar month as under:

वर्ष Year	मासिक लाइसेंस शुल्क की राशि Amount of Monthly License Fee
	+ उस समय पर लागू जीएसटी
	+ GST applicable on time

3. भाविप्रा हर महीने 10^{वें} दिन या उससे पहले बिल बढ़ाएगा। लाइसेंसधारी को उसी महीने तारीख 25 तक लाइसेंस शुल्क आदि का भुगतान करना होगा, जिसमें विफल रहने पर प्रति वर्ष 9% की दर से विलंबित भुगतान पर ब्याज देय तिथि से तीस दिनों (30 दिनों) की देरी अवधि के लिए लिया जाएगा। यदि विलंब तीस दिनों (30 दिनों) से अधिक के लिए है, तो पूरे विलंब की अवधि के लिए, नियत तारीख से 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लिया जाएगा।

AAI shall raise bill on or before 10th of every month. The licensee has to make the payment of Licence Fee etc. by 25th of the same month, failing which interest on delayed payment at the rate of 9% per annum shall be charged from the due date for delay period of upto **thirty (30) days** and if delay is for more than **thirty (30) days**, then interest at the rate of 18% per annum shall be charged from the due date, for the entire delay period.

4. उपरोक्त लाइसेंस शुल्क के अलावा, लाइसेंसधारी रुपये /- का प्रति माह प्रति वर्गमीटर के आधार पर वातानुकूलित स्थान किराया (यदि लागू हो) भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी है। और रु. /- प्रति वर्गमीटर के आधार पर गैर वातानुकूलित किराया (यदि लागू हो) भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी है। लाइसेंसधारी भाविप्रा द्वारा अधिसूचित सामान्य स्थान किराया, सी.ए.एम. का 10% की दर से देय होगा। इस तरह के शुल्क (कों) का भुगतान बिल में निर्दिष्ट तिथि (यों) के भीतर देय होगा। स्थान का किराया प्रत्येक वर्ष के 1 अप्रैल को 10% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि के अधीन है या समय समय पर भाविप्रा द्वारा तय किया जा सकता है।

That in addition to the above said license fee, Licensee is also liable to pay Rs. /- Per Sqm Per Month towards AC space rent (if applicable) and Rs. /- Per Sqm Per Month towards Non-AC space rent (if applicable). Licensee is also liable to pay CAM charges @10% of AAI notified normal space rent. Such charges shall be paid within the date(s) specified in the bill(s). The space rent is subject to 10% compound annual escalation on 1st April of every year or as may be decided by AAI from time to time.

5. उपर्युक्त लाइसेंस शुल्क के अलावा, लाइसेंसधारी बिजली और पानी की खपत के लिए सभी शुल्क का भुगतान करेगा जो कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित और समय समय पर उसके द्वारा निर्धारित दर(रों) के अनुसार हो सकता है। इस तरह के शुल्क का भुगतान इस तरह के शुल्क का भुगतान बिल(लों) में निर्धारित तिथि के अनुसार किया जाएगा। लाइसेंसधारी को अपना स्वयं का मीटर प्रदान करना होगा, जिसके लिए लाइसेंसधारी को मूल्यांकन की खपत पर बिल दिया जाएगा। उक्त शुल्कों के भुगतान के न किये जाने की स्थिति में, प्राधिकरण अपने अन्य अधिकारों के पक्षपात के बिना या बिना किसी सूचना के उक्त परिसर में पानी और बिजली काट दिया जा सकता है और लाइसेंस कनेक्शन काटने से संबंधित कारण से किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा।

That in addition to the above said licence fee, licensee shall pay all charges towards consumption of electricity and water as may be due as determined by the Authority and at the rate(s) fixed by it from time to time. Such charges shall be paid within the date(s) specified in the bill(s). The Licensee shall have to provide his own meter(s) for the purpose, failing which Licensee shall be billed on assessed consumption. In default of payment of said charges, the Authority may without prejudice to its other rights disconnect or cause to be disconnected the water and electricity to the said premises without any notice and the Licensee shall not be entitled to any compensation whatsoever on account of any such disconnection.

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

•Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

6. लाइसेंसधारीद्वाराकानूनमें लाइसेंसधारी पर देय के रूप में सभी दरों, आकलन, आउट गोइंग और अन्य करों का भुगतान करेगा

That the Licensee shall pay all rates, assessments, out goings and other taxes as leviable on the Licensee in 'Laws'.

7. यह लाइसेंसधारी स्थानीय बैंकों पर या आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से या डिमांडड्राफ्ट से लाइसेंस शुल्क आदि का भुगतान करेगा। लाइसेंस शुल्क, अन्य शुल्क आदि के भुगतान के लिए कोई स्थानीय / बाहरी चेक स्वीकार नहीं किया जाएगा।

That the Licensee shall make payment of license fee etc. either by demand drafts drawn on local banks or through RTGS/NEFT. No local / outstation cheque shall be accepted towards payment of license fee, other charges etc.

8. कि लाइसेंसधारक रुपये (रुपयेकेवल) की राशि जमा करेगा जैसे किभारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण,..... हवाई अड्डे के पक्ष में राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक (सहकारी बैंकों से बैंक गारंटी, यहां तक कि अनुसूचित सहकारी बैंकों, स्वीकार्य नहीं होगा)से मांग पत्र/वेतन आदेश/आरटीजीएस/एनईएफटी/बैंक गारंटी के रूप में सुरक्षा जमा के रूप में महीने के लाइसेंस (..... वर्ष लाइसेंस शुल्क के आधार पर) शुल्क के बराबर राशि।बैंक गारंटी लाइसेंस की पूरी अवधिप्लस छह (6) महीने के लिए मान्य होना चाहिए।लाइसेंसी द्वारा लाइसेंस समझौते के नियमों और शर्तों का कोई उल्लंघन करने की स्थिति में, प्राधिकरण अन्य अधिकारों और उपचारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना सुरक्षा जमा या उसके किसी हिस्से को जब्त करने का हकदार हो सकता है।ऐसी स्थिति में वह उसी तरीके से भुगतान करेगा जैसा कि तत्काल ऐसी अतिरिक्त राशि से ऊपर कहा गया है जैसा कि उसे भुगतान करने के लिए प्राधिकरण द्वारा बुलाया जा सकता है, ताकि सुरक्षा जमा इन प्रस्तुतों को जारी रखने के दौरान हर समय होगा, उसी राशि के लिए होगा।लाइसेंस की समाप्ति या पहले के निर्धारण पर प्राधिकरण सुरक्षा जमा या उसके हिस्से को लौटाएगा, जो कि बिना ब्याज के, उक्त के रूप में ज़ब्त नहीं किया गया है।

That the licensee shall deposit a sum of Rs..... /- (Rupees..... only) i.e. an amount equal to.....months of license (based on.....year license fee) fee as Security Deposit in the form of Demand Draft / Pay order / RTGS / NEFT/ Bank Guarantee from a Nationalized / Scheduled Bank (Bank Guarantee from Co-operative Banks, even scheduled co-operative banks, shall not be acceptable) in favor of Airports Authority of India.....Airport. Bank Guarantee should be valid for the entire period of license **plus six (6) months**. In the event of the Licensee committing any breach of the terms & conditions of the license agreement, the Authority may without prejudice to other rights and remedies be entitled to forfeit the Security Deposit or any part thereof. In Such an event he shall pay in the same manner as stated above such additional sum immediately as he may be called upon by the Authority to pay, so that the Security Deposit shall at all times during the continuance of these presents, be for the same amount. On the expiration or earlier determination of the license the Authority shall return the Security Deposit or part thereof which has not been forfeited as aforesaid, to him, without interest.

9. कि लाइसेंसधारक पिछले वर्ष के लिए वार्षिक लाइसेंस/रियायत मूल्य के 5% के बराबर बिजली शुल्क के संबंध में सुरक्षा जमा की दिशा में भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा, ब्याज न्यूनतम जमा रुपये 10,000/- और अधिकतम रुपये 10 लाख जमा करना।उक्त सिक्क्योरिटी डिपॉजिट एसडी को सभी प्रकार की उपयोगिताओं जैसे बिजली, पानी, डेटा पोर्ट, टेलीफोन आदि को कवर करेगा ।

That the Licensee shall also liable to make the payment towards security deposit in respect of electricity charges equivalent to **5%** of annual licence / concession value for the **last year** subject to minimum deposit of **Rs. 10,000/-** and a maximum deposit of **Rs.10 lakhs**. The said security deposit will cover SD towards all types of utilities such as Electricity, Water, Data Port, Telephone etc.

10. इस अनुबंध के प्रावधान के अनुसार भाविप्रा, किसी भी प्रकृति के लाइसेंसधारकके द्वारा लाइसेंस शुल्क या ब्याज राशि या किसी अन्य राशि के भुगतान में चूक या उल्लंघन की स्थिति में, लाइसेंसधारक को 07 (सात) दिनों की पूर्व सूचना के साथ,समस्त राशि को जिसे भाविप्रा के पास सुरक्षा जमा या बैंक गारंटी और किसी अन्य राशि को इस अनुबंध के हिस्से के

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

•Note- In case any sort of contradiction arises , only English textwill be valid.

रूप में रखा गया है या भाविप्रा के साथ लाइसेंसधारक के किसी अन्य समाप्त/बंद/ खत्म किए गए अनुबंधों से किसी भी अन्य राशि को सेट ऑफ करने और लागू करने या समय समय पर इस प्रकार की राशि को पूर्ण रूप से समायोजित करने हेतु पूर्ण रूप से प्राधिकृत है। यह कानून द्वारा निर्धारित भाविप्रा के पास उपलब्ध किसी भी अधिकार और उपचार के पक्षपात के बिना लाइसेंसधारी से बकाया की वसूली हेतु है।

स्पष्टीकरण 1: इस अनुबंध के उद्देश्य से, सेट ऑफ का अर्थ, भाविप्रा के किसी अन्य हवाई अड्डे/ हवाई अड्डा परिसर पर, भाविप्रा के साथ किसी अन्य अनुबंध में आयोजित, किसी अन्य राशि के साथ जो बैंक गारंटी/ सुरक्षा जमा के रूप में या अन्यथा लाइसेंसधारक के किसी भी बकाया (ओं) के समायोजन से है।

स्पष्टीकरण 2: बकाया राशि का अर्थ होगा, भाविप्रा के किसी हवाई अड्डे या हवाई अड्डा परिसर में इसके अंतर्गत लाइसेंसधारक के विरुद्ध प्रोद्गत राशि/ देय राशि से होगा।

In the event of a default or breach in payment of license fee or interest amount or any other amount due with the licensee of whatever nature as per the provision of this contract, AAI is hereby authorized to adjust such amount from time to time to the fullest extent, with prior notice of **07 (seven)** days to the Licensee, by set off and apply any or all amount at any time held with AAI as security deposit or Bank Guarantee or any other amount as part of this contract or from any other expired / closed / terminated contracts of licensee with AAI. This is without prejudice to any rights and remedies available with AAI to recover the dues from licensee as prescribed by Law.

Explanation 1: For the purpose of this agreement, set off means adjustment of any outstanding due(s) of Licensee, with any amount in form of BG / SD or otherwise, held by AAI in relation to any other agreement, at any AAI airport / airport premises.

Explanation 2: Outstanding dues shall mean and include any amount accrued / due against the licensee under this or any other agreement at any of AAI airport or airport premises.

11. लाइसेंसधारी सभी आवश्यक परमिट, लाइसेंस और ऐसी अन्य अनुमतियों से लैस होगा जो विषय लाइसेंस के संचालन के संबंध में किसी भी समय लागू कानून के तहत आवश्यक हो सकते हैं।

That the Licensee shall equip himself with all necessary permits, licenses and such other permissions as may be required under the law in force at any time with regard to the operation of the subject license.

12. उक्त परिसर में लाइसेंसधारी द्वारा प्रभावित बिक्री के संबंध में अन्य सहायक दस्तावेजों के साथ इस तरह की नियमित और उचित खाताबही रखेगा और प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तरीके से निरीक्षण के लिए- हर समय खाते दस्तावेज उपलब्ध / रहेंगे, यदि प्राधिकरण द्वारा आवश्यक होगा तो लाइसेंसधारक प्राधिकरण को इस तरह से और इस अवधि के भीतर प्राधिकरण के लेखा परीक्षित खातों के विवरण प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारी, चालान विवरण को भाविप्रा के साथ साझा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

That the Licensee shall maintain such regular and proper account books along with other supporting documents regarding sales effected by the Licensee in the said premises and said accounts/documents shall all the times be kept open for inspection by Authority in such manner as may be prescribed. The Licensee shall provide to the Authority, if so required by the Authority, Statements of audited Accounts in such manner and within such period as the Authority, Statements of audited Accounts in such manner and within such period as the Authority may prescribe. Licensee shall be liable to share invoicing details live with AAI.

13. जब प्राधिकरण लाइसेंसधारी को हवाई अड्डे के परिसर में उसी तरह की सुविधा के लिए अतिरिक्त लाइसेंस देने का निर्णय लेगा जहां लाइसेंसधारी ऐसी सेवाओं का प्रतिपादन कर रहा हो तो लाइसेंसधारी को आपत्ति जताने का कोई अधिकार नहीं होगा।

That the Licensee shall have no right to object as and when the Authority decides to grant additional License for similar Facility at the airport premises where the Licensee is rendering such services.

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

•Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

- 14.** प्राधिकरण विषय सेवा के लिए केवल स्थान प्रदान करेगा और सेवाओं की स्थापना और प्रतिपादन के लिए किसी भी तरह का अन्य खर्च लाइसेंसधारी द्वारा किया जाएगा। हालाँकि, बिजली, पानी और जल निकासी कनेक्शन के प्रावधान, जैसा भी हो, यदि आवश्यक हो, तो सेवाओं के सुचारु संचालन के लिए प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया जाएगा।

That Authority shall provide bare space for the subject service and other expenses of any kind for establishment and rendering of the services shall be incurred by the Licensee. However, provisions of electricity, water and drainage connections, as the case may be, if so required, for the smooth operation of the services shall be provided by the Authority.

- 15.** लाइसेंस समझौते के दौरान हर समय, लाइसेंस प्राप्त परिसर में संग्रहीत या उपयोग की जाने वाली सभी चल और अचल संपत्तियों के संबंध में चोरी और संधमारी सहित उचित अग्नि बीमा कवरेज प्राप्त करना लाइसेंसधारक की जिम्मेदारी होगी। किसी भी खाते पर लाइसेंसधारी को किसी भी नुकसान या क्षति के लिए प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा।

All the times during the currency of the license agreement, it shall be the responsibility of the licensee to obtain proper fire insurance coverage including theft and burglary in respect of all the movable and immovable assets stored or used in the licensed premises and authority shall not be responsible for any loss or damage caused to the licensee on any accounts whatsoever.

- 16.** वह लाइसेंसधारक उपयोगकर्ताओं से दर वसूल कर विषय सुविधा का संचालन करेगा, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा अग्रिम में अनुमोदित किया जाएगा। लाइसेंस लाइसेंस परिसर के अंदर एक विशिष्ट स्थान पर उक्त अनुमोदित शुल्क प्रदर्शित करेगा।

That Licensee shall operate the subject facility by charging the rate from users, as may be approved in advance by the Authority. Licensee shall exhibit the said approved charges at a conspicuous place inside the licensed premises.

- 17.** यह प्राधिकरण किसी भी समय परिसर के स्थान को बदलने का अधिकार रखता है और अपने विवेक से, लाइसेंसधारक को साइट खाली करने के लिए बोल सकता है और उसे लाइसेंस के उद्देश्य के लिए वैकल्पिक स्थान दे सकता है। ऐसे मामले में, लाइसेंसधारी परिसर को तुरंत खाली करने के लिए बाध्य होगा और उक्त वैकल्पिक आधार को स्वीकार करेगा इस तरह के स्थानांतरण का पूरा खर्च उसके द्वारा वहन किया जाएगा और लाइसेंसधारक उस स्कोर पर लाइसेंस शुल्क में किसी भी मुआवजे या संशोधन का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

That the Authority reserves to itself the right to change the location of the premises at any time and may at its discretion, call upon the Licensee to vacate the site and may give him an alternative premise for the purpose of this license. In such a case, the Licensee shall be bound to vacate the premises immediately and accept the said alternate premises. The entire expenditure on such shifting shall be borne by him and the licensee shall not be entitled to claim any compensation or revision in the license fee on that score.

- 18.** लाइसेंसधारी, अनुबंध में प्रदान किए गए बोनोफैड उद्देश्य के लिए परिसर का उपयोग करेंगे तथा किसी और उद्देश्य के लिए नहीं, जो विशेष रूप से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, सभी यात्रियों और हवाई अड्डे के बोना फाईड आगंतुकों के लिए और प्राधिकरण के अधिकारियों और विभिन्न एयरलाइंस के कर्मचारियों जो हवाई अड्डे का करते हैं।

The Licensee shall use the premises for the bona fide purpose as provided in the Agreement, more particularly described in the enclosed schedule, for the use of all passengers and bona fide visitors to the Airport and Officers of the Authority and the staff of various Airlines using the Airport and for no other purpose.

- 19.** प्राधिकरण के लिखित में पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के अलावा लाइसेंसधारी किसी भी विज्ञापन या साइनबोर्ड को खड़ा या प्रदर्शित नहीं करेगा

The Licensee shall not erect or display any advertisement or signboards except after obtaining the prior approval in writing of the Authority.

- 20.** लाइसेंसधारक को आवश्यक रूप से अनुबंध की कुल अवधि के न्यूनतम **%50** के लिए अनुबंध का संचालन करना चाहिए लाइसेंसधारी के ऐसा न करने की स्थिति में उसे एक वर्ष (1) की न्यूनतम अवधि के लिए भाविप्रा में किसी भी निविदा

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

•Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

में भाग लेने से वंचित किया जा सकता है।

The licensee must necessarily operate the contract for minimum **50%** of the total period of the contract failing which the licensee may be debarred from participating any tender in AAI for minimum period of **one (1) year**.

- 21.** यदि अनुबंध की मुद्दा के दौरान किसी भी स्तर पर, एएआई यह पाता है कि पार्टी द्वारा कोई असत्य/गलत दस्तावेज प्रस्तुत करके या किसी सूचना/दस्तावेज को छुपाकर अनुबंध प्राप्त किया गया था, ऐसी स्थिति में भाविप्रा के पास जमा किए गए एसडी/बीजी को जब्त कर लिया जाएगा और लाइसेंस को **तीन (3) वर्षों** के लिए भाविप्रा निविदा में भाग लेने से वर्जित कर दिया जाएगा। हालांकि, यदि किसी अवैध गतिविधि के कारण लाइसेंस समाप्त हो जाता है जो भूमि के किसी भी कानून के तहत दंडनीय है तो पार्टी को तब तक वर्जित किया जाएगा जब तक कि भूमि के संबंधित कानूनी प्राधिकरण द्वारा मामले को मंजूरी नहीं दी जाती है।

That in case if at any stage during the currency of the agreement, AAI finds that the party had bagged the contract by submitting any false / wrong document or concealed any information/document, in such an eventuality the SD/BG lying deposited with the AAI shall be forfeited and the licensee shall be debarred for **three (3) years** for participation in AAI tender. However, in case the licence is terminated due to any illegal activity which is punishable under any of the laws of the land then the party will be debarred till the case is cleared by the concerned legal authority of the land.

- 22.** लाइसेंसधारक लाइसेंस की अवधि समाप्त होने से पहले लाइसेंस समाप्त नहीं करेगा सिवाय लिखित में **तीस (30) दिन का नोटिस** देकर, अन्यथा लाइसेंसधारक प्राधिकरण को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा (बिना किसी संकोच या प्रश्न के) ऐसी धनराशि जो प्राधिकरण लाइसेंसधारक द्वारा इसके कारण तय कर सकती है। प्राधिकरण द्वारा बिना कोई कारण बताए लिखित में **तीस (30) दिन का नोटिस** देकर लाइसेंस समाप्त किया जा सकता है।

The Licensee shall not terminate the license before the expiry of the period of the license except by giving **thirty (30) days' notice** in writing, otherwise the Licensee shall be liable to pay to the Authority (without any demur or question) such amount of money as the Authority may decide as due to it by the Licensee. The license can be terminated by the Authority by giving **thirty (30) days' notice** in writing without assigning any reason thereto.

- 23.** इस अनुबंध में बाहर निकलने के लिए खंड इस प्रकार होगा- :

Exit Clause in this contract shall be as follows: -

A) सामान्य समाप्ति :

Normal termination: -

अनुबंध को करार में दिए गए अंतिम तिथि को समाप्त माना जाएगा बशर्ते कि अंतिम तिथि पर या उससे पहले सक्षम अधिकारी द्वारा विस्तार या नवीकरण को अनुमोदित किया जाए और लिखित रूप में पार्टी को सूचित किया जाए और विधिवत रूप से स्वीकार किया जाए। पार्टी की देयता विलंबित ब्याज (अनुबंध में उल्लिखित दर पर) के साथ-साथ तब तक देय रहेगी, जब तक इसका निपटारा नहीं हो जाता। ठेकेदार इस खंड के संचालन द्वारा अनुबंध समाप्त करने के लिए समझा जाता है, भले ही समय वर्जित या अल्ट्रा वायर्स होने के लिए बकाया का दावा नहीं कर सकता।

The contract will deem to be terminated on the last date as given in the agreement provided the extension or renewal is approved by the competent authority on or before the last date and communicated to the party in writing and duly accepted. The liability of the party will continue to be payable along with the delayed interest (at the rate mentioned in the contract) till the same is settled. The contractor cannot claim the dues to be time barred or ultra vires even if after the contract is deemed to have terminated by operation of this clause.

B) खंड की समाप्ति :

Termination for cause: -

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

• Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

यदि पार्टी या एएआई ने आंतरिक विवाद समाधान खंड लागू किया है (जिसके अनुसार डीआरसी को संदर्भित विवाद को 45 दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाना है) और यह निर्दिष्ट समय अवधि के बाद अनसुलझा रहता है, तो यह समझा जाएगा कि समाप्ति के लिए नोटिस अवधि अगली तारीख से शुरू हो गई है जिसके भीतर विवाद का समाधान किया जाना चाहिए था। किसी भी पक्ष द्वारा कोई अतिरिक्त नोटिस की आवश्यकता नहीं है और नोटिस अवधि समाप्त होने के बाद अनुबंध समाप्त हो जाएगा। यदि इस तरह की समाप्ति अनुबंध अवधि के 50% के भीतर आती है, तो पार्टी भाविप्रा को तीन (3) महीनों के लिए वर्तमान लाइसेंस शुल्क की राशि के बराबर लाइसेंस शुल्क के मूल्य का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इस समझौते में आंतरिक विवाद तंत्र समाप्त होने के बाद ही मध्यस्थता खंड के आवाहन का भी प्रावधान होना चाहिए। हालांकि, समाप्ति के लिए नोटिस मध्यस्थता कार्यवाही की परवाह किए बिना शुरू कर दिया है समझा जाएगा।

If the party or AAI has invoked the internal dispute resolution clause (as per which the dispute referred to the DRC is to be completed within a period of **45 days**) and the same remains unresolved after the specified time period, it will be deemed that the notice period for the termination has commenced from the next date within which the dispute should have been resolved. No extra notice need be served by either party and the contract will terminate after the expiry of the notice period. If such termination happens to fall within **50%** of the contract period, then the party is liable to pay AAI the value of license fee equal to the amount of current license fee for **three (3) months** as demurrage charges. The agreement should also provide for invocation of arbitration clause only after the internal dispute mechanism has been exhausted. However, the notice for termination will deem to have commenced irrespective of the arbitration proceedings.

C) सुविधा की समाप्ति :

Termination for convenience: -

कोई भी पार्टी, एक भाग पर भाविप्रा और दूसरी पार्टी के ठेकेदार अपेक्षित नोटिस की अवधि देकर समाप्ति के लिए सूचना दे सकते हैं। भाविप्रा द्वारा नोटिस स्वीकृति प्राधिकरण के अनुमोदन मिलने के बाद ही काम किया जाएगा। इसी तरह, पार्टी द्वारा दिए गए नोटिस को स्वीकृति प्राधिकरण से अनुमोदन पर दी जाए। हालांकि एएआई को जिस तारीख को नोटिस मिला था, उस तारीख को नोटिस पीरियड शुरू होगा और मंजूरी के लिए जरूरी प्रशासनिक समय नहीं जोड़ा जाएगा। यदि रियायत/लाइसेंस को लाइसेंस अवधि के 50% के भीतर समाप्त कर दिया गया है या पार्टी द्वारा 50% लाइसेंस अवधि पूरी होने के बाद लाइसेंस/रियायत सरेंडर करने के लिए तीस (30) दिनों की अपेक्षित सूचना नहीं दी गई है, तो वर्तमान लाइसेंस शुल्क के बराबर सुरक्षा जमा को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, क्षतिपूर्ति शुल्क के रूप में जब्त किया जाएगा:

क्रम सं	यदि लाइसेंस /रियायत की समाप्ति होती है	सुरक्षा लाइसेंस को वर्तमान लाइसेंस शुल्क के बराबर जमा किया जाना है (महीनों में)
(i)	अनुबंध की अवधि के 50% से पहले	दो (2) महीने
(ii)	50% to 75% के बीच में	दो (2) महीने
(iii)	75% to 100% के बीच में	एक (1) महीना

नोट : यदि लाइसेंसधारक अनुबंध अवधि के 50% तक लाइसेंस संचालित नहीं करता है तो पार्टी आदेश जारी करने की तारीख से एक (1) वर्ष के लिए वर्जित होने के लिए उत्तरदायी है।

Either party, AAI on one part and the contractor on the other party can serve the notice for termination by giving the requisite notice period. The notice by AAI to be served only after obtaining the approval of the acceptance authority. Similarly, the notice given by the party should be approved by the acceptance authority. However, the date on which notice was received at AAI will be the commencement of the notice period and the administrative time required for the approval will not be added. If the concession/license has been terminated within **50%** of the license period or the party has not served the requisite notice of **thirty (30) days**, for surrender of license/concession after completion of **50%** licence period, then the Security Deposit equivalent to current license fee shall be forfeited as demurrage charges, as per the details below:

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

• Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

S. No.	If termination of concession/ license occurs	Security deposit equivalent to current license fee to be forfeited (in months)
(i)	Before 50% of contract period	Two (2) months
(ii)	between 50% to 75%	Two (2) months
(iii)	between 75% to 100%	One (1) month

NOTE: If the licensee does not operate the license upto **50%** of the contract period then the party is liable to be debarred for **one (1) year** from the date of issuance of orders.

D)नियामक / विधायी या पर्यवेक्षी आवश्यकताओं के कारण समाप्ति:

Termination for regulatory / legislative or supervisory requirements:

यदि भारत के कानून या विधान के किसी प्रावधान में किसी विशेष स्थान पर किसी भी अनुबंध को जारी रखने पर रोक लगाना/प्रतिबंध लगाना अनिवार्य है या अन्यथा यह इस तरह के अधिनियमन की तारीख से बंद होना समझे जाएगा। एएआई द्वारा कोई मुआवजा देय नहीं है।

If any provision of law or legislation of India makes it mandatory to stop / prohibits the continuation of any contract at any particular location or otherwise then it will deem to be closed from the date of such enactment. No compensation is payable by AAI.

- 24.** क्षतिपूर्ति शुल्क के रूप में प्रति माह लाइसेंस शुल्क पर दोगुना जुर्माना अनुबंध शुल्क की अवधि समाप्त होने के बाद परिसर में अनधिकृत लाइसेंसधारियों पर लगाया जा सकता है।

Exponential penalty on licensees @ double the licence fee per month in the form of damage charge can be imposed on licensees unauthorized occupying the premises after expiry of contract period.

- 25.** प्राधिकरण की राय में लाइसेंसधारी की ओर से लाइसेंस समझौते के सभी या किसी भी शर्तों का अनुपालन करने में डिफॉल्ट, विफलता, लापरवाही या उल्लंघन होने पर, प्राधिकरण को लाइसेंस प्राप्त करने और किसी भी मुआवजे या हर्जाने के भुगतान के बिना परिसर के कब्जे को फिर से शुरू करने और फिर से पूर्ण या आंशिक रूप से समझौते के उचित प्रदर्शन के लिए जमा की गई राशि के बिना ज़ब्त करने का अधिकार होगा।

In the event of any default, failure, negligence or breach, in the opinion of the Authority on the part of the Licensee in complying with all or any of the conditions of the license agreement, the Authority will be entitled and be at liberty to determine the license forthwith and resume possession of the premises without payment of any compensation or damages and also forfeit in full or in part the amount deposited by the Licensee for due performance of Agreement.

- 26.** अवार्ड पत्र सं की स्वीकृति दिनांक तथा एनआईटी शर्तें लाइसेंस समझौते का अहम हिस्सा बनेंगी।

Acceptance of award letter No..... dated and NIET conditions shall form part and parcel of the license agreement.

- 27.** प्राधिकरण और लाइसेंसधारी आगे सहमत होंगे कि वे सामान्य नियमों और शर्तों, विशेष नियम और शर्तों, रियायत लेआउट, परिसर की अनुसूची हेतु बाध्य हैं, जो कि क्रमशः परिशिष्ट '1, 2, 3 और 4' में दिया गया है।

हस्ताक्षरित _____, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से विमानपत्तन निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, श्री गुरु राम दास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, उपस्थिति में :	
गवाह	
1.	
2.	

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

•Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

हस्ताक्षरित _____, की ओर से _____, की उपस्थिति में :	
गवाह	
1.	
2.	

The Authority and the Licensee further agree that they are bound by the General Terms & Conditions, Special Terms and Conditions, Concession Layout, Schedule of Premises, found in Appendix '1, 2, 3 &4' respectively annexed hereto.

SIGNED BY _____, AIRPORT DIRECTOR, AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA, Sri Guru Ram Dass Jee International Airport, Amritsar FOR AND ON BEHALF OF AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA, IN THE PRESENCE OF:	
Witnesses	
1.	
2.	

SIGNED BY _____, FOR AND ON BEHALF OF _____, IN THE PRESENCE OF:	
Witnesses	
1.	
2.	

परिशिष्ट: अनुलग्नक-A की 1
APPENDIX: 1 of Annexure-A

सामान्य नियम एवं शर्तें
GENERAL TERMS AND CONDITIONS

प्राधिकरण द्वारा लाइसेंसधारी के साथ नियम इस प्रकार है:

The Authority hereby covenants with the licensee as follows:

- (1) लाइसेंसधारी, उसके सेवक और एजेंट, सभी नियमों, रास्तों और मार्गों का उपयोग करने के हकदार होंगे, जो समय-समय पर उक्त हवाई अड्डे पर ऐसे नियमों और विनियमों के अधीन हवाई अड्डे के वैध अधिकारियों द्वारा लगाए जा सकते हैं।

The Licensee, his servants and agents shall be entitled to use all ways, paths and passages as may from times to time be maintained on the said airport ground subject to such rules and regulations as may be imposed by the lawful authorities of the airport ground.

- (2) लाइसेंसी जो लाइसेंस शुल्क का भुगतान कर रहे हैं और इसमें निहित वाचाओं का निष्पादन कर रहे हैं तथा अपनी ओर से शांतिपूर्ण तरीके से परिसर का उपयोग कर सकते हैं और उन तरीकों, रास्तों और मार्गों के उपयोग के साथ परिसर का आनंद ले सकते हैं, जो प्राधिकरण द्वारा या प्राधिकरण के तहत दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी वैध व्यवधान के बिना उक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त हैं।

The Licensee paying the licence fee and performing the covenants herein contained and, on his part, to be performed shall and may peacefully possess and enjoy the premises with the use of the ways, paths and passages as aforesaid during the said term without any lawful interruption from or by the Authority or any person claiming under the Authority.

- (3) इस समझौते के तहत लाइसेंसधारी को सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक किसी भी नोटिस को अगर उसे पंजीकृत डाक द्वारा वितरित किया गया है या उसके अंतिम ज्ञात पते पर या उसके अधिकृत प्रतिनिधि या एजेंट को भेजा गया है तो माना जाएगा कि उसे सर्व का दिया गया है इसी तरह, इस समझौते के तहत प्राधिकरण को दिए जाने वाले किसी भी नोटिस को भेजा हुआ माना जाएगा यदि उसे पंजीकृत डाक द्वारा वितरित या भेजा गया है

ए. इस समझौते के तहत दिए गए नोटिस की अवधि दोनों पक्षों द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से गिना जाएगा।

Any notice required to be served on the licensee under this agreement shall be deemed to have been served if delivered at or sent by registered post to his last known address or to his authorized representative or agent. Similarly, any notice to be given to the Authority under this agreement shall be deemed to have been served if delivered at or sent by registered post to the Authority.

a. The period of notice given under this Agreement will count from the date of receipt of notice by either side.

- (4) अन्यथा प्रदान किए जाने से पहले यहां दिए गए विषयपर विमानपत्तन निदेशक या उस समय किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी या हवाई अड्डे के प्रभारी संबंध में उक्त विमानपत्तन निदेशक के कार्यों, कर्तव्यों और शक्तियों के साथ अधिकृत या सौंपा गया हो द्वारा सभी नोटिस प्राधिकरण की ओर से दिए जायेंगे तथा अन्य सभी कार्रवाई प्राधिकरण की ओर से की जायेगी।

Subject as herein before otherwise provided, all notices to be given on behalf of the Authority and all other actions to be taken on behalf of the Authority, may be given or taken on behalf of the Authority by the Airport Director of the Airport or by any other officer for the time being authorized by or entrusted with the functions, duties and powers of the said Airport Director, in respect of the Airport under his charge.

- (5) (a) लाइसेंसधारक प्राधिकरण की लिखित सहमति के साथ, इस लाइसेंस या उसके किसी भी भाग के संबंध में किसी भी विवरण का उपनिर्माण नहीं करेगा, और न ही ऐसी उक्त उल्लेखित लिखित सहमति के बिना होगा, लाइसेंस या किसी अन्य भाग को किसी और को सौंपेगा या स्थानांतरित करेगा।

The Licensee shall not, unless with the written consent of the Authority, create a

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

•Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

subcontract of any description with regard to this license or any part thereof, nor shall be without such written consent as aforesaid, assign or transfer his license or any part thereof.

(b) लाइसेंसी केवल इस अनुबंध में बताए गए उद्देश्य और किसी अन्य उद्देश्य के लिए परिसर का उपयोग नहीं करेगा।

The Licensee shall use the premises only for the purpose indicated in this agreement and for no other purpose whatsoever.

- (6) लाइसेंसधारक अपने एजेंट और नौकर दुकान और स्थापना अधिनियम, कारखाना अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और लाइसेंसधारक पर लागू किसी भी नियम और विनियमों सहित लाइसेंसधारक पर लागू किसी भी सांविधिक कानून के प्रावधानों का पालन, प्रदर्शन और अनुपालन करेंगे, जिसमें प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन विभाग या सरकार के किसी अन्य विभाग और स्थानीय निकाय या समय-समय पर लागू प्रशासन और लाइसेंसधारक को इस समझौते के तहत और उस क्षेत्र में ले जाने की अनुमति है जिसमें उक्त परिसर स्थित हैं।

The Licensee his agents and servants shall observe, perform and comply with all rules and regulations of the shop and Establishment Act, Factories Act, Industrial Disputes Act, Minimum Wages Act and the provisions of any statutory law applicable to the licensee including any rules and regulations made by the Authority, Civil Aviation Department or any other Department of government and or local body or Administration in force from time to time and to the business which the licensee is allowed to carry on under this agreement and to the area in which the said premises are located.

- (7) (a) लाइसेंसधारी प्राधिकरण द्वारा किसी भी कानून के प्रावधानों के पालन और प्रदर्शन में लाइसेंसधारी की ओर से किसी भी चूक के कारण या उसके द्वारा किए गए किसी भी दावे के खिलाफ / उसके खिलाफ प्राधिकरण को क्षतिपूर्ति करेगा, जो इस उद्देश्य से संबंधित हो सकता है समझौता और उस क्षेत्र के लिए जिसमें परिसर स्थित हैं।

The Licensee shall indemnify the Authority from/against any claims made or damages suffered by the Authority by reason of any default on the part of the licensee in the due observance and performance of the provisions of any law which may be related to the purpose of this agreement and to the area in which premises are located.

(b) लाइसेंसधारी के स्टॉक या संपत्ति के किसी भी तरह से नुकसान या क्षति के लिए प्राधिकरण किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।

The Authority shall not be responsible in any way for loss or damage by any means causes to the licensee's stock or property.

- (8) लाइसेंसधारक अपनी लागत पर परिसर को साफ-सुथरी स्थिति में बनाए रखेगा और और ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो प्राधिकरण और ऐसे अन्य विभागों द्वारा दिए जा सकते हैं, जो स्वच्छता और स्वच्छता की शर्तों के बारे में निरीक्षण और प्रवर्तन के कार्यों के साथ नियमों और विनियमों द्वारा सौंपे जा सकते हैं। यदि लाइसेंसधारक द्वारा परिसर को यथोचित रूप से साफ-सुथरी स्थिति में नहीं रखा जाता है, तो हवाई अड्डा निदेशक को लाइसेंसधारक के जोखिम और लागत पर परिसर की सफाई कराने और 07 (सात) दिनों तक प्रत्येक चूक हेतु रु.1000/- प्रति दिन की दर से परिसमापन हर्जाना वसूलने और उसके बाद रु.2,000/- प्रतिदिन तक की वसूली करने का अधिकार होगा और लाइसेंस समाप्त करने सहित अन्य कार्यवाई हेतु अधिकार होगा।

The Licensee shall at his own cost maintain the premises in a proper state of cleanliness and abide by such directions as may be given by the Authority and such other departments as may be entrusted by the rules and regulations with the works of inspection and enforcement about the conditions of sanitation, cleanliness and hygiene. If the premises are not maintained in reasonably clean condition by the licensee, Airport Director shall have powers to get the premises cleaned at the risk & cost of the licensee and recover liquidated damages at the rate of Rs.1000/- per day for each default up to 07 (seven) days & thereafter Rs.2,000/- per day and can take other actions including termination of the licence.

* नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

*Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

(9) लाइसेंसधारक नीचे दिए गए सहित सभी आवश्यक मानक स्वास्थ्य खंडों का पालन करेगा:

The licensee shall comply with the requirements of all standard health clauses including those given below:

- a.** हवाईअड्डा स्वास्थ्य अधिकारी / भा.वि.प्रा. के चिकित्सा अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति बिना किसी सूचना के किसी भी समय परिसर में प्रवेश कर सकते हैं तथा लाइसेंसधारक द्वारा उपयोग किए जाने वाले परिसर, सामग्री, उपकरणों और औज़ारों आदि का निरीक्षण कर सकते हैं।

The Airport Health Officer / Medical Officer of AAI or persons authorized by them may without notice, enter the premises any time and inspect the premises, materials, instruments and implements etc. used by the licensee.

- b.** हवाईअड्डा स्वास्थ्य अधिकारी / भा.वि.प्रा. के चिकित्सा अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति को हवाई अड्डे के सार्वजनिक स्वास्थ्य के रखरखाव हेतु दिये गए निर्देश पर संक्रामक नियंत्रण सहित संक्रामक रोगों, कीटों, कीड़े, कृन्तकों या किसी अन्य स्रोत से उपद्रव की रोकथाम उनके और उनके एजेंट और नौकरों द्वारा की जाएगी।

All instructions given by the Airport Health Officer / Medical Officer of AAI or any persons authorized by them in the maintenance of public health of the Airport including sanitation control prevention of infectious diseases, control and prevention of nuisance from insects, rodents or any other source shall be carried out by them and his agent and servants.

- c.** उसके अधीन काम करने वाला कोई भी व्यक्ति जब भी संक्रामक रोग से पीड़ित हो या पीड़ित होने का संदेह हो अथवा किसी संक्रामक बीमारी से ग्रस्त तो लाइसेंसधारक हवाईअड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित करेगा। हवाईअड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी उक्त व्यक्ति या किसी ऐसे व्यक्ति का चिकित्सकीय निरीक्षण कर सकते हैं जिन पर संदेह हो कि वह व्यक्ति के संपर्क में है तथा आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी एहतियाती और निवारक उपायों कर रहा है।

The licensee shall notify to the Airport Health Officer whenever any person working under him is suffering or suspected to be suffering or convalescing from any infectious disease. The Airport Health Officer may medically inspect the said person or any person who is suspected to have been in contact with the person and take any precautionary and preventive measures considered necessary.

- d.** हवाईअड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी की सहमति के बिना लाइसेंसधारक उनके एजेंट तथा नौकरहवाईअड्डे के स्वास्थ्य कार्यालय के आदेशों के अंतर्गत या मच्छरों के प्रजनन या प्रवेश को रोकने के उद्देश्य से किसी भी भूमि या भवन के अधीन या उसके भीतर या बाहर रखी गई किसी भी कार्य या किसी भी सामग्री या वस्तुओं को क्षति करने, नष्ट करने या स्वच्छता का रखरखाव प्रस्तुत करने में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

The licensee his agents and servants shall not without consent of the Airport Health Officer, interfere with injure, destroy or render useless any work executed or any materials or things placed in, under or upon any land or building by or under the orders of the Airport Health Office with the object of preventing the breeding or entry of mosquitoes or maintenance of sanitation.

- e.** लाइसेंसधारी, उसके एजेंट तथा नौकर पानी के स्रोतों और हवाई अड्डे के क्षेत्र में जल निकासी सुविधाओं का दुरुपयोग नहीं करेंगे, ताकि उपद्रव पैदा हो या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता संबंधी स्थिति पैदा हो।

The licensee, his agents and servants shall not abuse the water sources, and drainage facilities in the airport area so as to create a nuisance or in sanitary situation prejudicial to public health.

- f.** प्राधिकरण की राय में किसी भी चूक, विफलता, लापरवाही या उल्लंघन की स्थिति में, पूर्वगामी उपखंड (ए) से (ई) में निर्दिष्ट इन शर्तों में से किसी एक के अनुपालन में लाइसेंसधारक की ओर से, प्राधिकरण लाइसेंसधारक को निर्धारित करने और मुआवजे या नुकसान के भुगतान के बिना परिसर के कब्जे को फिर से शुरू करने का हकदार तथा पूर्ण

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

•Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

या आंशिक रूप से करार के निष्पादन हेतु जमा की गई राशि के भुगतान हेतु स्वतंत्र होगा।

In the event of any default, failure, negligence or breach in the opinion of the Authority, on the part of the licensee in complying with either of these conditions specified in the foregoing sub-clause (a) to (e), the Authority will be entitled and be at liberty to determine the licensee forthwith and resume a possession of the premises without payment of any compensation or damages and forfeit in full or in part the amount deposited by the licensee for due performance of the agreement.

- (10) लाइसेंसधारक केवल ऐसे नौकरों को नियोजित करेगा जो अच्छे चरित्र के होंगे तथा साथ ही उनके व्यवसाय में व्यवहार कुशलता होगी। वह इस अनुबंध के प्रयोजन से उन्हें नियोजित करने का प्रस्ताव रखता है तथा सभी नौकरों को नियोजित करने से पूर्व उनके नाम, माता-पिता, आयु, निवास और हस्ताक्षर के नमूने या अंगूठे के निशान के साथ लिखित रूप में प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा तथा प्राधिकरण किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे वह अवांछनीय मान सकता है, के रोजगार को रोकने के लिए स्वतंत्र होगा। उनके द्वारा नियोजित नौकर प्राधिकरण के सामान्य अनुशासन के अंतर्गत होंगे तथा ऐसे दिशा-निर्देशों की पुष्टि करेंगे, जो दिशा निर्देश प्राधिकरण द्वारा बिंदु या प्रवेश मार्गों और परिसर से बाहर निकलने और शौचालय और वॉशरूम के उपयोग के संबंध में जारी किए जा सकते हैं। प्राधिकरण में रोजगार से पूर्व उसके द्वारा नियोजित सभी व्यक्तियों का पुलिस द्वारा सत्यापित चरित्र होना चाहिए।

The licensee shall employ only such servants as shall have good character and as well behaved and skillful in their business. He shall furnish the Authority in writing with the names, parentage, age, residence and specimen signature or thumb impression of all servants whom he proposes to employ for the purpose of this agreement before they are so employed and the Authority shall be at liberty to forbid the employment of any person whom it may consider undesirable. The servants employed by him shall be under the general discipline of the Authority and shall confirm to such directions as may be issued by the Authority in respect of point or routes of entry to and exit from the premises and in respect of the use of toilet and wash rooms. He shall also have the character of all persons employed by him verified by the police to the satisfaction of the Authority, before the employment.

- (11) (ए) लाइसेंसधारक को व्यवसाय शुरू करने से पूर्व लाइसेंस प्राप्त परिसर में अपनी लागत पर पर्याप्त संख्या में आग बुझाने का यंत्र कम से कम 2.5 किलो CO² स्थापित करने की आवश्यकता होगी (जैसा कि अग्निशमन अधिकारी या भा.वि.प्रा. के किसी अन्य अधिकारी द्वारा निर्धारित लाइसेंस के परिसर के क्षेत्र के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है)।

(a) The licensee would be required to install adequate number (as may be determined by Fire Officer or any other officer of AAI depending upon the area of the licensed premises) of minimum a 2.5 kg CO² fire extinguisher in the licensed premises at his cost before commencement of business.

(बी) लाइसेंस प्राप्त परिसर में लकड़ी के विभाजन / ज्वलनशील सामग्री की अनुमति नहीं होगी। दुकान/ कार्यालय परिसर के विभाजन / निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री भा.वि.प्रा. द्वारा दिए गए विनिर्देश के अनुसार होगी और अग्नि में भा.वि.प्रा. द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए।

(b) No wooden partition / inflammable material shall be permitted in the licensed premises. The material to be used for partition / fabrication of the shop / office premises shall be as per the specification given by AAI and to be got approved by AAI in advance.

(सी) लाइसेंसधारी नग्न प्रकाश का उपयोग नहीं करेगा या कारण अथवा लाइसेंस प्राप्त परिसर में ऐसी किसी भी रोशनी का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा।

(c) Licensee shall not use a naked light or cause or permit any such light to be used in the licensed premises.

- (12) लाइसेंसधारक हवाईअड्डा परिसर के किसी भी हिस्से के परिसर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और लाइसेंसधारक या उसके कर्मचारियों या आमंत्रितों या ग्राहकों द्वारा जानबूझकर या अन्यथा होने वाले किसी भी नुकसान की स्थिति में, प्राधिकरण क्षति की मरम्मत करने या अपेक्षित प्रतिस्थापन करने का हकदार होगा तथा लाइसेंसधारी से प्रतिस्थापन हेतु मांग कर सकता है व लाइसेंसधारी को लागत की प्रतिपूर्ति करने की मांग कर सकता है, जो लाइसेंसधारक मांग पर

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

•Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

आगे भुगतान करने हेतु वचन देता है।

The licensee shall not damage the premises for any part of the Airport premises and in the event of any damage being caused to the same intentionally or otherwise, by the licensee, or his employees or invitees or customers, the Authority shall be entitled to repair the damage or make the requisite replacement and call upon the licensee to replacement and call upon the licensee to reimburse cost thereof which the licensee undertakes to pay forthwith on demand.

- (13) लाइसेंसधारक परिसर में भारी सामग्री को संग्रहीत या लाएगा अथवा रखेगा नहीं ताकि परिसर को हानि या क्षति पहुंचा सके या न ही जब तक लाइसेंस को निष्पादित करने हेतु आवश्यक हो तब तक दहनशील या ज्वलनशील प्रकृति का सामान रख सकेगा।

The licensee shall not store or bring or keep in the premises heavy articles so as to injure or damage the premises or keep goods of combustible or inflammable nature unless required for executing the licence.

- (14) (ए) लाइसेंसधारी परिसर में चाय, कॉफी की तैयारी और भोजन को गर्म करने आदि के लिए विद्युत हीटर, टोस्टर और अन्य संबद्ध उपकरणों का उपयोग नहीं करेगा जब तक कि विशेष रूप से अनुबंध के दायित्वों को पूरा करने हेतु करार के अंतर्गत विशेष रूप से प्रदान नहीं किया जाता है।

(a) The licensee shall not use electrical heater, toaster and other allied appliances in the premises for preparation of tea, coffee and for heating of food etc. unless specifically provided under the agreement to perform contractual obligations.

(बी) लाइसेंसधारक लाइसेंस प्राप्त परिसर में तैनात कर्मचारियों को टर्मिनल/लाइसेंस प्राप्त परिसर में प्रदान किए गए आग बुझाने के उपकरण को संभालने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहमति प्रदान करता है।

(b) The licensee hereby agrees to provide necessary training to the employees posted in the licensed premises for handling fires extinguisher as provided in the terminal/licensed premises.

(सी) लाइसेंसधारक, इस लाइसेंस बीमा की निरंतरता के दौरान कामगारों के मुआवजे के लिए किसी भी दावे के विरुद्ध या उसके द्वारा व्यवसाय में नियोजित सभी व्यक्तियों को इस तरह के बीमा कंपनी के साथ उपरोक्त कार्य हेतु बीमा करेगा तथा प्राधिकरण अनुमोदन प्रदान करेगा तथा वर्तमान प्रीमियम के लिए समय-समय पर सभी नीतियों और समय-समय पर प्राप्तियों के संबंध में प्राधिकरण द्वारा मांग पर निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा।

(c) The licensee will, during the continuance of this licence insure against any claim for workmen's compensation or otherwise of all persons employed by him in connection with his business to be carried on as aforesaid with such insurance company as the Authority shall approve of and shall produce for inspection on demand by the Authority all policies in respect thereof and the receipts from time to time for current premium.

- (15) इस लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन के मामले में मामूली अपराध और इसकी सूचना पर आने वाली शिकायतों के लिए प्राधिकरण के अनुसार इस अनुबंध को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है, तो प्राधिकरण इस अपमान में लाइसेंसधारक से लाइसेंस की सुरक्षा जमा राशि की सीमा तक मुआवजे की वसूली कर सकता है। इस संबंध में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम और लाइसेंसधारक के लिए बाध्यकारी होगा।

In the case of such breach of the terms of this licence as minor offences and complaints coming to its notice for which in the opinion of the Authority this agreement need not be terminated, the Authority may at its discretion recover compensation from the licensee up to the limit of the Security deposit of the licensee. The decision of the Authority in this respect will be final and binding on the licensee.

- (16) लाइसेंसधारक को लाइसेंस परिसर में किसी भी सार्वजनिक या निजी नीलामी को आयोजित करने या रखने की अनुमति नहीं होगी।

The licensee shall not hold or permit to be held any public or private auction in the licensed

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

•Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

premises.

- (17) लाइसेंसधारक परिसर में मर्दों को उन कीमतों पर बेचेगा जो मर्दों पर अंकित होंगे या उनके टैग पर लगे होंगे और यह निर्माताओं द्वारा तय अधिकतम खुदरा कीमतों / उचित मूल्यों से अधिक नहीं होगा या सरकारी या कोई अन्य स्थानीय प्राधिकारी जो भी कम हो अथवा नियंत्रित मूल्य के मामले में नियंत्रित मूल्य किसी भी प्राधिकरण द्वारा तय और अन्य सभी मामलों में, समान मर्दों के लिए उचित बाजार दरों से अधिक नहीं होगा। प्राधिकरण लाइसेंसधारक को कारण बताने हेतु उचित अवसर देने के पश्चात स्वयं किसी भी मद या मद की कीमत तय कर सकता है, यदि, उसकी राय में, जो मूल्य वसूल किए जा रहे हैं वे अनुचित या अतिरिक्त हैं और इसके बाद लाइसेंसधारक केवल प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही बिक्री करेगा तथा वह किसी भी ग्राहक को किसी भी राशि जिस हेतु उस ग्राहक द्वारा तय कीमत से अधिक भुगतान किया गया होगा को वापस करने हेतु उत्तरदायी होगा।

The Licensee shall sell articles in the premises at prices which shall be marked on the articles or on tags attached thereto and it shall not be in excess of the retail prices/fair prices fixed by the manufacturers or Government or any other local authority whichever is lower or controlled price in case such case controlled price has been fixed by any authority and in all other cases, not exceeding the reasonable market rates for similar goods. The Authority can after giving reasonable opportunity to the Licensee to show cause, itself fix the price of any article or articles, if, in its opinion, the prices charged are unreasonable or exorbitant and thereupon the Licensee shall sell only at the price so fixed by the Authority and he/she shall also be liable to refund to any customers any amount in excess paid by such customer for any articles in excess of the price so fixed.

- (18) लाइसेंसधारक के लिए यह स्टॉक में रखने के लिए अनिवार्य होगा और यदि वे वितरण के लिए अभिप्रेत हैं, भारत सरकार और / या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पर्यटन विभाग के प्रकाशन विभाग द्वारा समान प्रदर्शन, साहित्य का उत्पादन और विमोचन किया जाता है को वितरित करे, जिसके अधिकार क्षेत्र में हवाई अड्डा ऐसे नियमों और शर्तों पर स्थित है, जो उक्त प्रकाशन विभाग या उक्त पर्यटक विभाग द्वारा तय किया जा सकता है।

It shall be obligatory for the licensee to keep in stock and in case they are intended for distribution, distribute the same and display, literature, produced and released by the Publications Division of Government of India and/or Tourism Department of the Central Government or of the State Government within whose jurisdiction the Airport is situated on such terms and conditions as may be fixed by the said Publications Divisions or said Tourist Department.

- (19) लाइसेंसधारक किन्हीं भी पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों या पत्रिकाओं, मूर्तियों, प्रतिमाओं अथवा अन्य लेखों जो नैतिकता के प्रति घृणास्पद या अभद्र और अनैतिक, अनुचित या अन्यथा चरित्र में आपत्तिजनक हैं को बिक्री के लिए संग्रहीत नहीं करेगा, इस बारे में स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जा रही है कि प्राधिकरण का निर्णय इस मामले में निर्णायक होगा और लाइसेंसधारी पर पूरी तरह से बाध्यकारी होगा और किसी भी विवाद या समीक्षा के अधीन नहीं होगा। किसी भी अन्य कानूनी / अनुशासनात्मक कार्रवाई के अतिरिक्त यदि, जैसा कि किसी भी तरह से प्राधिकरण द्वारा इसे रखने, प्रदर्शित करने या बेचे हेतु आपत्तिजनक तय किया गया है, तो लाइसेंसधारक ऐसी पुस्तक, पत्रिका या लेखों को तुरंत परिसर से हटा देगा।

The licensee shall not stock, sell, display, exhibit for sale any books, magazines, newspapers or periodicals, statues, idols or other articles which are repugnant to morals or indecent and immoral, improper or otherwise objectionable in character, it being expressly agreed that the decision of the Authority shall be conclusive in this behalf and absolutely binding on the licensee and shall not be subject to any dispute or review. Apart from any other legal / disciplinary action, the licensee shall immediately remove such book, journal or articles from premises, if, as decided by the Authority it is objectionable in any manner to keep, exhibit or sell the same.

- (20) लाइसेंसधारक परिसर में एक प्रमुख स्थान पर शिकायत पुस्तिका बनाए रखेगा और इस तरह से यह किसी भी व्यक्ति के लिए आसानी से सुलभ होगी जो किसी भी तरह की शिकायत को दर्ज करना चाहता हो तथा उक्त पुस्तक प्राधिकरण के विमानपत्तन निदेशक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा पाक्षिक निरीक्षण हेतु खुली रहेगी।

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

•Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

The licensee shall maintain a complaint book in a prominent place in the premises and in such a way that it is easily accessible to any person who wishes to record any complaint and the said book shall be open for inspection fortnightly by the Airport Director of the Authority or his authorized representative.

- (21) अगर हवाईअड्डे पर किसी हड़ताल या तालाबंदी के कारण अथवा किसी भी एयरलाइन में, लाइसेंसधारक कार्य करने में असमर्थ है या उसका व्यवसाय प्रभावित है, तो इस तरह के किसी भी घटनाक्रम में यदि लाइसेंसधारक को नुकसान होता है तो प्राधिकरण ऐसे किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। हालांकि, हवाईअड्डे पर आगंतुक प्रवेश पर प्रतिबंध, प्राकृतिक आपदाओं और हवाईअड्डे के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा पर समय-समय पर भावि प्रा. द्वारा निर्धारित मामले और नीति की योग्यता के अनुसार लाइसेंस शुल्क पर छूट दी जाएगी।

If because of any strike or lock-out in the Airport or in any airline, the licensee is unable to function or his business is affected, the Authority shall not be liable for any loss which the licensee may suffer in such an event. However, rebate in the licence fee due to ban on visitor entry at the airport, natural calamities and declaration of the closure of the airport for total operation shall be granted as per the merit of the case and policy laid down by AAI from time to time.

- (22) सरकारी कानून / नियम / विनियम / आदेशों के कारण परिसर में लाइसेंसधारक को एक या अधिक मद बेचने हेतु प्रतिषिद्ध होने की स्थिति में, लाइसेंसधारक को हुए किसी भी नुकसान के लिए प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा, ऐसी किसी भी घटना में लाइसेंसधारक प्राधिकरण को देय शुल्क में किसी भी छूट या अतिरिक्त वस्तुओं की बिक्री की अनुमति का हकदार नहीं होगा।

In the event of the Licensee being prohibited from selling one or more articles in the premises because of Government Laws/Rules/Regulations/Orders, the Authority shall not be liable for any loss suffered by the Licensee in such an event the Licensee shall not be entitled to any reduction in the fees payable to the Authority or permission for sale of additional items.

- (23) लाइसेंसधारक प्राधिकरण को परिसर की डुप्लिकेट चाबियां जमा करेगा तथा जब भी आपातकाल की स्थिति में विमानपत्तन निदेशक मांग करते हैं तथा आज्ञा देते हैं प्राधिकरण चाबियों का उपयोग कर सकता है। लाइसेंसधारक बाहरी दरवाजे पर लगे ताले को हटाएगा या बदलेगा नहीं अथवा दुकान के उक्त बाहरी दरवाजे पर लॉकिंग डिवाइस को नहीं बदलेगा।

The Licensee shall deposit duplicate keys of the premises with the Authority whenever the Airport Director Demands and permit the Authority to make use of the keys during the emergency. The licensee shall not remove or replace the lock on the outer door or change the locking device on the said outer door of the shop.

- (24) प्राधिकरण व्यापारियों के किसी भी संघ को मान्यता नहीं देता है और यदि किसी लाइसेंस की शर्तें या संशोधन के नियमों और शर्तों के स्पष्टीकरण के संबंध में कोई बातचीत / सौदेबाजी आवश्यक है, तो इस तरह की बातचीत की मांग केवल लाइसेंसधारक द्वारा की जानी चाहिए तथा किसी और सामूहिक प्रतिनिधित्व या सौदेबाजी पर विचार नहीं किया जाएगा।

The Authority do not recognize any Association of the Traders and in case any negotiation / bargain necessary with regard to the clarification of the terms and conditions of the licence or modification thereof such negotiations should be sought by the licensee alone and no collective representation / bargaining will be entertained.

- (25) लाइसेंस अवधि की समाप्ति पर या लाइसेंसधारक की ओर से किसी भी उल्लंघन के कारण विमानपत्तन प्राधिकार द्वारा लाइसेंस की समाप्ति पर, लाइसेंसधारक प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया फर्नीचर, फिटिंग, उपकरण और स्थापना आदि यदि कोई हो तो ठीक अवस्था में तथा शांतिपूर्ण तरीके से परिसर के कब्जे को प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, लाइसेंसधारक अपने माल और अन्य सामग्रियों को परिसर से तुरंत हटा देगा, विफल होने पर प्राधिकरण के

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

•Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

पास लाइसेंसधारक की लागत और जोखिम पर ऐसे सामान / सामग्री को हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ऐसे निष्कासन के लिए भुगतान की मांग कर सकता है। यदि ऐसा भुगतान **दस (10) दिनों** के भीतर नहीं किया जाता है, तो प्राधिकरण के पास लाइसेंसधारक के समान / समग्रियों की सार्वजनिक नीलामी द्वारा लागत वसूलने की स्वतंत्रता होगी। ऐसी किसी भी घटना में लाइसेंसधारक किसी प्रकार की आपत्ति करने का हकदार नहीं होगा।

On expiry of the licence period or on termination of the licence by the Airport Authority on account of any breach on the part of the licensee, the licensee shall deliver the possession of the premises in good condition and in peaceful manner along with furniture, fittings, equipment and installations, if any, provided by the Authority. Further, licensee shall remove his / their goods and other materials from the premises immediately, failing which Authority reserve its right to remove such goods / materials at the cost & risk of the Licensee and demand payment for such removal. If such payment is not made within **ten (10) days**, Authority shall be at liberty to dispose off the goods / materials of the Licensee by public auction to recover the cost. The licensee shall not be entitled to raise any objection in such an eventuality.

अनुबंध समाप्ति के पश्चात, रियायती व्यवसाय बंद कर देगा तथा (बकाए के निपटान के उपरांत) परिसर खाली करने हेतु **अधिकतम (7) दिन** का समय दिया जाएगा। **सात (7) दिनों** के भीतर सभी बकाया राशि को क्लियर करने और परिसर को खाली करने का लाइसेंसधारी का दायित्व होता है। यदि एजेंसी अनुबंध की समाप्ति के **सात (7) दिनों** के भीतर परिसर को खाली करने में विफल रहती है, तो समाप्ति की तारीख से खाली करने की तारीख तक उस क्षेत्र के सामान्य अधिसूचित स्पेस रेंट का दोगुना शुल्क लिया जाएगा।

After the contract expires, the concessionaire shall stop business and shall be given a maximum of **seven (7) days** to vacate the premises (after settlement of dues). The onus of clearing all the dues and vacating the premises within **seven (7) days** lies on the licensee. If the agency fails to vacate the premises within **seven (7) days** of expiry of contract, twice of normal notified space rent of that area shall be charged from date of expiry to the date of vacation.

यदि एजेंसी **पंद्रह (15) दिनों** के बाद भी खाली करने में विफल रहती है तो एजेंसी अनक्लियर सामग्रियों पर किसी तरह के स्वामित्व का दावा नहीं करेगी। भा.वि.प्रा. बचे हुए को हटाने तथा एजेंसी पर होने वाली लागतों को वसूलने / उपलब्ध सुरक्षा जमा से समायोजित करने / बकाया राशि, यदि कोई हो तो, को वसूलने की व्यवस्था करेगा। रियायतकर्ता द्वारा परिसर की निकासी के पश्चात दस्तावेज़ लेने हेतु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

If agency fails to vacate even after **fifteen (15) days**, the agency ceases to claim any ownership of the un-cleared materials. AAI shall make arrangements to remove the leftovers and charge the costs incurred to the agency/adjusted from available SD along with outstanding dues if any. Taking over document has to be signed after clearance of premises by the concessionaire.

- (26) इसके साथ दिए गए लाइसेंस को किसी भी तरह से या लाइसेंसधारक के पक्ष में कोई अन्य अधिकार देने या बनाने या कथित स्थान की रुचि में / भवन (भवनों) / भूमि / उद्यान / टैंक / परिसर के उपयोग में नहीं लाया जाएगा, लेकिन इसमें निहित नियमों और शर्तों में केवल एक लाइसेंस के रूप में माना जाएगा।

The licence herewith granted shall not be construed in any way as giving or creating any other right or interest in the said space / building(s) / land / garden / tank / premises to or in favour of the licensee but shall be construed to be only as a licence in terms and conditions herein contained.

- (27) प्राधिकरण, उसके सेवकों और एजेंटों को हर समय उक्त परिसर में प्रवेश का पूर्ण अधिकार होगा।

The Authority, its servants and agents shall at all times have the absolute right of entry into the said premises.

- (28) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994, के संशोधित अधिनियम 2003 के प्रावधान के अनुसार और इसके

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

•Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

नियमों के अंतर्गत बनाए गए (अध्याय वी.ए. - हवाईअड्डा परिसर में अनधिकृत ओक्युपेंट का निष्कासन इत्यादि) जो अब लागू हैं या जो इसके बाद लागू हो सकते हैं, उक्त कथित अधिनियम में प्रदान किए गए सभी मामलों हेतु लागू होंगे।

The provision of the Airports Authority of India Act, 1994 as amended by Act 2003 and the rules framed there under (Chapter VA – Eviction of Unauthorized Occupants etc. of Airport Premises) which are now in force or which may hereafter come in force shall be applicable for all matters provided in the said Act.

- (29) इस अनुबंध से संबन्धित या किसी प्रकार से जुड़े विवाद या उत्पन्न सभी विवाद और मतभेदों को (उनफैसलोंके अतिरिक्त, जिनमें अन्यथा इसके लिए स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है या जिसके लिए भाविप्रा अधिनियम, 1994 और उसके अंतर्गत तय किए गए नियम, जो अब लागू होते हैं या जो यहां लागू हो सकते हैं प्रयोज्य हो सकते हैं) उदाहरण के लिए पहली बार में, हवाई अड्डों पर विवाद समाधान समिति (डीआरसी) सेटअप के लिए भेजा जाना चाहिए, जिस हेतु पार्टी से एक लिखित आवेदन प्राप्त किया जाना चाहिए और बिंदुओं को स्पष्ट रूप से बताया गया हो। यदि विवाद को संदर्भ के 45 दिनों के भीतर हल नहीं किया जाता है, तो मामले को प्राधिकरण के अध्यक्ष / सदस्य / क्षेत्र.का.नि.द्वारा नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को एकमात्र मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। अद्यतित संशोधित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 लागू होगा। एक बार मध्यस्थता खंड लागू हो जाने के बाद, डीआरसी प्रक्रिया का कार्य बंद हो जाएगा। इस पर कोई शर्त (रोक) नहीं होगी कि पूर्वोक्त नियुक्त मध्यस्थ प्राधिकरण का कर्मचारी है या नहीं है और इस मामले में मध्यस्थता की नियुक्ति को चुनौती नहीं दी जाएगी या किसी भी विधिन्यायालय में प्रश्न नहीं किया जाएगा।

All disputes and differences arising out of or in any way touching or concerning this Agreement (except those the decision whereof is otherwise herein before expressly provided for or to which the AAI ACT, 1994 and the rules framed there-under which are now enforce or which may here-after come into force are applicable), shall, in the first instance, be referred to a Dispute Resolution Committee (DRC) setup at the airports, for which a written application should be obtained from the party and the points clearly spelt out. In case the dispute is not resolved within 45 days of reference, then the case shall be referred to the sole arbitration of a person to be appointed by the Chairman / Member/ RED of the Authority. The award of the arbitrator so appointed shall be final and binding on the parties. The Arbitration & Conciliation Act 1996 as amended up to date shall be applicable. Once the arbitration clause has been invoked, the DRC process will cease to be operative. It will be no bar that the Arbitrator appointed as aforesaid is or has been an employee of the Authority and the appointment of the Arbitrator will not be challenged or be open to question in any Court of Law, on this account.

विवाद समाधान समिति को संदर्भित करने से पूर्व, लाइसेंसधारक को पहले बैंक गारंटी के रूप में विवादित राशि का **50%**, डीडी / पीओ / एनईएफटी द्वारा भाविप्रा को जमा करना होगा (डीआरसी को संदर्भित करने की तिथि से **न्यूनतम दो (2) वर्ष** की वैधता और आगे विस्तार योग्य के साथ अतिरिक्त बैंक गारंटी,) विवाद समाधान समिति की सिफारिशों की स्वीकृति पर लाइसेंसधारक द्वारा सहमति प्रदान की जाएगी।

Before making a reference to Dispute Resolution Committee, the licensee will have to first deposit **50%** of the disputed amount in the form of BG (additional Bank Guarantee with validity of minimum **two (2) years** from the date of making reference to DRC, and further extendable) / DD / PO / NEFT with AAI and the consent shall be given by the licensee for acceptance of the recommendations of the Dispute Resolution Committee.

लाइसेंसधारक विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए मध्यस्थता का संदर्भ देने से पूर्व बैंक गारंटी के रूप में विवादित राशि का 50% (इस प्रकार के संदर्भ की तिथि और न्यूनतम दो (2) वर्ष की वैधता व आगे विस्तार योग्य के साथ अतिरिक्त बैंक गारंटी) डीडी / पीओ / आरटीजीएस / एनईएफटी द्वारा भाविप्रा को जमा करने की शर्त के साथ, यह मामला प्राधिकरण के अध्यक्ष / सदस्य / क्षेत्र.का.नि.द्वारा एकमात्र मध्यस्थ को भेजा जाएगा ।

The case shall be referred to the sole Arbitrator by the Chairman / Member / RED of the Authority, subject to the condition that the licensee shall have to deposit **50%** of the disputed amount in the form of BG (additional Bank Guarantee with validity of minimum **two (2) years** from the date of making such reference, and further extendable) / DD / PO / RTGS / NEFT with

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

•Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

AAI as condition precedent before making reference to the Arbitration for adjudication of dispute.

मध्यस्थ और विवाद समाधान की कार्यवाई के दौरान, लाइसेंसधारक (कों) को अवार्ड / अनुबंध के अनुसार नियमित रूप से लाइसेंस शुल्क / बकाया राशि का पूरा भुगतान करना होगा और अनुबंध के सभी प्रतिसंविदाओं को पूरा करना होगा।
During the arbitral and Dispute resolution proceedings, the licensee(s) shall continue to pay the full amount of license fee/dues regularly as per the award/agreement and perform all covenants of the agreements.

- (30) बीसीएस / किसी अन्य नियामक एजेंसी से आवश्यक के रूप में सभी आवश्यक सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करना लाइसेंसधारी की जिम्मेदारी होगी।

It would be the responsibility of the licensee to obtain all necessary security clearance from BCAS/any other regulatory agency as required.

- (31) किसी भी विवाद की स्थिति में जहां किसी भी पक्ष (पार्टी) द्वारा कानूनी कार्यवाई शुरू करने हेतु जोर दिया जाता है, तो उस मामले में न्यायालय का क्षेत्राधिकार जहां हवाई अड्डा स्थित होगा उसी शहर / कस्बे / जिले में होगा।
In case of any dispute where legal action is compelled to be initiated by any of the party, shall be the city / town / district where the airport is located.

(लाइसेंसधारक के हस्ताक्षर)
(SIGNATURE OF LICENSEE)

परिशिष्ट: 2 का अनुलग्नक-ए**APPENDIX: 2 of Annexure-A****विशेष नियम और शर्तें****Special Terms and Conditions**

- 1 एजेंसी को भारत सरकार / राज्य सरकार आदि से आउटलेट शुरू करने से पूर्व आवश्यक अनुमतियां / लाइसेंस इत्यादि प्राप्त करना होगा जैसा कि मामला हो।

Agency has to obtain necessary permissions / licences etc. before commencement of the outlet from GoI / State Govt. etc. as the Case may be.

- 2 लाइसेंसधारक को लाइसेंस के दायरे में परिभाषित वस्तुओं को ही बेचने की अनुमति होगी।

The licensee would be allowed to sell those items defined under the scope of license.

- 3 भाविप्रा द्वारा सौंपे गए स्थान मात्र पर लाइसेंसधारक द्वारा दुकान को मर्दों की बिक्री हेतु बनावट, विकसित और व्यवस्थित किया जाएगा। लाइसेंसधारक दुकान का खाका, बनावट, आकार सहित चित्र, ब्रांडिंग, साइनेज, वगैरह विवरण सहित प्रस्तुत करेगा।

The outlet for the sale of items shall be designed, developed and setup by the licensee on bare space handed over by AAI. The licensee will submit outlet layout, design, drawing including size, branding, signage, display details etc.

- 4 दुकान आवंटित स्थान मात्र के भीतर होनी चाहिए। बाद में भाविप्रा द्वारा यदि पाया जाता है कि किसी भी अतिरिक्त क्षेत्र (10% तक) पर अपनी रियायतगतिविधियों को आगे बढ़ाने हेतु लाइसेंसधारक द्वारा कब्जा किया गया है तो समानुपातिक आधार पर शुल्क वसूला जाएगा। यदि अतिरिक्त क्षेत्र 10% से अधिक है, तो लाइसेंसधारक से समानुपातिक राशि का दोगुना शुल्क वसूला जाएगा।

The outlet should be within the allotted bare space. Any extra area (up to 10%) occupied by the licensee for furthering its concession activities and found subsequently by AAI shall be charged on pro rata basis. In case extra area is beyond 10%, licensee will be charged at double the pro-rata amount.

- 5 दुकान की ऊंचाई आदर्श रूप से 10 फुट या फिर ऊंचाई की उपलब्धता तक सीमित होनी चाहिए, जैसा भी मामला हो सकता है।

The height of the outlet should ideally be restricted to 10 ft. or availability of height, as the case may be.

- 6 हालांकि, भाविप्रा द्वारा अनुमोदित विनिर्देशों / आयामों के अनुसार दुकान का साइनेज अनिवार्य है तथा लाइसेंसधारक द्वारा इसका पालन किया जाना चाहिए।

However, the shop's signage mandatorily as per specifications / dimensions approved by AAI is to be adhered to, by the licensee.

- 7 लाइसेंसधारक डेबिट / क्रेडिट कार्ड तथा ई-वॉलेट / यूपीआई द्वारा भुगतान स्वीकार करेगा। दुकान पर डेबिट / क्रेडिट कार्ड स्वाइपिंग मशीन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा और साथ ही ई-वॉलेट (भुगतान) जैसे कि पेटीएम, मोबिक्विक, फ्रीचार्ज, रिलायंस-जियो, गूगल पेआदि (तथा बी.एच.आई.एम. (बीएम) जैसे यूपीआई भुगतान भी स्वीकार करना होगा।

Licensee shall accept payments by Debit/Credit card and e-wallets/UPI. It shall be mandatory to make available Debit / Credit cards swiping machine at the outlet and also accept e-wallets payment (like PayTM, Mobikwik, Freecharge, Reliance-jio, GooglePay etc.) & UPI payments like BHIM.

- 8 लाइसेंसधारक द्वारा तैनात कर्मचारी अच्छी तरह से तैयार, प्रशिक्षित, हिंदी में तथा हवाई अड्डे की स्थानीय भाषा में

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

• Note- In case any sort of contradiction arises, only English text will be valid.

धाराप्रवाह होगा। कर्मचारी ग्राहकों और कर्मचारियों के प्रति शिष्टाचार प्रदर्शित करेंगे, हवाई अड्डे पर ड्यूटी पर तैनाती के दौरान नाम के बैज के साथ पहचान पत्र होना चाहिए।

The Staff deployed by the Licensee shall be well groomed, trained, fluent in Hindi and local language of the Airport. The staff will display courtesy towards the customers and the staff while on duty at airport should have the identity cards along with name badges.

- 9 लाइसेंसधारक कर्मचारियों के हवाई अड्डा प्रवेश पत्र (ए.ई.पी.) ना.वि.सु.ब्यूरो दिशानिर्देशानुसार जारी किए जाएंगे तथा लाइसेंसधारक ना.वि.सु.ब्यूरो के दिशानिर्देशानुसार कर्मचारियों और अन्य संबंधित दस्तावेजों का पुलिस सत्यापन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा। ए.ई.पी. जारी करने का शुल्क लाइसेंसधारक द्वारा वहन किया जाएगा।

The Airport Entry Permits (AEPs) of Licensee's staff will be issued as per BCAS guidelines and the licensee will ensure to submit the Police verification of staff and other relevant documents as per BCAS guidelines. The charges for issuance of AEPs shall be borne by the Licensee.

- 10 यह लाइसेंसधारक की ज़िम्मेदारी होगी कि वह ना.वि.सु.ब्यूरो / किसी अन्य नियामक एजेंसी से आवश्यक मंजूरी प्राप्त करे। इस संबंध में, लाइसेंसधारक भा.वि.प्रा., अमृतसर और ना.वि.सु.ब्यूरो के सुरक्षा विभाग से संपर्क कर सकता है।

It would be the responsibility of the Licensee to obtain necessary clearance from BCAS / any other regulatory agency as required. In this regard, the licensee may contact to Security Department of AAI, Amritsar and BCAS.

- 11 भा .प्रा.वि.नियमों के उल्लंघन के मामले में, भा .प्रा.वि.अनुबंध-1 के तहत या समय समय पर भा .प्रा.वि. द्वारा तय किए गए उल्लंघन के लिए दंड के अनुसार लाइसेंसधारक को जुर्माना लगाएगा।

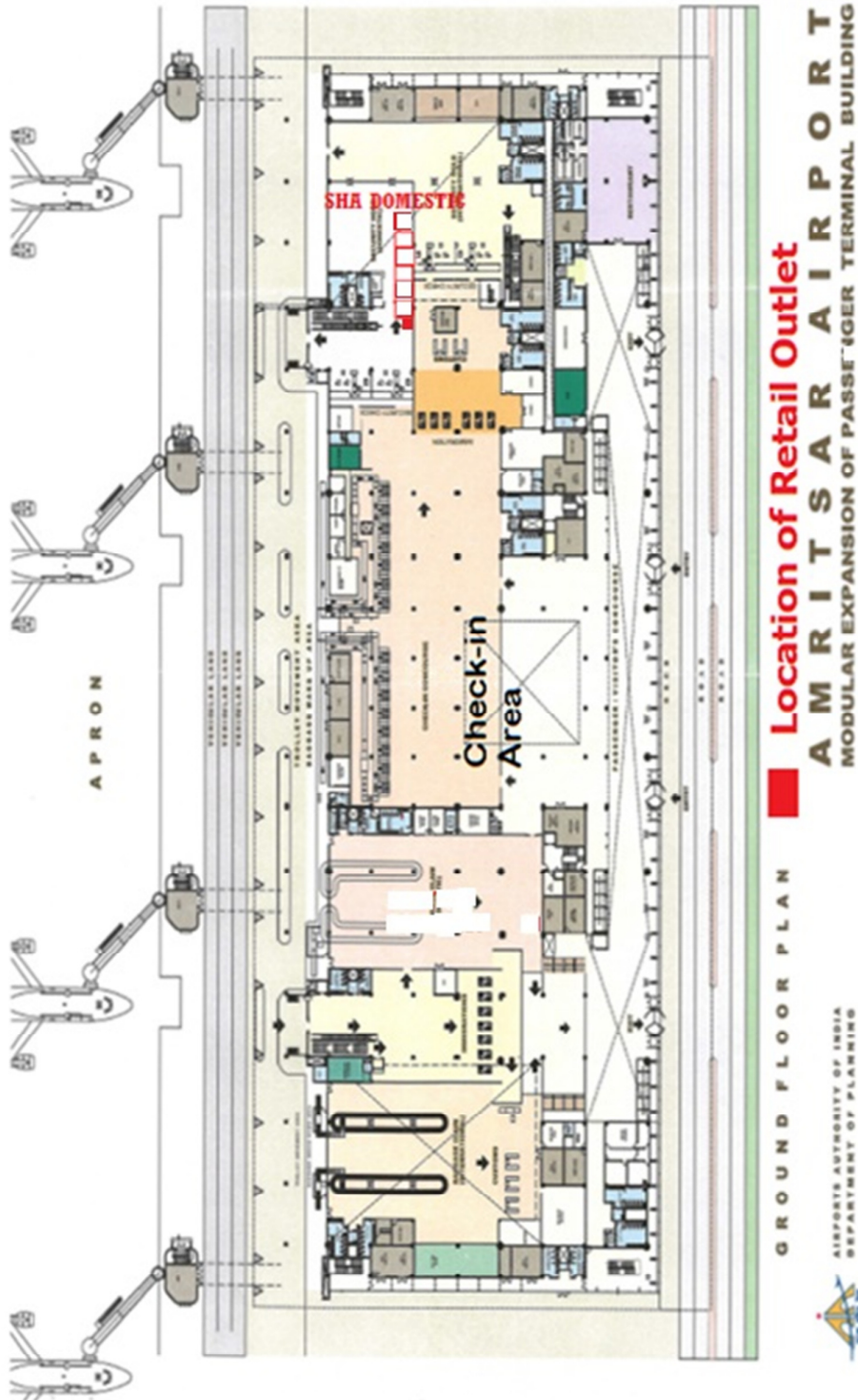
In case of violation of AAI rules, AAI shall impose penalty to the licensee as per Penalty for Infractions given under Annexure-1 or as decided by AAI from time to time.

Annexure-1**Imposition of Penalties - guidelines regarding**

Sl. No.	Offence/Violation	Penalty in (Rs)
1.	Smoking in public area except where designated smoking chambers or areas are established.	1500
2.	Spitting in airport premises	1000
3.	Misuse of passenger baggage trolley	1000
4.	Using language likely to cause offence /annoyance	2000
5.	Throwing loose papers, plastic cups or glass etc. in airport premises	1000
6.	Non-display of Photo Identity Cards while entering in to or being in the terminal or operational area.	1000
7.	Transportation of overloaded airline baggage containers in operational area.	1000
8.	Vehicle/ equipment operating without anti-collision light/obstruction inside operational area.	2000
9.	Parking of vehicle/ equipment in no parking area on kerb side and city side including approach road within airport premises.	500
10.	Un-authorized entry into terminal building or operational area.	3000
11.	Rash driving/over speeding in operational area	3000
12.	Driving in operational area while being in state of intoxication	5000
13.	Causing public inconvenience, unruly behaviour or creating nuisance in public area	1000
14.	Organizing or taking part in any public assembly, demonstration, dharnas or procession likely to obstruct or interfere with proper use or orderly functioning of airport	5000
15.	Display of banners, flags, posters, emblems or write slogans in or around terminal	5000
16.	Obstruction of authorized persons in the discharge of his or her duties	5000
17.	Dumping garbage in operational area.	3000
18.	Vehicle/equipment left unattended in operational area outside designated parking area/hard stand for ground support equipment/vehicles.	2500
19.	Vehicle/equipment not following vehicular lanes on Apron.	1500
20.	Vehicle/equipment/ person obstructing aircraft movement	5000
21.	Crossing/operating vehicle/ equipment close to active runway/ taxiway without permission	5000
22.	Vehicle/equipment operation in the operational area without permit (ADP)	5000
23.	Damage, display, deface or alter any building structure or other property of AAI whether movable or immovable. Besides penalty, action to be taken to recover the loss from the defaulter or his/her organization	5000
24.	Photography and film shooting/ videography at airport without permission	5000
25.	Commercial activities at airport without permission	5000

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

•Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

परिशिष्ट: 3 का अनुलग्नक-ए /APPENDIX: 3 of Annexure-A**रियायत क्षेत्र का नक्शा / CONCESSION AREA LAYOUT**

- नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।
- Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

परिशिष्ट:4 का अनुलग्नक-ए
APPENDIX: 4 of Annexure-A

परिसर की अनुसूची
SCHEDULE OF PREMISES

1	आवंटित क्षेत्र AREA ALLOTTED	05 वर्गमीटर (लगभग)। 05 Sqm. (approx.).
2	स्थान LOCATION	टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर घरेलू सुरक्षा होल्ड क्षेत्र (भूतल) या फिर भा.वि.प्रा. द्वारा तय किए अनुसार। Inside Domestic Security Hold Area (ground floor) of terminal building or as decided by AAI.
3	प्रयोजन PURPOSE	श्री गु.रा.दा.जी अं.हवाईअड्डा,अमृतसर में घरेलू सुरक्षा होल्ड क्षेत्र (भूतल) के अंदर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसरीज खुदरा दुकान Retail Outlet for Mobile and Electronic Accessories inside Domestic SHA (ground floor) at SGRDJI Airport, Amritsar

लाइसेंसधारक के हस्ताक्षर
SIGNATURE OF THE LICENSEE

- नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।
- Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

अनुलग्नक: बी
ANNEXURE: B

प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हेतु मुख्तारनामा

(100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित
या लागू राज्य कानूनों के अनुसार तथा विधिवत नोटरी किया जाना है)

POWER OF ATTORNEY FOR SIGNING OF PROPOSAL

**(To be executed on Non-Judicial Stamp Paper of Rs.100/-
or as per applicable State Laws and duly Notarised)**

प्रस्तुत इन सभी पुरुषों के समझ से, हम (पंजीकृत कार्यालय का नाम और पता) इसके माध्यम से अपरवर्तनीय रूप से श्री/श्रीमती(नाम), पुत्र/पुत्री पत्नी श्री आयु वर्ष , और वर्तमान निवासी , जो कि जोवर्तमानमेंहमारेसाथकार्यरतहैं/ के पद पर आसीन हैं, हमारे तसदीकी और न्यायसंगत प्रतिनिधि हैं)इसकेबाद" अटॉर्नी "केरूपमेंसंदर्भित) को जो हमारेनामपरऔरहमारीओरसे, ऐसेसभीकार्य, कर्मऔरचीजेंजोआवश्यकहैंयाइसके संबंध में आवश्यकहो सकती हैंयापूर्वबोलीलगानेऔरप्रस्तुतकरनेकेलिएहमारेप्रस्तावकोप्रस्तुतकरनेकेलिएप्रासंगिकयाआवश्यकहैं या भाविप्रा द्वारा हवाईअड्डे पर (लाइसेन्स का नाम)की सुविधा के नाम पर , भारत ("रियायत") हेतु प्रस्तावित बोली पर हमारे प्रस्ताव हेतु पूर्व -योग्यता और बोली प्रस्तुत करने हेतु प्रासंगिकहै किन्तु सभीप्रस्तावों, बोलियोंऔरअन्यदस्तावेजोंऔरलेखनपरहस्ताक्षरकरनेऔरप्रस्तुतकरनेतकसीमितनहींहै,पूर्व-प्रस्तावों और अन्य सम्मेलनों में भाग लेने और भाविप्रा को सूचना/प्रतिक्रियाएं प्रदान करने, भाविप्रा के समक्ष सभी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व करने, हमारे वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप रियायत अनुबंध और वचनबद्धता सहित सभी अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने और उनका निष्पादन करने तथा आम तौर पर भाविप्रा के साथ रियायत अनुबंध में प्रवेश करने तक उक्त रियायत और/या उसके अवार्ड हेतु हमारे वित्तीय प्रस्ताव के संबंध में या उससे संबंधित या उससे संबंधित अथवा उत्पन्न होने वाले सभी मामलों में भाविप्रा से संबंधित होता है हेतु नामांकित, नियुक्त और अधिकृत करते हैं।

Know all men by these presents, we..... (*name of the firm and address of the registered office*) do hereby irrevocably constitute, nominate, appoint and authorize Sh/ Smt. (name), son/daughter/wife of.....aged.....years and presently residing at , who is presently employed with us / and holding the position of , as our true and lawful attorney (hereinafter referred to as the "Attorney") to do in our name and on our behalf, all such acts, deeds and things as are necessary or required in connection with or incidental to submission of our Proposal for pre-qualification and submission of our Bid for the [NAME OF LICENSE] facility at.....Airport, , India (the "Concession") proposed by AAI including but not limited to signing and submission of all Proposals, Bids and other documents and writings, participate in Pre-Proposals and other conferences and providing information/ responses to the AAI, representing us in all matters before the AAI, signing and execution of all contracts including the Concession Agreement and undertakings consequent to acceptance of our Financial Proposal, and generally dealing with the AAI in all matters in connection with or relating to or arising out of our Financial Proposal for the said Concession and/ or upon award thereof to us and/or till the entering into of the Concession Agreement with the AAI.

और हम यह वचन देते हैं तथा सहमती हेतु पुष्टि प्रदान करते हैं तथा पुष्टि करते हैं और इसके द्वारा सभी कृत्यों, कार्यों और किए गए कार्यों की पुष्टि करते हैं या उक्त का अनुसरण करने वाले हमारे प्रतिनिधि और मुख्तारनामे द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में और उक्त प्रतिनिधि द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रदर्शन में किए गए किए जाने वाले सभी कार्य, कृत्यों और किए गए कार्यों को हमेशा हमारे द्वारा किया गया समझा जाएगा।

AND we hereby undertake and agree to ratify and confirm and do hereby ratify and confirm all acts, deeds and things done or caused to be done by our said Attorney pursuant to and in exercise of the powers conferred by this Power of Attorney and that all acts, deeds and things done by our said Attorney in exercise of the powers hereby conferred shall and shall always be deemed to have been done by us.

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

•Note- In case any sort of contradiction arises , only English textwill be valid.

गवाह के रूप में हम उपरोक्त नामित प्रिंसिपल द्वारा इस मुख्तारनामे को दिनांक
 2022 को निष्पादित किया गया है
 IN WITNESS WHEREOF WE..... THE ABOVE NAMED PRINCIPAL HAVE EXECUTED THIS
 POWER OF ATTORNEY ON THIS DAY OF 2022

कृते/For.....

(हस्ताक्षर, नाम, पदनाम और पता)
 (Signature, Name, Designation and Address)

(नोटरीकृत)
 (Notarised)

गवाह / Witness:

1.
2.

स्वीकृत / Accepted

.....
 (हस्ताक्षर /Signature)

(प्रतिनिधि का नाम, शीर्षक(पदनाम) और पता)
 (Name, Title and Address of the Attorney)

टिप्पणियाँ / Notes:

- मुख्तारनामे के निष्पादन का तरीका यदि कोई हो तो, प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए, लागू कानून और निष्पादकों (कों) के चार्टर दस्तावेजों द्वारा निर्धारित किया गया हो और जब यह आवश्यक हो, वही आवश्यक प्रक्रिया के अनुसार लगाए गए आम सील के तहत होना चाहिए।

The mode of execution of the Power of Attorney should be in accordance with the procedure, if any, laid down by the applicable law and the charter documents of the executants (s) and when it is so required, the same should be under common seal affixed in accordance with the required procedure.

- जहाँ भी आवश्यक हो, बोलीदाता को बोलीदाता की ओर से इसके अंतर्गत शक्तियों के प्रत्यायोजन हेतु इस मुख्तारनामे को निष्पादित करने वाले व्यक्ति के पक्ष में चार्टर दस्तावेजों और बोर्ड या शेयरधारकों के संकल्प/मुख्तारनामा के दस्तावेज जैसे के सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

Wherever required, the Bidder should submit for verification the extract of the charter documents and documents such as a board or shareholders' resolution/ power of attorney in favour of the person executing this Power of Attorney for the delegation of power hereunder on behalf of the Bidder.

- विदेशों में निष्पादित और जारी किए गए मुख्तारनामे हेतु, दस्तावेज को भारतीय दूतावास द्वारा भी वैध बनाना होगा और जहाँ मुख्तारनामा जारी किया गया है वहाँ के अधिकार क्षेत्र में नोटरी किया जाएगा। हालांकि, हेग वैधीकरण कन्वेंशन 1961 पर हस्ताक्षर करने वाले देशों के बोलीदाताओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले मुख्तारनामे को भारतीय दूतावास से वैध करने की आवश्यकता नहीं है यदि यह एपोस्टाइल प्रमाण के एक अनुरूप को वहन करता है।

For a Power of Attorney executed and issued overseas, the document will also have to be legalised by the Indian Embassy and notarised in the jurisdiction where the Power of Attorney is being issued. However, the Power of Attorney provided by Bidders from countries that have signed the Hague Legalization Convention 1961 are not required to be legalised by the Indian Embassy if it carries a conforming Apostille certificate.

- नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।
- Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

अनुलग्नक : सी
ANNEXURE: C

स्वीकृति पत्र
ACCEPTANCE LETTER

(आवेदक / बोलीदाता के पत्र शीर्ष पर प्रस्तुत किया जाए)
(To be submitted on Applicant's / Bidder's Letter Head)

सेवा में / To,

दिनांक/Date: _____

विमानपत्तन निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण -----हवाईअड्डा	Airport Director, Airports Authority of India -----Airport
---	--

विषय: - भाविप्राकी निविदा शर्तों की स्वीकृति।

Subject:- Acceptance of AAI's Tender Conditions

महोदय / Sir,

निविदा दस्तावेज़ "[लाइसेंस का नाम]" के लिए,
हवाईअड्डे पर मुझे/हमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त और:

The tender documents for the "[Name of License]" at Airport has been provided to me/us by Airports Authority of India and:

1. मैं/ हम यह प्रमाणित करते हैं कि मेरे /हमारे द्वारा स्थानों का निरीक्षण कर लिया गया है और मुझे/हमें उपलब्ध करवाए गए निविदा दस्तावेजों के पूरे नियमों और शर्तों को पढ़ लिया गया है। जो संविदा के अनुबंध का हिस्सा बनेगा और मैं / हम इसमें निहित शर्तों / खंडों का पालन करेंगे।

I/We hereby certify that I/We have inspected the sites and read the entire terms and conditions of the tender documents made available to me/us. Which shall form part of the contract agreement and I/We shall abide by the conditions/Clauses contained therein.

2. हम आपके मूल्यांकन और विचार हेतु निविदा दस्तावेज की आवश्यकताओं के अनुसार जानकारी और दस्तावेजों सहित अपने मूल प्रस्ताव के साथ संलग्न कर प्रस्तुत कर रहे हैं।

We are enclosing and submitting here with our original Proposal, along with the information and documents as per the requirements of the Tender Document, for your evaluation and consideration.

3. उपरोक्त सुविधा हेतु मैं / हम यहां बिना किसी शर्त के भा.वि.प्रा.के निविदा दस्तावेजों को सम्पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं।
 I/We hereby unconditionally accept the tender conditions of AAI's tender documents in its entirety for the above facility.

4. ई-निविदा आमंत्रण सूचना के निविदा दस्तावेजों के खंड-16 की विषय-वस्तु को ध्यान दिया जाए, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि भा.वि.प्रा. बिना कोई कारण बताए सशर्त निविदाओं को अस्वीकार करने के अधिकार सुरक्षित रखता है।

The contents of **Clause-16** of Notice Inviting e-Tender of the Tender Documents have been noted wherein it is clarified that AAI reserves the rights to reject the conditional tenders without assigning any reason thereto.

5. मैं / हम यह वचन देते हैं कि, प्रस्ताव तथा इसके परिशिष्टों में दी गई जानकारी सच और सही है।
 I / We hereby undertake that, all information provided in the Proposal and in its Appendices is true and correct.

6. मैं / हम भाविप्रा को कोई भी अतिरिक्त जानकारी जो जो प्रस्ताव को स्पष्ट करने, पूरक करने या प्रमाणित करने के लिए आवश्यक हो भाविप्रा द्वारा निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध करवाएंगे।

I/We shall make available to AAI any additional information it may find necessary or require to clarify, supplement or authenticate the Proposal within such time as may be prescribed by AAI.

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

• Note- In case any sort of contradiction arises, only English text will be valid.

7. मैं/ हम भाविप्रा को बिना कोई कारण बताए या अन्यथा हमारे प्रस्ताव को अस्वीकार करने हेतु भाविप्रा के अधिकार को स्वीकारते हैं और इसके द्वारा किसी भी खाते पर चुनौती देने के हमारे अधिकार को अधित्यक्त करते हैं ।

I/We acknowledge the right of AAI to reject our Proposal without assigning any reason or otherwise and hereby waive our right to challenge the same on any account whatsoever.

8. मैं /हम यह प्रमाणित करते हैं कि मैं/ हम या मेरे हमारे किसी भी निर्वाचक को या मेरे /हमारे पूर्ववर्ती इकाईन तो किसी संविदा पर प्रदर्शन करने में विफल रही है, जैसा कि जुर्माना या न्यायिक घोषणा या मध्यस्थ निर्णय से,न ही किसी अनुबंध से निष्कासित किया गया है और न ही हमारे साथी पर उल्लंघन के लिए कोई अनुबंध समाप्त किया गया है,मैं/हम या मेरे/हमारे किसी भी निर्वाचक या मेरी/हमारी पूर्ववर्ती इकाई से किसी भी सांविधिक आवश्यकताओं का पालन करने में चूक हुई है ।

I/We certify that I/we or any of my/our constituents or my/our predecessor entity have neither failed to perform on any contract, as evidenced by imposition of penalty or a judicial pronouncement or arbitration award, nor been expelled from any contract nor have had any contract terminated for breach on our partner have I/ we or any of my/our constituents or my/our predecessor entity defaulted in complying with any statutory requirements.

9. मैं/ हम यह घोषणा करते हैं कि:

I / We hereby declare that:

- a) मैंने/हमने जांच की है और भाविप्रा द्वारा जारी परिशिष्ट (यदि कोई हो) सहित निविदा दस्तावेज हेतु कोई आरक्षण नहीं है।

I / We have examined and have no reservations to the Tender Document, including the Addendum (if any) issued by AAI.

- b) मैं / हम किसी भी निविदा या भाविप्रा या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम या किसी भी सरकार, केंद्र या राज्य के साथ जारी किए गए प्रस्ताव के लिए अनुरोध के संबंध में, एनआईटी / निविदा दस्तावेज की सामान्य सूचना और दिशा निर्देश के खंड -9 में परिभाषित के अनुसार, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या लगे हुए किसी एजेंट के माध्यम से या किसी भी भ्रष्ट व्यवहार, धोखाधड़ी प्रथा, बलपूर्वक व्यवहार, अवांछनीय व्यवहार या प्रतिबंधात्मक व्यवहार में लिप्त नहीं हैं: और

I / We have not directly or indirectly or through any agent engaged or indulged in any corrupt practice, fraudulent practice, coercive practice, undesirable practice or restrictive practice, as defined in **Clause-9** of General Information and Guidelines of NIET / tender document, in respect of any tender or request for proposal issued by or any agreement entered into with AAI or any other public sector enterprise or any government, Central or State; and

- c) मैं/हम इसके द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि मैंने/हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि सामान्य सूचना के खंड-9 के प्रावधानों और एनआईटी/निविदा दस्तावेज के दिशा-निर्देशों के अनुरूप, हमारे लिए या हमारी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति ने किसी भ्रष्ट व्यवहार, धोखाधड़ी प्रथा, बलपूर्वक व्यवहार, अवांछनीय व्यवहार या प्रतिबंधात्मक व्यवहार में शामिल नहीं है।

I / We hereby certify that I / we have taken steps to ensure that, in conformity with the provisions of **Clause-9** of General Information and Guidelines of NIET / tender DOCUMENT, no person acting for us or on our behalf has engaged or will engage in any corrupt practice, fraudulent practice, coercive practice, undesirable practice or restrictive practice.

- d) मेरे/हमारे पास सामान्य सूचना के खंड-10 और एनआईटी/निविदा दस्तावेज के दिशा-निर्देशों के अनुसार हितों का कोई टकराव नहीं है।

I / We do not have any conflict of interest in accordance with **Clause-10** of general Information and guidelines of NIET / tender document.

10. मैं / हम घोषणा करते हैं कि हम इस निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और इस निविदा दस्तावेज की शर्तों के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए पात्र हैं।

I/We declare that we satisfy and meet the requirements as specified in the Tender Document and eligible to submit a Proposal in accordance with the terms of this Tender Document.

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

•Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

- 11.मैं** हम इसके द्वारा /किसी भी अधिकार जो हमारे पास कानूनी या किसी भी स्तर पर हो सकता है या आवेदक के चयन के संबंध में भाविप्रा द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को चुनौती देने या उससे प्रश्न करने के लिए उत्पन्न हो सकता है या ऊपर उल्लिखित रियायत और शर्तों और कार्यान्वयन के अवार्ड के संबंध में स्वयं निविदा प्रक्रिया के संबंध में हो सकता है को पूरी तरह सेअधित्यक्त करते हैं

I / We hereby irrevocably waive any right which we may have at any stage at law or howsoever otherwise arising or accruing to challenge or question any decision taken by AAI in connection with the selection of the Applicant, or in connection with the tender process itself, in respect of the award of above mentioned concession and the terms and implementation thereof.

- 12.मैं/** हम यह समझते हैं कि अनुबंध में स्पष्ट रूप से निर्धारित सीमा को छोड़कर,भाविप्रा द्वारा मुझे/ हमें उपलब्ध करवाए गए किसी भी दस्तावेज या जानकारी से उत्पन्न होने वाला या किसीभीमामलेसेउत्पन्नहोनेया विषय में या कार्य प्रदान करने सहित पैल प्रक्रिया से संबंधित हो सकता है पर कोई दावा, अधिकार या शीर्षक नहीं होगा।

I / We understand that, except to the extent as expressly set forth in the Agreement, I/we shall have no claim, right or title arising out of any documents or information provided to us by AAI or in respect of any matter arising out of or concerning or relating to the Empanelment process including the award of work.

- 13.मेरे/** हमारे द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि निविदादस्तावेजकेअनुसारभाविप्राकोनिविदाप्रसंस्करणशुल्करु.2,000/- (रुपये दो हजार केवल) जमा किया गया है।भुगतानरसीदकीप्रतिसंलग्नहै।

I / We confirm having submitted the Tender Processing Fee of **Rs.2,000/-** (Rupees Two Thousand only) to AAI in accordance with the Tender Document. The copy of payment receipt is attached.

- 14.मेरे/** हमारे द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि निविदा दस्तावेज के अनुसार भाविप्रा को बयाना राशि **रु.50,000/-** जमा किया गया है।भुगतान रसीद की प्रति संलग्न है।

I / We confirm having submitted the EMD of **Rs.50,000/-** (Rupees Fifty Thousand only) to AAI in accordance with the Tender Document. The copy of payment receipt is attached.

- 15.मैं /** हम सहमत हैं और समझते हैं कि प्रस्ताव निविदा दस्तावेजों के प्रावधानों के अधीन है। यदि किसी भी स्थिति में मुझे/ हमें अनुबंध प्रदान नहीं किया जाता है या प्रस्ताव को खोला नहीं जाता है तो किसी भी मामले में मेरे/हमारे पास किसी भी प्रकृति का द्वारा या अधिकार नहीं होगा।

I / We agree and understand that the Proposal is subject to the provisions of the Tender Documents. In no case, I / We shall have any claim or right of whatsoever nature if the contract is not awarded to me / us or our Proposal is not opened.

- 16.मैं/** हम सहमत है और वचन देते हैं कि निविदा दस्तावेज के सभी नियमों और शर्तों का पालन करेंगे।

I / We agree and undertake to abide by all the terms and conditions of the Tender Document.

..... , 2022 के दिन को दिनांकित ।

Dated thisDay of....., 2022.

आवेदक / बोलीदाता का नाम और पता: Name & Address of the Applicant / bidder:	
नाम, हस्ताक्षर और अधिकृत प्रतिनिधि की मुहर Name, Signature & Seal of the Authorized Representative	

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

•Note- In case any sort of contradiction arises , only English textwill be valid.

अनुलग्नक : डी
ANNEXURE: D

बोलीदाता का विवरण
Details of Bidder

1.	बोलीदाता / निविदाकर्ता का विवरण Details of Bidder / Tenderer	
(ए)	बोलीदाता / निविदाकर्ता का नाम	
(a)	Name of the bidder / Tenderer:	
	बोलीदाता / निविदाकर्ता की स्थिति (स्वामित्व / साझेदारी / कंपनी) Status of the bidder / Tenderer (Proprietorship / Partnership / Company)	
	मालिक / भागीदारों / निदेशकों का नाम जैसा भी हो, इंगित किया जा सकता है Name of the Proprietor / Partners / Director(s) as the case may be, to be indicated	
(बी)	निगमन का देश	
(b)	Country of Incorporation:	
(सी)	भारत में कॉर्पोरेट मुख्यालय और उसके शाखा कार्यालय का पता, यदि कोई हो:	
(c)	Address of the Corporate Headquarters and its branch office(s), if any, in India:	
(डी)	व्यवसाय के आरंभ करने और / या निगमन की तिथि और विवरण	
(d)	Date & Details of incorporation and/or commencement of business:	
2	इस रियायत में, व्यापार की अपनी मुख्य लाइनों, प्रस्तावित भूमिका और जिम्मेदारियों के विवरण सहित कंपनी का संक्षिप्त विवरण: Brief description of the Company including details of its main lines of business and proposed role and responsibilities In this Concession:	
3	व्यक्ति (व्यक्तियों) का विवरण जो भा.वि.प्रा.के लिए संपर्क / संचार के बिंदु के रूप में काम करेगा: Details of individual(s) who will serve as the point of contact/ communication for the AAI:	
(ए)	नाम और पदनाम	
(a)	Name & Designation	
(बी)	पत्राचार का पता	
(b)	Correspondence Address	
(सी)	ई-मेल	
(c)	Email	
(डी)	टेलीफोन/फैक्स सं.	
(d)	Tel / Fax No	

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।
 •Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

4	बोलीदाता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का विवरण Particulars of the Authorized Signatory of the Bidder:	
(ए) (a)	नाम और पदनाम Name & Designation	
(बी) (b)	पत्राचार का पता Correspondence Address	
(सी) (c)	ई-मेल Email	
(डी) (d)	टेलीफोन/फैक्स सं. Tel / Fax No	

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर)
(Signature of Authorized Signatory)

नाम / Name: [•]

पदनाम / Designation: [•]

दिनांक / Date:

बोलीदाता की सील या मोहर / Seal or Stamp of Bidder

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।
•Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

अनुलग्नक: ई
ANNEXURE: E

चार्टर्ड एकाउंटेंट / सांविधिक लेखा परीक्षक से प्रमाण पत्र
तकनीकी / वित्तीय क्षमता और अनुभवके सम्बन्ध में
**Certificate from Chartered Accountant / Statutory Auditor in respect of
Technical / Financial Capacity and Experience**

- 1) फर्म / कंपनी के ऑडिट किए गए रिकॉर्ड के आधार पर, यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स (बोलीदाता / निविदाकर्ता का नाम)) के पास न्यूनतम प्रचालन अनुभव (.....) वर्ष व्यवसाय में और उपस्थिति..... निम्नलिखित स्थानों में है:-

Based on the audited records of the firm / company, this is to certify that M/s(Name of Bidder / Tenderer) has an operating experience of at least(.....)years in the business and has presence in the in the following locations: -

सं. No	व्यापार का प्रकार Type of business	व्यवसाय के स्थान का विवरण Details of location of business	व्यवसाय के प्रारंभ की तिथि Date of commencement of Business

- 2) हम आगे यह प्रमाणित करते हैं कि, लेखा परीक्षित खातों के आधार पर मेसर्स (बोलीदाता / निविदाकर्ता का नाम) का कारोबार, से नीचे दिये गए वावरण के अनुसार है:-

We further certify that, based on the audited accounts M/s..... (Name of Bidder / Tenderer) has a turnover from, as per detail below:-

वित्तीय वर्ष Financial Year	कुल बिक्री (भारतीय रु. लाख में) Gross Turnover (in INR Lakh)	प्रासंगिक व्यवसाय से बिक्री जिसके संबंध में अनुभव का दावा किया जा रहा है(भारतीय रु. लाख में) Turnover from the relevant business for which experience is being claimed (in INR Lakh)
कुल Total	रु. लाख Rs..... Lakh	रु. लाख Rs..... Lakh

टिप्पणी / Note: -

- (i) बोली लगाने वाले के कई व्यवसायों की स्थिति में, टेंडर किए गए सुविधा से विशिष्ट मद के साथ टर्नओवर का ब्रेकअप (चार्टर्ड एकाउंटेंट / सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित) प्रस्तुत किया जाना है।
In case of multiple businesses of bidder, the **breakup of the turnover** (certified by chartered accountant / statutory auditor) with the specific head as from the tendered facility to be submitted.
- (ii) कंपनी का टर्नओवर किसी भी वित्तीय वर्ष में होना चाहिए, जिस संबंध में तकनीकी अनुभव का दावा किया गया है।
The turnover of the company should be in any one of the financial years for which technical experience has been claimed.
- (iii) बोली लगाने वाले के द्वारा इसके पत्र शीर्ष पर विधिवत हस्ताक्षरित समग्र रूप से और साथ ही टर्नओवर का ब्रेकअप तकनीकी बोली में अलग से प्रस्तुत किया जाएगा (अनुलग्नक: एफ के अनुसार)।
Duly signed undertaking by the bidder on its **letter head** regarding **overall as well as breakup of turnover** is also to be submitted separately in technical bid (as per Annexure:F)
- 3) निविदा के लिए आवेदन करने के समय, मेसर्स.....(बोली लगाने वाले / निविदाकर्ता का नाम)

- नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।
- Note- In case any sort of contradiction arises, only English text will be valid.

सकारात्मक कुल मूल्य (पॉज़िटिव नेटवर्थ) रु...../- (रुपये केवल) है।

At the time of the applying for the tender, M/s(Name of Bidder / Tenderer)
has a Positive Net worth of Rs...../- (Rupeesonly).

हस्ताक्षर / Signature

चार्टर्ड एकाउंटेंट / सांविधिक लेखा परीक्षक का नाम और सदस्यता संख्या

ऑडिट फर्म की मुहर

विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या (यूडीआईएन)

**Name & Membership No. of Chartered Accountant / Statutory Auditor
Seal of the Audit Firm:**

Unique Document Identification Number (UDIN)

दिनांक / Date

टिप्पणः बोलीदाता द्वारा जमा किये गए दस्तावेजों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए, विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या (यूडीआईएन) का चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों में अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

NOTE :To verify the authenticity of documents submitted by the bidder, the Unique Document Identification Number (UDIN) should be mandatorily mentioned in the documents certified by Chartered Accountant.

- नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।
- Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

अनुलग्नक : एफ
ANNEXURE: F

अनुभव हेतु वचनबद्धता पत्र का प्रारूप
FORMAT FOR LETTER OF UNDERTAKING FOR EXPERIENCE and TURNOVER

[कंपनी / एजेंसी / फर्म के पत्र शीर्ष पर बोलीदाता के अनुभाग की सत्य जानकारी की स्व-घोषणाप्रस्तुत की जाएगी]
[Self-declaration of the bidder that the furnished information for experience and Turnover is true, to be submitted on Company's / agency's / Firm's Letter Head]

महोदय / Sir,

- 1) मैं,.....की ओर से,इसकी पुष्टि और घोषणा करता हूँ कि बोली हेतु प्रासंगिक अनुभव और टर्नओवर का दावा तथा प्रदान किए गए संबंधित दस्तावेजमेरी जानकारी और विश्वास के आधार पर सत्य और सटीक है तथा इसमें कुछ भी सामग्री छिपाई नहीं गई है।

I,.....on behalf of do hereby affirm and declare that the information provided for claiming the relevant experience and Turnover for the bid and the documents provided is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therein.

- 2) हम आगे यह प्रमाणित करते हैं कि, मेसर्स (बोलीदाता / निविदाकर्ता का नाम) का कारोबार से नीचे दिये गए वावरण के अनुसार है:-

We further certify that, M/s..... (Name of Bidder / Tenderer) has a turnover fromas per detail below:-

वित्तीय वर्ष Financial Year	कुल बिक्री (भारतीय रु. लाख में) Gross Turnover (in INR Lakh)	प्रासंगिक व्यवसाय से बिक्री जिसके संबंध में अनुभव का दावा किया जा रहा है(भारतीय रु. लाख में) Turnover from the relevant business for which experience is being claimed (in INR Lakh)
कुल Total	रु. लाख Rs..... Lakh	रु. लाख Rs..... Lakh

- 3) मैं समझता हूँ कि तथ्यों को छुपाना और गलत जानकारी देना दंडनीय अपराध हैतथा एजेंसी/बोलीदाता.....को कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार वर्जित किया जा सकता है तथा कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

I understand that concealment of facts and giving false information is a punishable offence and the agency / bidder can be barred and legal action may be taken as per the relevant provisions of law.

भवदीय / Yours faithfully,

बोलीदाता / निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

Signature of the bidder / tenderer

नाम / Name_____

पदनाम (मुहर सहित) / Designation (with seal)_____

- नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।
- Note- In case any sort of contradiction arises , only English textwill be valid.

अनुलग्नक: जी
ANNEXURE: G

घोषणापत्र
DECLARATION

मैं _____ <नाम, पदनाम और पता
सहित कंपनी का नाम>, पूर्ण सत्यनिष्ठा से कहता हूँ तथा निम्नानुसार पुष्टि करता कहता हूँ:

I _____ <Name, Designation &
Company Name with Address>, do hereby solemnly affirm and state as follows:

1. मैं/हम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित हवाईअड्डों / कार्यालयों में निम्नलिखित (मौजूदा और पूर्व) अनुबंध कर रहे हैं/चुके थे:

I/We are having/had the following **(CURRENT AND PAST)** contracts at Airports/Offices controlled by Airports Authority of India:

ए) वर्तमान / मौजूदा अनुबंध

a) Current / Existing contracts

क्र.सं. Sr. No.	हवाईअड्डे का नाम Airport Name	सुविधा/अनुबंध Facility/ Contract	अनुबंधअवधि ContractPeriod		सुरक्षा जमा का विवरण Details of Security Deposit	बकाया (विवादित और निर्विवादित) Dues (disputed & Undisputed)
			से From	तक To		
1.						
2.						

(भा.वि.प्रा.नियंत्रित हवाईअड्डों/ कार्यालयों में कोई वर्तमान/ मौजूदा अनुबंध न होने की स्थिति में, निल इंगित करें)

(In case of no present / existing contracts in AAI controlled Airports / offices, indicate NIL)

बी) विगत / अवसान अनुबंध

b) Past / Expired contracts

क्र.सं. Sr. No.	हवाईअड्डे का नाम Airport Name	सुविधा / अनुबंध Facility/ Contract	अनुबंधअवधि ContractPeriod		सुरक्षा जमा का विवरण Details of Security Deposit	बकाया (विवादित और निर्विवादित) Dues (disputed & Undisputed)
			से From	तक To		
1.						
2.						

(भाविप्रा नियंत्रित हवाईअड्डों / कार्यालयों में पिछले अनुबंधों के न होने की स्थिति में, निल इंगित करें)

(In case of no past contracts in AAI controlled Airports / offices, indicate NIL)

2. मैं/ हम के.जां.ब्यूरो या भा.वि.प्रा. अथवा उपक्रमों/ विभाग जैसे रेलवेज, रक्षा या भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग द्वारा विवर्जित/ काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में नहीं डाले गए हैं। (यदि आपको विवर्जित / काली सूची में डाला गया है तो सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें)।

I/We are not debarred / blacklisted by CBI or AAI or undertakings/ Departments like Railways, Defense or any other department of Government of India or State Government. **(In case if you have been debarred / blacklisted, submit all the details).**

3. मैं/ हमने भाविप्रा के साथ किसी भी पी.पी.ई. अधिनियम के अंतर्गत किसी भी कार्रवाई का सामना नहीं किया है/ न ही कर रहे हैं। (यदि आपने भाविप्रा के साथ पीपीई अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई का सामना किया है / कर रहे हैं, तो सम्पूर्ण

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

•Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

विवरण प्रस्तुत करें)।

I/We have not faced/are not facing any action under PPE Act with AAI. (In case if you have faced/are facing action under PPE Act with AAI, submit all the details).

4. मुझे/ हमें किसी भी हवाईअड्डे पर भाविप्रा को बकाया देयकों का भुगतान करने के लिए न्यायालय द्वारा आदेश नहीं दिया गया है) यदि आपको न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया है, तो सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें)।

I/We have never been ordered by a Court of Law to pay the outstanding dues to AAI at any of the airports **(In case if you have been ordered by Court of Law, submit all the details).**

5. मैं/ हम यह घोषणा करते हैं कि हमारी कंपनी का कोई भी निदेशक / साझेदार / एकमात्र प्रोपराइटर कोई भी किसी अन्य कंपनी जिसने भाविप्रा के साथ व्यवसाय स्थापित किया हो या भाविप्रा के साथ बकाया शेष हो कानिदेशक या किसी प्रकार का भागीदार अथवा एकमात्र प्रोपराइटर नहीं है। (यदि आप उपरोक्त में से किसी भी श्रेणी में आते हैं, तो कृपया ऐसे सभी प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत करें)।

I/ We declare that none of the Directors/Partners/ Sole Proprietor of our company is also a Director of any other company or partner of a concern or a Sole Proprietor having established business with AAI and has dues with AAI. **(In case if you fall under anyone of the above category, please furnish all such relevant details).**

6. मैं / हम एतद द्वारा यह वचन देते हैं कि मैं / हम विषय निविदा में उच्चतम-1 बोलीदाता के रूप में उभरें हैं और किसी मामले में यदि कोई राशि मध्यवर्ती अवधिके दौरान बकाया पाई जाती है अर्थात् निविदा प्रस्तुत करने उपरान्त और अवार्ड को अंतिम रूप देने से पूर्व, तब मेरे / हमारे द्वारा लाइसेंस के अवार्ड से पूर्व इस तरह की सभी बकाया राशि को निपटा दिया जाएगा।

I / we hereby undertake that in case I / We emerge as H-1 bidder in the subject tender and if any amount is found as outstanding during the intervening period i.e. after the submission of tender and before finalization of award, then I / We shall clear all such dues before the award of license.

7. मेरे / हमारे मध्य निविदा सूचना के खंड 10 की सामान्य सूचना और दिशा-निर्देशों के अनुसार कोई हितों काटकराव नहीं है।

I/We do not have any conflict of interest as detailed in **Clause 10** of general Information and Guidelines of tender document.

8. मैं/ हम यह घोषणा करते हैं कि "किसी भी हवाईअड्डे के परिसर में भा.वि.प्रा.द्वारा और या नियामक प्राधिकरण द्वारा प्रदान लाइसेंस के संबंध में या मेरे और / या संघ के किसी भी सदस्य के विरुद्ध या हमारे/इसके सहयोगियों विरुद्ध या किसी भी निदेशक / प्रबंधक / कर्मचारी के विरुद्ध कोई छापा / जब्ती / तलाशी नहीं ली गई है और न ही लंबित है"। (यदि किसी प्रकार का छापा / जब्ती / तलाशी ली गई है, तो कृपया ऐसे सभी प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत करें)।

I/ We declare that "No raid / seizure / search has been carried out and/or pending by a Regulatory Authority in respect of the license granted by AAI in any of the Airport premises either against me and/or any member of the consortium or against our/its Affiliates or against any of the Directors/Managers/Employees". **(In case if raids/seizure/search conducted, please furnish all such relevant details).**

उपरोक्त सभी तथ्य मेरी जानकारी, विश्वास और सूचना के अनुसार सत्य और सटीक हैं।

All the facts stated above are true and correct to the best of my knowledge, belief and information.

दिनांक / Date:

मुहर सहित हस्ताक्षर / Signature with Seal

अनुलग्नक: एच
ANNEXURE: H

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में कार्यरत नजदीकी रिश्तेदारों* की सूची
List of Near Relatives* employed in Airports Authority of India

क्र.सं. Sl. No.	कर्मिक का नाम Name of the employee	पदनाम Designation	निविदाकर्ता(ओं) के साथ संबंध Relationship with tenderer(s)	तैनाती स्थल Place of Posting

* नजदीकी रिश्तेदार शब्द का अर्थ पत्नी, पति और आश्रित माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी, बच्चे, पोते, भाई, बहन, चाचा, मामा, चाची, मामी, बुआ, चचेरे/ ममेरे भाई/बहन इत्यादि और उनके ससुराल से है

By the term near relative is meant wife, husband and dependent parents, grandparents, children, grandchildren, brothers, sisters, uncle, aunts, cousins and their corresponding in laws.

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
SIGNATURE OF TENDERER

टिप्पणी / Note:-

- यदि विवरणशून्य (निल) है, तो विधिवत रूप से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरितप्राप्त शून्य रिपोर्ट सहित अवश्य भरा जाएगा।

In case of NIL report, Performa must be filled with NIL report and submitted duly signed by the Authorized Signatory.

- यदि उपरोक्त स्थान पर्याप्त नहीं है, तो प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अतिरिक्त पत्रक संलग्न किए जा सकते हैं।

In case the above space is not adequate, the details, additional sheets duly signed by Authorized signatory may be attached.

* नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।
*Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

अनुलग्नक: आई
ANNEXURE: I

बकाया राशि / अदेय प्रमाण पत्र का प्रारूप
FORMAT OF OUTSTANDING DUES / NO DUES CERTIFICATE

1. संविदा / लाइसेंस और एजेंसी का नाम
Name of Contract / Licence and Agency :
2. अनुबंध सं
Agreement No. :
3. संविदा के शुरुआत की निर्धारित तिथि
Stipulated Date of Start of Contract :
4. शुरुआत की वास्तविक तिथि
Actual Date of Start :
5. पूर्णता / समाप्ति की तिथि
Date of Completion / Termination :
6. वैधता अवधि के साथ उपलब्ध सुरक्षा जमा की राशि
Amount of SD available with validity period :
7. दिन/महीना/20 तक बकाया राशि की राशि (विवादित और निर्विवादित राशि को अलग से दिखाया जाए)
Amount of Outstanding Dues upto dd/mm/20..... (Disputed and un-disputed amounts to be shown separately)

मद Item	विवादित राशि (रु.) Disputed Amount (Rs)	निर्विवादित राशि (रु.) Un-disputed Amount (Rs.)	टिप्पणियाँ Remarks
लाइसेंस शुल्क Licence Fee			
स्पेस शुल्क Space Rent			
उपयोगिता शुल्क Utility Charges			
व्याज Interest			
कोई अन्य मद Any other item			
कुल Total			

8. किसी भी मध्यस्था / मुकदमेबाजी का विवरण
Details of any arbitration/litigation :

विमानपत्तन निदेशक के हस्ताक्षर / Signature of Airport Director

नाम / Name: [•]

पदनाम / Designation: [•]

..... हवाई अड्डा / Airport

ध्यान दें: प्रत्येक संविदा के संबंध में अलग से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है।

Note: A separate certificate has to be produced in respect of each contract

- नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।
- Note- In case any sort of contradiction arises, only English text will be valid.

अनुलग्नक: जे
ANNEXURE: J

ई.एम.डी. के रिफंड हेतु, निम्नलिखित बोलीदाताओं / निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाना है:-
For Refund of EMD, following is to be submitted by the bidders / tenderers: -

आर.टी.जी.एस.फंड स्थानांतरण हेतु लाभार्थी विवरण
BENEFICIARY DETAILS FOR RTGS FUNDS TRANSFER

क्र.सं. Sr. No.	व्यौरे Particulars	अपेक्षित जानकारी Information Required
1.	खाता धारक यानि बोलीदाता का नाम Name of the Account Holder i.e. Bidder	
2.	पार्टी यानि बोलीदाता की पी.ए.एन./टी.ए.एन. सं. PAN/TAN No. of the Party i.e. Bidder	
3.	बैंक का नाम Name of the Bank	
4.	बैंक का पता Address of the Bank	
5.	बैंक खाता सं. Bank Account No.	
6.	बैंक खाते का प्रकार Type of the Bank Account	
7.	बैंक का एम.आई.सी.आर. कोड MICR Code of the Bank	
8.	बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड IFSC Code of the Bank	
9.	रद्द किए चेक की स्कैन प्रति Scanned copy of cancelled cheque	

(लाभार्थी यानी बोलीदाता का नाम और हस्ताक्षर)
(Beneficiary's i.e. Bidder's Name & Signature)

स्थान / Place:.....

दिनांक / Date:.....

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।
•Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

अनुलग्नक : के
ANNEXURE: K

बैंक गारंटी का प्रारूप
FORM OF BANK GUARANTEE

(सफल निविदाकर्ता द्वारा रु.100/-के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाना है)
 (To be executed on Non-Judicial Stamp Paper of **Rs.100/-** by the successful tenderer)

जहां, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के एक भाग, लाइसेन्सकर्ता (इसके बाद इसे "प्राधिकरण" कहा जाता है) और दूसरा भाग (इसके बाद इसे "लाइसेंसधारक" के रूप में जाना जाता है) के मध्य दिनांक के लाइसेंस अनुबंध के अनुसार, प्राधिकरण द्वारा लाइसेंसधारक को (कार्य का पूरा नाम और कार्यस्थल) के संचालन हेतु लाइसेंस और उक्त कथित लाइसेन्स अनुबंध हेतु लाइसेन्स शुल्क और उक्त लाइसेंस समझौते में बताई और निहित वाचाओं और शर्तों पर और निष्पादन हेतु लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

WHEREAS by a License Agreement dated made between AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA, the Licensor (hereinafter called "the AUTHORITY") of the one part and (hereinafter referred to as "the Licensee") of the other part, the Authority has granted to the Licensee, the license for operating the (complete name and place of work) and the License Fee and Royalty and other charges and for the due and performance of the covenants and conditions as stated or contained in the said License Agreement.

1. इसलिए अब पूर्वोक्तवादोंकेप्रतिअसंगतताऔरलाइसेंसधारक केअनुरोधपर हम इसके द्वारा अपरिवर्तनीय रूप से, शर्तहित, भुगतान हेतु वचनबद्ध हैं, प्राधिकरण की मांग पर बिना किसी आपत्ति या विरोध और लाइसेंसधारक के बिना किसी संदर्भ के, किसी भी समय मुद्रा राशि या समय समय पर लाइसेन्स शुल्क और लाइसेंसधारकसेरॉयल्टीऔर अन्यबकाया देय / शुल्क देय (किसीभीलागतयाव्ययऔरब्याजकोमिलाकर) हेतु प्राधिकरण की मांग पर और या लाइसेंसधारक द्वारा कथित लाइसेन्स अनुबंध के किन्हीं भी नियमों या शर्तों के उल्लंघन के कारण प्राधिकरण को होने वाले हानि और हर्जाने के कारण औरभाविप्रा,इसमांगहेतु एकमात्रन्यायविदहोगी : बशर्ते कि इस गारंटी के अंतर्गत हमारी देयता रुपये/- (रुपये.....) की राशि तक सीमित होगी और उपरोक्त के रूप में समय समय पर बढ़ी हुई राशि के लिए इसे बढ़ाया जाएगा।

Now therefore inconsideration of the promises aforesaid and at the request of the licensee we,do, hereby irrevocably and unconditionally undertake to pay to you, the Authority on demand and without demur or protest and without reference to the Licensee, any sums of money at any time or from time to time demanded by the Authority on account of the License Fee and Royalty and other outstanding dues/ charges due from the Licensee (inclusive of any costs or expenses and interest) and or by way of losses and damages caused or that would be caused to the Authority by reason of any breach by the Licensee of any of the terms or conditions of the said License Agreement and AAI shall be sole judge for this demand: PROVIDED that our liability under this Guarantee shall be limited to a sum of Rs...../- (Rupees) and extended for the amount increased from time to time as aforesaid.

2. किसीभीअधिकारकेबावजूदलाइसेंसधारककेपासप्राधिकरण या लाइसेंसधारकद्वाराउठाएगएकिसीभीविवादयाकिसीभीन्यायालययाट्रिब्यूनल / (मध्यस्थों) किसीभीवैधानिकप्राधिकरणमेंलंबितकार्यवाहीयाकिसीमध्यस्थ केसमक्ष,आपकीलिखितमांगयहबतातेहूँकिराशिप्राधिकरणको देय है,जैसाकिऊपरकहागयाहै, हमारेलिएनिर्णायकसबूतहोगाकिआपकेद्वारामांगीगईराशिप्राधिकरण लाइसेंसधारक की सहमति या ज्ञान के बिना उक्त लाइसेंस समझौते की शर्तों के तहत देय है।

Notwithstanding any right the Licensee may have against the Authority or any dispute raised by the Licensee or any suit or proceedings pending in any Court/Tribunal/ any statutory authorities

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।
 •Note- In case any sort of contradiction arises , only English textwill be valid.

relating thereto or before any Arbitrator(s), your written demand stating that the amount is due to the Authority as stated herein above shall be conclusive evidence to us that the amount demanded by you, the Authority is payable under the terms of the said License Agreement without any consent or knowledge of the licensee.

3. प्राधिकरण और लाइसेंसधारक के मध्य हुए कथित लाइसेन्स अनुबंध की पूर्वोक्त वचनबद्धता और गारंटी या नियम और शर्तों में किसी प्रकार के बदलाव (बदलावों) के कारण और या भा.वि.प्रा. की ओर से किसी कार्य में चूक या प्राधिकरण द्वारा लाइसेन्सधारक की किसी भी आसक्ति या किसी भी तरह की मनाही, चाहे भुगतान के रूप में, समय पर प्रदर्शन या अन्यथा अथवा हमारी सहमति और जानकारी के बिना कथित लाइसेन्स अनुबंध के किन्हीं भी नियम और शर्तों को लागू करने पर हमें खारिज या मुक्त नहीं किया जाएगा।

We shall not be discharged or released from the aforesaid undertaking and guarantee by any variation(s) or any of the terms & conditions of the said License Agreement made between the Authority and the Licensee and or any act of omission on part of AAI or any indulgence to the Licensee by the Authority or any forbearance whether as to payment, time performance or otherwise or to enforce any of the terms and conditions of the said License Agreement without our consent and knowledge.

4. यह गारंटी हमारे और हमारे उत्तराधिकारियों और संपत्ति-भागी (संपत्ति-भागियों) के लिए एक सतत और बाध्यकारी गारंटी होगी और _____ के संविधान में किसी भी परिवर्तन से खारिज या प्रभावित नहीं होगी।

This Guarantee shall be a continuing guarantee and binding on us and our successors and assignee(s) and shall not be discharged or affected by any change in the constitution of _____ or that of the Licensee or the Authority.

5. हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि गारंटी उचित विनियम नियंत्रण कानूनों और विदेशी मुद्रा विनियमों और भारत में लागू कानूनों के उचित पालन और अनुपालन के साथ जारी की गई है।

We further confirm that the Guarantee has been issued with due observance and compliance of the appropriate Exchange Control laws and Foreign Exchange Regulations and applicable laws as in force in India.

6. यह गारंटी तक मान्य होगी और कथित तिथि से जब तक भाविप्रा द्वारा मांग पर इसे बढ़ाया नहीं जाता तब तक आपको इस गारंटी को तक भुनाने का अधिकार होगा।

This Guarantee shall be valid till _____ and you have the right to encash this Guarantee upto _____ from the said date unless extended on demand by AAI.

यहां निहित कुछ भी होने के बावजूद :

NOTWITHSTANDING anything contained herein:

- i. इस गारंटी के अंतर्गत अनुबंध के चलन के दौरान तथा उसके बाद 06 (छह) महीने तक हमारी देयता रुपये की राशि तक सीमित होगी।

Our liability under this Guarantee shall be limited to a sum of Rs. during the currency of the contract and **06 (six) months** thereafter.

- ii. यह बैंक गारंटी तक मान्य होगी तथा आपके पास उक्त तिथि से **180 एक सौ अस्सी (दिनों तक गारंटी को भुनाने का अधिकार प्राप्त होगा।**

This bank guarantee shall be valid up to _____ and you have the right to encash this guarantee up to **180 (one hundred eighty) days** from the

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।

• Note- In case any sort of contradiction arises, only English text will be valid.

said date.

- iii. यदि आप लिखित दावे अथवा मांग पर या उससे पूर्व सेवा प्रदान करते हैं, तो हम इस बैंक गारंटी राशि या इस बैंक गारंटी के अंतर्गत गारंटी राशि के किसी भी हिस्से के अंतर्गत या उसके किसी भाग का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

We are liable to pay the guarantee amount or any part thereof under this bank guarantee amount or any part thereof under this bank guarantee only and if you serve upon as a written claim or demand on or before.....

बैंक के नाम हेतु
For Bank Name

दिनांक / Dated:

स्थान / Place:

गवाह / Witnesses:

अनुलग्नक : एल1
ANNEXURE: L1

केवल सफल बोलीदाता हेतु
For Successful Bidder only

(जमाकर्ता द्वारा समझ पत्र (लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग) बैंक गारंटी सहित भाविप्रा को प्रस्तुत किया जाए)
 (Letter of understanding from the Depositor to be submitted along with Bank Guarantee to AAI)

शाखा प्रबन्धक / The Branch Manager,
 बैंक /Bank,

विषय: मेरी/हमारी बैंक गारंटी सं..... दिनांकित रु.
 हेतुभा.वि.प्रा. के खाता संख्या..... के पक्ष में जारी किया गया।

Sub: My/Our bank Guarantee No.dated.....for
 Rs.....issued in favour of AAI A/c No.....

महोदय / Sir,

मेसर्स भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा मुझे/हमें प्रदान किए गए अनुबंध /किए जाने वाले अनुबंध के आधार पर सुरक्षा/बयाना धन के प्रयोजन हेतु आपके बैंक की शाखा से विषय बैंक गारंटी प्राप्त की जाती है ।

The subject Bank Guarantee is obtained from your branch for the purpose of Security/Earnest money on account of contract awarded/to be awarded by M/s Airports Authority of India to me/us.

मैं, बैंक को, मेरे / हमारी ओर से किसी भी संदर्भ / सहमति / नोटिस के बिना, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को जिसके पक्ष में जमा राशि है को बकाया राशि के समायोजन हेतु विषय बैंक गारंटी को परिपक्वता से पूर्व / परिपक्वता पर तोड़ने / बंद करने हेतु पूरी तरह से अधिकृत करता हूँ।

I hereby authorize the AAI in whose favour the deposit is made to encash / close the subject bank guarantee before maturity/on maturity towards adjustment of dues without any reference / consent / notice from me / our side and the bank is fully discharged by making the payment to Airports Authority of India.

जमाकर्ता के हस्ताक्षर
 Signature of the Depositor

स्थान / Place:

दिनांक / Date:

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।
 •Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

ANNEXURE: L2**For Successful Bidder only****Request Letter: Transmission of Bank Guarantee Cover Message
(to be submitted by applicant to BG issuing Bank)**

Date:

The Branch Manager,

..... (Bank),

.....(Branch)

Sub: Inclusion of Unique Identifier Code of AAI while transmitting BG cover messages where beneficiary bank is ICICI Bank (IFSC – ICIC0000007).

Dear Sir / Ma'am,

I / We, _____, request you to include unique identifier _____ in field 7037 of the SFMS cover messages IFN COV 760 (for BG issuance) and IFN COV 767 (for BG amendment) while transmitting the same to the beneficiary bank (ICICI Bank – IFSC-ICIC0000007).

Thanking you,

(Vendor / Customer / Concessionaire)

Place:

Date:

- नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।
- Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

अनुलग्नक: एम
ANNEXURE: M

बोलीदाताओं हेतु जांच-सूची
CHECKLIST FOR BIDDERS

क्र.सं. Sl.No.	व्यौरे Particulars	विवरण Detail
1	सुविधा / रियायत का प्रकार Type of Facility / Concession	
2	लाइसेंस / रियायत की अवधि Period of license/ concession	
3	निविदा शुल्क Tender Fee	
4	बयाना राशि Earnest Money Deposit	
5	निविदा शुल्क / बयाना राशि हेतु भाविप्राका बैंक विवरण AAI Bank Details for Tender Fee/EMD	
6	लाभार्थी का नाम, बैंक का नाम, बैंक का पता, खाता संख्या, आरटीजीएस कोड / आईएफएससी कोड, रद्द किए चेक की प्रति Beneficiary Name, Bank Name, Bank Address, Account No, RTGS Code / IFSC Code, copy of cancelled cheque	
7	लाइसेंस का क्षेत्र / स्थान Area / Location of license	
8	न्यूनतम आरक्षित लाइसेंस शुल्क Minimum Reserved Licensed Fee	
9	पात्रता मापदंड Eligibility Criteria	
10	तकनीकी योग्यता / क्षमता Technical Qualification / Capacity	
11	वित्तीय योग्यता / क्षमता Financial Qualification / Capacity	
12	एसी स्थान / नॉन-एसी हेतु स्पेस रेंट Space Rent for AC space / Non-AC	
13	उपयोगिता / सुविधा (सीएएम) शुल्क Utility / Facilitation (CAM) Charges	
14	बिजली और पानी का शुल्क Electricity & Water Charges	
15	लागू सरकारी कर (जीएसटी, आदि) Applicable Govt. taxes (GST, etc.)	
16	अनुभव प्रमाण पत्र Experience Certificates	
17	अदेय प्रमाण पत्र/ घोषणाएँ No Dues certificates / Declarations	
18	मुख्तारनामा - अनुलग्नक बी Power of Attorney – Annexure B	
19	भाविप्राकी निविदा शर्तों की स्वीकृति -अनुलग्नक -सी Acceptance of AAI's Tender Conditions -Annexure – C	
20	अनुलग्नक - डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे के अनुसार घोषणाएं, प्रमाण पत्र, वचनबद्धता Declarations, Certificates, Undertakings as per	

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।
•Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

	Annexures – D, E, F, G, H, I, J	
21	ऊष्मायन अवधि Incubation Period	
22	उत्पादनपूर्व अवधि Gestation Period	
23	लाइसेंस शुल्क हेतु सुरक्षा जमा Security Deposit Towards Licence Fee	महीनों का लाइसेंस शुल्क Months License Fee
24	ई.डब्ल्यू.सी. शुल्क हेतु सुरक्षा जमा Security Deposit Towards EWC Charges	

महत्वपूर्ण तिथियाँ**Critical Dates**

1	निविदा दस्तावेज के प्रकाशन की तिथि Date of publish of Tender document	
2	निविदा दस्तावेज के डाउनलोड / बिक्री की तिथि Start download / sale date of Tender document	
3	निविदा दस्तावेज की डाउनलोड / बिक्री की अंतिमतिथि Last download / sale date of Tender document	
4	एनआईसी सीपीपी ई-टेंडर पोर्टल पर निविदा दस्तावेज हेतु प्रश्नों के प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि Last date of submission of queries to Tender Document on NIC CPP e-tender portal	
5	एनआईसी सीपीपी ई-टेंडर पोर्टल पर भाविप्रा द्वारा प्रश्नों के उत्तर Reply to the queries by AAI on NIC CPP e-tender portal	
6	एनआईसी सीपीपी ई-टेंडर पोर्टल पर बोली / प्रस्ताव के ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि Last date for online submission of bids / proposals on NIC CPP e-tender portal	
7	तकनीकी बोली खोलने की तिथि Technical Bid Opening date	
8	वित्तीय बोली खोलने की तिथि Financial Bid Opening date	

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।
•Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

अनुलग्नक: एन
ANNEXURE: N

श्री गुरादाजी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अमृतसर परविमानसेवाओं का विवरण
AIRLINES DETAIL AT SGRDJI AIRPORT, AMRITSAR

विमान सेवाएँ Airlines	गंतव्य Destinations
एयर इंडिया / एयर इंडिया एक्सप्रेस Air India / Air India Express	दिल्ली, नांदेड़, मुंबई, पटना, शारजाह, दुबई, बर्मिंघम, टोरोंटो, लंदन (स्टैनस्टेड) Delhi, Nanded, Mumbai, Patna, Sharjah, Dubai, Birmingham, Toronto, London (Stansted)
कतर एयरवेज़ Qatar Airways	दोहा और यूरोप / अमेरिका आदि में अन्य गंतव्य Doha and other destinations in Europe / USA etc.
तुर्कमेनिस्तान एयरलाइन्स Turkmenistan Airlines *suspended	अश्गाबात और यूरोप / अमेरिका आदि में अन्य गंतव्य Ashgabat and other destinations in Europe/ USA etc.
उज्बेकिस्तान एयरवेज़ Uzbekistan Airways *suspended	ताशकंद और यूरोप / अमेरिका आदि में अन्य गंतव्य। Tashkent and other destinations in Europe/ USA etc.
स्पाइस जेट SpiceJet	दुबई, दिल्ली Dubai, Delhi
मालिण्डो एयर Malindo Air *suspended	कुआला लम्पुर (मलेशिया) Kuala Lumpur (Malaysia)
स्कूट एयरलाइन Scoot Airline *suspended	सिंगापुर Singapore
विस्तारा Vistara	दिल्ली, मुंबई, कोलकाता Delhi, Mumbai, Kolkata
इंडिगो IndiGo	दिल्ली, श्रीनगर, मुंबई, गुवाहाटी, हैदराबाद, दुबई, शारजाह Delhi, Srinagar, Mumbai, Guwahati, Hyderabad, Dubai, Sharjah
एयर एशिया Air Asia *suspended	कुआला लम्पुर (मलेशिया) Kuala Lumpur (Malaysia)
गो फर्स्ट Go First	श्रीनगर, नई दिल्ली, मुंबई Srinagar, New Delhi, Mumbai
ज़ूम एयर Zoom Air	लखनऊ *25.12.2021 Lucknow *from 25.12.2021

* पूर्व-कोविड और वर्तमान अवधि डेटा / Pre-covid and Current period data

टिपण्णी / Note:-

गो-फर्स्ट ने इस हवाईअड्डे पर दिनांक **11.11.2021** से अपना परिचालन घरेलू क्षेत्रों दिल्ली, मुंबई और श्रीनगर के लिए शुरू कर दिया है।

Go-first has started its operation at this airport w.e.f. 11.11.2021 for domestic sectors; Delhi, Mumbai and Srinagar.

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।
•Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.

श्री गुरादाजी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, अमृतसर पर यात्री यातायात डेटा
PASSENGER TRAFFIC DATA AT SGRDJI AIRPORT, AMRITSAR

YEAR	INTERNATIONAL PASSENGER MOVEMENTS	DOMESTIC PASSENGER MOVEMENTS	TOTAL
2010-11	4,68,726	2,96,468	7,65,194
2011-12	3,98,207	4,93,897	8,92,104
2012-13	3,42,906	5,52,519	8,95,425
2013-14	3,07,481	7,24,340	10,31,821
2014-15	3,34,252	7,49,432	10,83,684
2015-16	3,57,385	8,92,985	12,50,370
2016-17	5,38,090	10,28,317	15,66,407
2017-18	6,34,072	16,85,883	23,19,955
2018-19	7,98,501	17,25,293	25,23,794
2019-20	8,19,243	16,38,372	24,57,615
2020-21	1,91,922	6,61,547	8,53,469
2021-22	3,41,121	10,40,883	13,82,004

यात्री डेटा के लिए, कृपया निम्न लिंक पर जाएँ:
 For passenger data, please visit the following link:
<https://www.aai.aero/en/business-opportunities/aai-traffic-news>

टिप्पणी: पिछले कुछ वर्षों के दौरान संचालन पर आधारित ये विवरण केवल संकेतात्मक संदर्भ हेतु बोलीदाताओं को प्रदान किए जाते हैं। इन विवरणों की सटीकता हेतु प्राधिकरण की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है तथा भावी बोलीदाताओं को अपनी पसंद और समझ के स्रोतों से इन विवरणों को प्रमाणित करने की सलाह देता है।

Note: These details, based on the operations during the last few years, are provided to the Bidders for indicative reference only. Authority does not vouch for the accuracy of these details and advises the prospective Bidders to authenticate these details from sources of its choice and understanding.

• नोट- किसी भी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न होने की स्थिति में केवल अंग्रेजी पाठ ही मान्य होगा।
 •Note- In case any sort of contradiction arises , only English text will be valid.